जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

मध्यप्रदेश शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन

15 नवंबर 2022 को शहडोल म.प्र. में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित जनजातीय सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का अभिनंदन करते म.प्र. के महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

15 नवंबर 2022 को शहडोल म.प्र. में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित जनजातीय सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, म.प्र. के महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, वनमंत्री कुंवर विजय शाह और जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे अभिवादन करते हुए।

15 नवंबर 2022 को शहडोल मप्र में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित जनजातीय सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल का अभिवादन करतीं जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे।

3 जनवरी 2023 को मंत्रालय में मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक में संचालनालय जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन करतीं जनजातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे।

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राजभवन में जनजातीय विद्यार्थियों से सौजन्य भेंट की और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए बैंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के इन जनजातीय विद्यार्थियों ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरान्वित किया। इस उपलब्धि पर राज्यपाल ने इन सभी विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के जनजातीय विद्यार्थियों के साथ। भारत सरकार द्वारा बैंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 13 विधाओं में पुरस्कार प्राप्त कर देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले इन विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री उनका उत्साहवर्धन करते हुए।

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

वर्ष 2022-23

मुख्यमंत्री	**श्री शिवराज सिंह चौहान**
मंत्री	**सुश्री मीना सिंह मांडवे**
प्रमुख सचिव	**डॉ. पल्लवी जैन गोविल**
उप सचिव	**श्रीमती मीनाक्षी सिंह**
उप सचिव	**श्रीमती दिशा नागवंशी**
उप सचिव	**श्री डी. एस. परमार**

विभाग प्रदेश के 43 जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है ।

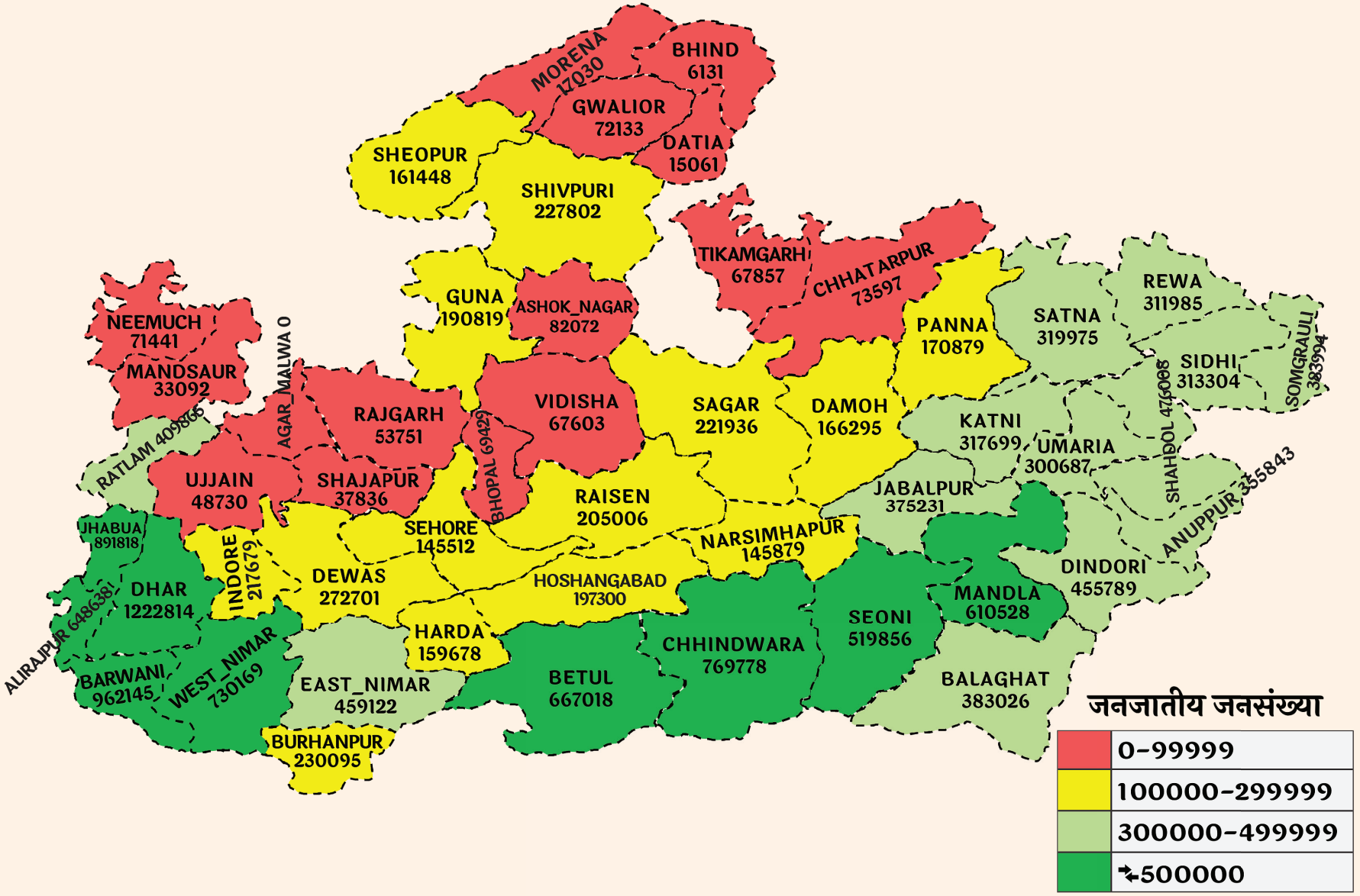

विभागाध्यक्ष

संचालक एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था	**श्री राजेश राजोरा**
आयुक्त, जनजातीय कार्य	**श्री संजीव सिंह**
संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह	**श्री संजीव सिंह**
संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ	**श्री रवीन्द्र सिंह**
सचिव, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	**श्री विक्रमादित्य सिंह**

विभाग अन्तर्गत निगम मंडल एवं संस्थाएँ

सचिव, ‘‘मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल	**श्री संजीव सिंह**
सचिव- बैगा, भारिया एवं सहरिया विकास प्राधिकरण	**श्री संजीव सिंह**
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद	**श्री हरजिंदर सिंह**
प्रबन्ध संचालक, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	**श्री कृष्ण गोपाल तिवारी**
प्रबन्ध संचालक, वन्या प्रकाशन	**श्रीमती मीनाक्षी सिंह**
प्रबन्ध संचालक, उद्यमी विकास संस्थान	**श्री हरजिंदर सिंह**
सचिव, मध्यप्रदेश कोल जनजाति विकास अभिकरण	**श्री नीतिराज सिंह**

क्षेत्रवार जनजातियां

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	विभाग की प्रशासनिक संरचना	1
2	म.प्र. की अनुसूचित जनजातियां : संक्षिप्त परिचय	6
3	**खण्ड-1** जनजातीय कार्य विभाग	9
4	म.प्र. स्पेशल रेसिडेंशियल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल	39
5	**खण्ड-2** संचालनालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश	40
6	**खण्ड-3** विशेष पिछड़ी जनजाति समूह मध्यप्रदेश	47
7	**खण्ड-4** जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था	49
8	**खण्ड-5** मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	52
9	**खण्ड-6** मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)	57
10	उद्यमी विकास संस्थान, मध्य प्रदेश	60
11	**खण्ड-7** वन्या प्रकाशन	61
12	**खण्ड-8** मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	65
13	**खण्ड-9** मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण	67
14	**खण्ड-10** अभिनव योजना	68
15	**खण्ड-11** महिला खण्ड	73
16	बजट प्रावधान एवं व्यय 2020-21 से 2022-23 परिशिष्ट -1, 2, 3	75
17	विशिष्ट आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर की सूची परिशिष्ट-4	91
18	सी.एम.राइज स्कूलों की सूची परिशिष्ट -5	96
19	विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु विदेश गये विद्यार्थियों की सूची परिशिष्ट -6	99
20	मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची परिशिष्ट-7	103
21	अनुसूचित क्षेत्र परिशिष्ट-8	105
22	जनजातीय बाहुल्य जिलों की एवं 89 जनजातीय बाहुल्य विकासखण्डों की सूची परिशिष्ट-9	107
23	जिलेवार कुल जनसंख्या एवं जनजातीय जनसंख्या परिशिष्ट-10	111
24	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-11	113
25	राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-12	115

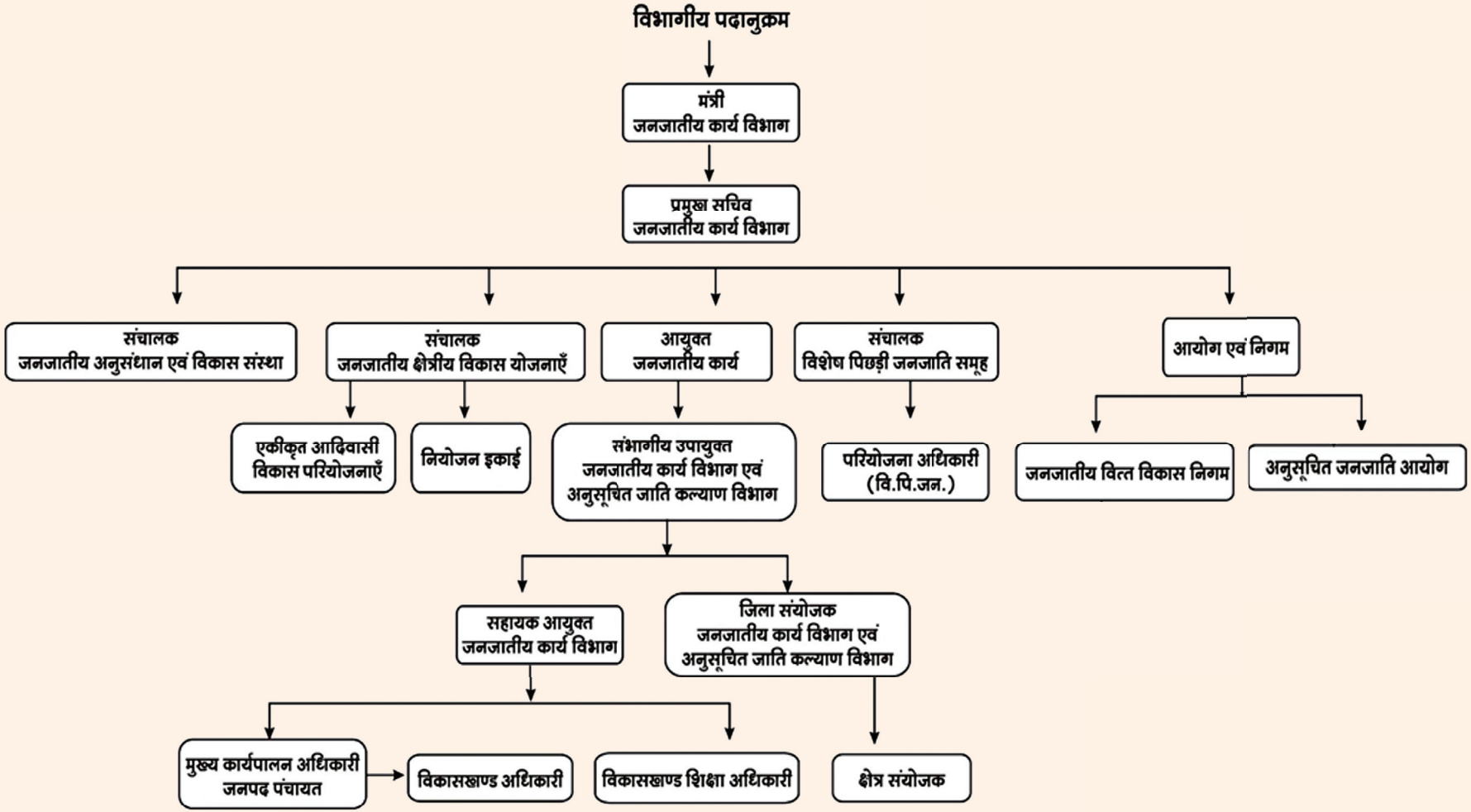
विभागीय पदानुक्रम
मंत्री
जनजातीय कार्य विभाग
प्रमुख सचिव
जनजातीय कार्य विभाग
संचालक
जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था
संचालक
जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
आयुक्त
जनजातीय कार्य
संचालक
विशेष पिछड़ी जनजाति समूह
आयोग एवं निगम
एकीकृत आदिवासी
विकास परियोजनाएँ
नियोजन इकाई
संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य विभाग एवं
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
परियोजना अधिकारी
(वि.पि.जन.)
जनजातीय वित्त विकास निगम
अनुसूचित जनजाति आयोग
सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग
जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग एवं
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
विकासखण्ड अधिकारी
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
क्षेत्र संयोजक

विभाग की प्रशासनिक संरचना

1. जनजातीय कार्य विभाग की प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार हैः-

1. राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के अधीन वर्तमान में तीन उपसचिव पदस्थ है।

2. विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं सम्बद्ध संस्थाएं :-

2.1 आयुक्त, जनजातीय कार्य

2.2 संचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था

2.3 संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ

2.4 संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह

2.5 मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

2.6 मध्यप्रदेश जनजातीय वित्त एवं विकास निगम

2.7 उद्यमी विकास संस्थान

2.8 वन्या प्रकाशन

2.9 मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्

2.10 मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

2.11 मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण

2.1 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु तीन प्राधिकरण -

1. बैगा विकास प्राधिकरण
2. भारिया विकास प्राधिकरण
3. सहरिया विकास प्राधिकरण

3. राज्य सरकार अंतर्गत विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008
3. म.प्र. अनुसूचित जाति एवं जनजाति का (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 2014 पुनः संशोधित 2016
4. अनुसूचित जाति/आदिवासी बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018

5. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम-2015 (यथा संशोधित)
6. छात्रावास संचालन नियम 1966-67
7. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1995 एवं संशोधन 2017
8. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) विनियम 2021.

4. जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य हैं:-

1. अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आते हैं)।
2. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा जनजातियों के हित संरक्षण हेतु आदिवासी मंत्रणा परिषद
3. जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्था
4. जनजातीय क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्वय
5. एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय परियोजनाएँ
6. जनजातीय उपयोजना (सब स्कीम) की अवधारणा तथा अनुमान
7. जनजातीय क्षेत्र विकास योजना तथा अनुसंधान
8. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, सेवानिवृत्ति वेतन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियों, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
9. जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासनिक नियंत्रण।
10. शैक्षणिक/आवासीय/रोजगारमूलक संस्थाओं का संचालन।
11. अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान तथा समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने हेतु योजनाओं का संचालन।

5. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ:-

1. जनजातीय उपयोजना (सब स्कीम) एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) की वार्षिक एवं निर्देशित योजना तैयार करना।
2. जनजातीय उपयोजना (सब स्कीम) तथा अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) अंतर्गत विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।
3. विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
4. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।

5. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

6. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) विनियम 2021 का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

6. संचालक, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था :-

- जनजातीय वर्ग से संबंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अध्ययन कार्य किये जाते है।

7. संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह -

- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने हेतु अभिकरण कार्यरत हैं, जिनका कार्यक्षेत्र 15 जिलों में हैं।

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की 03 जनजातियों यथा बैगा, भारिया एवं सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिसूचित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये राज्य स्तरीय प्राधिकरण अभिकरणों का गठन किया गया है। प्रत्येक प्राधिकरण में विशेष पिछड़ी जनजाति के अध्यक्ष तथा तीन अशासकीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाएँ बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु 11 अभिकरण कार्यरत हैं, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है।

अभिकरण मुख्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
अ. सहरिया विकास प्राधिकरण	
1. श्योपुरकलां	1. श्योपुरकलां 2. मुरैना 3. भिण्ड
2. शिवपुरी	4. शिवपुरी
3. गुना	5. गुना 6. अशोकनगर
4. ग्वालियर	7. ग्वालियर 8. दतिया
ब. बैगा विकास प्राधिकरण	
1. मंडला	9. मंडला
2. शहडोल	10. शहडोल
3. बालाघाट	11. बालाघाट
4. उमरिया	12. उमरिया
5. डिंडौरी	13. डिंडौरी
6. अनूपपूर	14. अनूपपूर

स. भारिया विकास अभिकरण (पातालकोट)	
1. तामिया	15. जिला छिन्दवाड़ा के विकासखण्ड तामिया के पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्राम

8. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग:-

- जनजातियों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये आयोग हितप्रहरी के रूप में कार्य करती है।

9. संभाग स्तर –

10 संभागीय कार्यालय में संभागीय उपायुक्त कार्यरत है। जिनके माध्यम से विभागीय संस्थाओं का प्रशासकीय नियन्त्रण एवं निरीक्षण तथा विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाता है। संभागीय कर्यालय निम्नानुसार है ।

1. भोपाल, 2. इंदौर, 3. उज्जैन, 4. ग्वालियर, 5. सागर, 6. जबलपुर, 7. रीवा, 8. शहडोल, 9. नर्मदापुरम तथा 10. चम्बल

10. जिला स्तर:-

10.1 प्रदेश के 26 जिलों में संभागवार सहायक आयुक्त के कार्यालय निम्नानुसार है। -

- भोपाल संभाग -भोपाल
- इंदौर संभाग – इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर
- जबलपुर संभाग - जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी
- ग्वालियर संभाग -ग्वालियर
- सागर संभाग – सागर
- उज्जैन संभाग- रतलाम
- शहडोल संभाग- शहडोल, उमारिया, अनूपपुर
- चंबल संभाग – श्योपुर
- रीवा संभाग – सिंगरोली, सीधी,
- नर्मदापुरम संभाग- नर्मदापुरम, बैतूल

10.2 जिला संयोजक :- प्रदेश के 26 जिलों में संभागवार जिला संयोजक के कार्यालय निम्नानुसार है।

- भोपाल संभाग – सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा
- जबलपुर संभाग – कटनी, नरसिंहपुर
- ग्वालियर संभाग – शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,दतिया

- सागर संभाग – दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़,निवाड़ी
- उज्जैन संभाग – देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा
- चंबल संभाग – मुरैना, भिण्ड
- रीवा संभाग – रीवा, सतना
- नर्मदापुरम संभाग – हरदा

10.3 परियोजना स्तर-

*परियोजना स्तर पर परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिये उत्तरदायी होते है । मध्यप्रदेश में जनजातीय क्षेत्र अंतर्गत, योजनाओं के निर्माण बजट प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए 26 वृहद परियोजनाएँ, 05 मध्यम परियोजनाएँ, 30 माडा पॉकेट्स एवं (मॉडीफाइड ऐरिया डव्हलपमेंट एजेंसी)एवं 06 लघु अंचल अस्तित्व में हैं।

10.4 विकासखण्ड स्तर-

राज्य के 89 जनजातीय विकास खण्डों की जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद स्वीकृत है ।इन विकास खंडों में पदस्थ अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

10.5 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी -

राज्य के 89 जनजातीय विकास खण्डों में से 74 विकास खण्डों में जनजातीय कार्य विभाग के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं। शेष 15 विकासखण्डों में यथा सैलाना, बाजना (रतलाम), खकनार (बुरहानपुर), खालवा (खण्डवा), बैतूल (बैतूल), कुरई, लखनादौन, छपारा, घंसौर,धनौरा (सिवनी) बिछिया (मंडला) बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, (बालाघाट), कुसमी (सीधी) में विकास खण्ड अधिकारी पदस्य हैं। जो विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करते है। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में संचालित विभागीय शालाओं के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक का कार्य संपादित करते हैं।

म.प्र. की अनुसूचित जनजातियाँ : संक्षिप्त परिचय

अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिये अनुच्छेद (342) में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है, परिभाषित किया गया है।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्यप्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन (1976) में इन्हें 46 समुदाय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2003 द्वारा म.प्र. की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है।

देश की तुलना में मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति पर एक नजर जनगणना 2011

क्र.	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश
1	कुल जनसंख्या	1,21,08,54,977	7,26,26,809
	पुरूष जनसंख्या	62,37,24,248	3,76,12,306
	महिला जनसंख्या	58,64,69,174	3,50,14,503
2	जनजातीय जनसंख्या	104,54,5716	1,53,16,784
	जनजातीय पुरूष जनसंख्या	52547215	77,19,404
	जनजातीय महिला जनसंख्या	51998501	75,97,380
3	जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	8.63%	21.09%
	म.प्र. में जनजातीय जनसंख्या का देश की जनजातीय की जनसंख्या से प्रतिशत	-	14.64%
4	जनजातीय समूह की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या	94083844	1,42,76,874
5	जनजातीय समूह की शहरी क्षेत्र की जनसंख्या	10,461,872	10,39,910
6	कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	17.69	20.35
	जनजातियों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	23.66	25.20
7	परिवारों की संख्या	24,66,92,667	1,49,67,597
	जनजातीय परिवारों की संख्या	2,33,29,105	31,22,061
8	लिंगानुपात	943	931
	लिंगानुपात - अनु. जनजाति	990	984

9	साक्षरता दर	74.04%	69.32%
	साक्षरता दर पुरुष	82.14%	78.73%
	साक्षरता दर महिला	65.46%	59.24%
10	साक्षरता दर - अनु. जनजाति	58.95%	50.55%
	साक्षरता दर - अनु. जनजाति महिला	49.35%	41.47%
	साक्षरता दर - अनु. जनजाति पुरुष	68.53%	59.55%
11	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	416	236
	अनु. जनजाति जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	32	50
12	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	-	156.35 लाख
	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनु.जनजाति की जनसंख्या	-	101.15 लाख
13	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी में)	6.41	0.93
14	कुल अनुसूचित जनजातियाँ (सूची परिशिष्ट-7)	705	43

हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान के तहत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं। विभाग द्वारा संचालित प्रदेश भर के क्रीड़ा परिसरों, विद्यालयों, विशिष्ट विद्यालयों, छात्रावासों और आश्रमों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये विभागीय बजट में कुल रुपये 4167182.05 लाख का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2022 तक कुल रुपये 624471.81 लाख का व्यय किया गया है।

प्रावधानित राशि में से मदवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः-

(राशि लाखो में)

क्र.	मद/ मांग संख्या	वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-2022		वर्ष 2022-23 (माह दिसम्बर 2022 तक)	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ.) आयुक्त, जनजातीय कार्य							
	मांग संख्या-33	808563.60	634933.25	899761.18	699351.54	1014715.39	594640.80
(ब.) जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.							
	मांग संख्या-33	88836.35	14232.61	88070.96	10933.93	3148482.63	28012.61
(स.) जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था							
	मांग संख्या-33	2305.70	587.67	2325.91	522.13	3984.03	1818.40

खण्ड-1

जनजातीय कार्य विभाग

राज्य सरकार द्वारा जनजातीय कार्य विभाग को प्रदेश में निवासरत जनजातीय वर्गों के सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक संरक्षण तथा विकास का दायित्व सौंपा गया हैं। प्रदत्त दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग जहाँ एक ओर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनायें संचालित कर रहा है वहीं दूसरी ओर आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग का दायित्व भी निर्वहन कर रहा है ।

1. शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन -

दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा-सुविधा देने के लिये प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ ही छात्रावास आश्रम शालाएँ तथा इसके अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। आश्रम शाला, विद्यालयों एवं आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, नेतृत्व क्षमता का विकास तथा शाला त्यागी (ड्राप आउट) दर को कम करना है।

विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक संस्थाओं तथा आवासीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है:-

क्र.	संस्था का नाम		संख्या
1	प्राथमिक शालाएं		22913
2	माध्यमिक शालाएं		6788
3	हाई स्कूल		1109 (707 विभागीय 402 RMSA)
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		898
5	विशिष्ट शाला	आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	08
		कन्या शिक्षा परिसर	81
		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित)	63
6	क्रीड़ा परिसर		26
7	आश्रम शालाएं		1078
8	जूनियर छात्रावास		195
9	सीनियर छात्रावास		1028
10	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास		210
11	महाविद्यालयीन छात्रावास		152
योग -			**34449**

2. शैक्षणिक संस्थाओं / छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार योजना -

(अ) विभागीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूलों के लिए पुरस्कार

1. बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसी संस्थाओं जिनके कक्षा 10 वीं एवं 12वीं के परीक्षाफल के कुल विद्यार्थियों के परीक्षाफल का औसत जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहा हो।
2. चयन हेतु ऐसी संस्थाऐं मान्य होंगी जिनमें कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पृथक-पृथक न्यूनतम 20 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा हो। जिले की समस्त संस्थाओं का परीक्षाफल विद्यार्थीवार संकलित किया जाकर संस्था का औसत परीक्षा परिणाम जिला स्तर पर तैयार किया जाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त संस्थाओं का चयन कक्षा 12वीं एवं कक्षा 10वीं हेतु पृथक-पृथक किया जाता है।
3. कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं के पृथक-पृथक परीक्षाफल में हाईस्कूल एवं उ.मा. शालाओं में से तीन-तीन संस्थाओं को प्रथम स्थान हेतु 25,000/- द्वितीय स्थान हेतु 15,000/-, तृतीय स्थान हेतु 10,000/- पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है ।
4. यह पुरस्कार वार्षिक होंगे।

(ब) छात्रावास/आश्रम हेतु पुरस्कार –

जिले में संचालित जो छात्रावास एवं आश्रम संचालन एवं संधारण के दृष्टिगत उत्कृष्ट रूप से संचालित पाये जाएंगे ऐसी संस्थाओं को चयनित कर जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप राशि रु. 50,000/-, 30,000/-, 20,000/- से पुरस्कृत किया जाता है ।

3. क्रीड़ा परिसर :-

जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राओं में खेल के प्रति रूचि विकसित करने के लिये विभाग द्वारा प्रदेश में 26 विभागीय क्रीड़ा परिसर स्वीकृत है । इनमें से 19 बालक तथा 07 कन्या क्रीड़ा परिसर है। ये क्रीड़ा परिसर पूर्णतः आवासीय है। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में 100 सीट स्वीकृत है। इंदौर में विशिष्ट क्रीड़ा परिसर जिसमें 200 सीट स्वीकृत हैं।

क्रीड़ा परिसरों का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के रूप में तैयार करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विधाओं में राज्य स्तर/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर खेल प्रतिभा का विकास करना है। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रुपये 3000/- प्रतिमाह खाने एवं पोषण आहार हेतु राशि दी जा रही है तथा वर्ष में एक बार प्रत्येक खिलाड़ी को रुपये 3000/- खेल किट के रूप में सुविधाएँ दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रावासों में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ इन विद्यार्थियों को प्रदाय की जा रही है।

क्रीड़ा परिसर में विभिन्न प्रकार की खेल विधाएँ संचालित की जा रही है। जैसे हॉकी,एथलेटिक्स, व्हालीबॉल, बेडमिंटन, हेंडबॉल, फुटबाल, टेबलटेनिस, लॉनटेनिस, तीरंदाजी, सॉफ्टवाल, जूडो, बास्केटबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल इत्यादि खेल विधाओं का अभ्यास कराया जाकर राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ी तैयार किये जाते है।

विशिष्ट -7 क्रीड़ा परिसर (निमार्णाधीन)

1	कन्या. क्रीड़ा परिसर कुक्षी	धार
2	बालक. क्रीड़ा परिसर इन्दौर	इन्दौर
3	बालक. क्रीड़ा परिसर जबलपुर	जबलपुर
4	बा. क्रीड़ा परिसर खरगोन	खरगोन
5	बालक. क्रीड़ा परिसर श्योपुर	श्योपुर
6	कन्या. क्रीड़ा परिसर झाबुआ	झाबुआ
7	बालक. क्रीड़ा परिसर शहडोल	शहडोल

4. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना:-

विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों एवं अन्य शालाओं के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्र एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विजेता होने पर निम्नानुसार पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

(अ) राष्ट्रीय स्तर -

(राशि रुपयों में)

क्र.	पुरस्कार	पुरस्कार राशि व्यक्तिगत	पुरस्कार राशि सामूहिक
1	प्रथम	21,000	10,000
2	द्वितीय	15,000	7,000
3	तृतीय	11,000	5,000

टीप:- सहभागिता पुरस्कार में राशि रुपये 4000/- दी जाती है ।

(ब) राज्य स्तर -

(राशि रुपयों में)

क्र.	पुरस्कार	पुरस्कार राशि
1	प्रथम	7,000
2	द्वितीय	5,000
3	तृतीय	3,000

उपलब्धियाँ वर्ष 2019-20

क्र.	स्तर	स्वर्णपदक	रजत पदक	कांस्य पदक	सहभागिता	कुल खिलाड़ी
1	राष्ट्रीय स्तर	12	14	05	145	176
2	राज्य स्तर	97	226	193	-	516

टीप:- कोरोना संक्रमण के कारण 2020-21 में खेलकूद प्रतियोगिताएं सम्पन्न नहीं हुई हैं।

5. आवासीय संस्थाएँ-छात्रावास/आश्रम योजना:-

प्रदेश के जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत कक्षा 01 से लेकर महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली , पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। छात्रावासों को निम्नानुसार पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

आश्रम/शालाऐं /छात्रावासों की संख्या तथा स्वीकृत सीट्स :-

क्र	छात्रावास के प्रकार	छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट संख्या		
		कन्या	बालक	कुल	कन्या	बालक	कुल
1	आश्रम शाला	510	569	1078	30516	31520	62036
2	जूनियर छात्रावास	27	168	195	1370	8471	9841
3	सीनियर छात्रावास	256	772	1028	14806	41274	56080
4	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	99	111	210	5688	6452	12140
5	महाविद्यालयीन छात्रावास	76	76	152	4220	4440	8660
	योग	**968**	**1696**	**2663**	**56600**	**92157**	**148757**

दिनांक 1.7.2022 से भोजन हेतु प्रति माह बालकों को रु. 1460/- एवं बालिकाओं को रू. 1500/- प्रति माह के मान से दस माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जा रही है। आवासीय सुविधाओं के संचालन हेतु अधीक्षक एवं शिक्षकीय स्टाफ आश्रम शालाओं में पदस्थ है।

आश्रम शालाओं का वित्तीय प्रावधान एवं व्यय:-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	15055.40	9947.18
2021-22	19896.82	8612.94
2022-23	19744.74	11896.04

जूनियर छात्रावासों का वित्तीय प्रावधान एवं व्यय:-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	9635.33	7800.54
2021-22	10061.74	7478.96

2022-23	10213.91	6201.09

सीनियर छात्रावासों का वित्तीय प्रावधान एवं व्यय:-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	19120.09	16046.01
2021-22	21524.95	14588.92
2022-23	21041.06	11998.43

महाविद्यालयीन छात्रावासों का वित्तीय प्रावधान एवं व्यय:-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	1509.68	1191.90
2021-22	2296.61	1174.37
2022-23	1353.40	416.65

उत्कृष्ट छात्रावास :-

छात्रावासों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी निवास करते है । उत्कृष्ट छात्रावासो में निवासरत विद्यार्थियों को शिष्यवृति के अतिरिक्त प्रतिमाह रूपये 200/- पोषण आहार तथा रूपये 2000/- प्रतिवर्ष स्टेशनरी एवं कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है ।

6. आवास सहायता योजना -

विभाग द्वारा जनजातीय बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा हेतु जिन्हें छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रुपये 2,000/- जिला स्तर पर राशि रुपये 1,250/- एवं विकासखण्ड/तहसील मुख्यालय स्तर पर राशि रुपये 1,000/- दिए जाने का प्रावधान है ।

विगत 03 वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि:-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	भौतिक उपलब्धि
2020-21	14716.33	12962.92	69649
2021-22	12000.00	9914.18	81480
2022-23	30700.00	18361.56	135838

7. शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ -

(अ) शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना- जनजातीय वर्ग के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सी.बी.एस.सी.) एवं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तीन विद्यार्थियों (बालक/बालिका) तथा अगले स्थान प्राप्त करने वाली केवल बालिकाओं को निम्न तालिका अनुसार राशि प्रदान की जाती है।

कक्षा 10वीं के लिये/ कक्षा 12वीं के लिये

क्रमांक	मेरिट सूची में स्थान	पुरस्कार राशि (हजार में)	
		कक्षा 10वीं के लिये	कक्षा 12वीं के लिये
1	प्रथम (बालक या बालिका)	51000/-	51000/-
2	द्वितीय (बालक या बालिका)	40000/-	40000/-
3	तृतीय (बालक या बालिका)	30000/-	30000/-
4	चतुर्थ (केवल बालिका)	15000/-	20000/-
5	पंचम (केवल बालिका)	10000/-	15000/-
6	षष्टम (केवल बालिका)	5000/-	10000/-

समान प्राप्तांक/स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

विगत दो वर्षो में पुरस्कृत विद्यार्थी:-

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		टिपणी
	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
2020-21	15.00		15.00	46	12वीं के 9 एवं 10वीं के 37 विद्यार्थी
2021-22	12.00		9.60	14	12वीं 6 10वीं में 8

(ब) मेधावी पुरस्कार योजना –

रानी दुर्गावती/शंकर शाह पुरस्कार योजना अंतर्गत पुरस्कृत विद्यार्थियों से प्रावीण्य सूची में से शेष रहे 52 बालक तथा 52 बालिकाओं को जिला स्तर पर रूपये 1000/- की पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

(स) आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना –

आदिवासी बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित के अंकों को ही आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक को सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत की सूची में 10 जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को रुपये 50000/- के मान से पुरस्कार राशि दिये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय प्रावधान एवं व्ययः-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	15.00	8.68
2021-22	12.00	10.10
2022-23	12.00	1.01

8. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साइकल प्रदाय योजना (6813)-

कक्षा 9 वीं में जिन जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को साइकल प्रदाय नही की गई है, ऐसी बालिकायें जो कक्षा 11 वीं में अध्ययन के लिये अपने निवास से 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन्हे साइकल हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर अनुरुप राशि दी जाती है।

विगत 03 वर्षों की उपलब्धिः-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	30.00	20.21
2021-22	10.00	2.20
2022-23	10.00	4.37

9. विद्यार्थी कल्याण (3997) -

- आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये सहायता देने के उद्देश्य से विद्यार्थी कल्याण योजना संचालित है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जो शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कक्षा 1 से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी हो।

देय आर्थिक सहायता राशि :-

क्र.	प्रयोजन	देय सहायता राशि
1	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	3000/-
2	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	3000/-
3	असामयिक विपत्ति	25000/-
4	विशेष रोग, कैंसर, टी.बी., हृदय रोग आदि	10000/-
5	मृत्यु पर (दुर्भाग्य पूर्ण घटना होने पर)	25000/-

योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों की उपलब्धि निम्नानुसार है-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	10.00	6.99
2021-22	15.00	1.16
2022-23	15.00	9.57

10. कन्या- साक्षरता प्रोत्साहन योजना (8844)

प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संकल्प 37 के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं बालिकाओं के शाला त्यागी ड्रॉपआउट रेट कम करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख मात्र) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 19.6.2020 को जारी किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 2281.50 लाख (बाईस करोड़ इक्यासी लाख मात्र) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 12.2.2021 को जारी किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1500 लाख (पन्द्रह करोड़ मात्र) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 25.11.2021 को जारी किया गया।

11. सैनिक स्कूल में शुल्क की प्रतिपूर्ति - (8801): -

सैनिक स्कूल रीवा में अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित है। म.प्र. के जनजातीय वर्ग के ऐसे छात्र जो सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश प्राप्त करते हैं उनका सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों की उपलब्धि निम्नानुसार है-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	264.00	261.87
2021-22	110.00	110.00
2022-23	110.00	109.99

12. प्रतिभा योजना - (2325)

प्रतिभा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जे.ई.ई. नीट, एन.आई.टी., एम्स, क्लेट, एन.डी.ए., एफ.डी. डी.आई,.एन.आई.एफ.टी. एवं आई.आई.एच.एम. में प्रदेश के जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा सफलता प्राप्त कर

राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश लेने पर जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/पालकों/स्वयं के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो ।

पाठ्यक्रम अनुसार प्रोत्साहन राशि का प्रावधान :-

क्र	पाठ्यक्रम	प्रोत्साहन राशि
1	(जे.ई.ई.) आई.आई.टी.	50,000
2	एम्स	50,000
3	एन.डी.ए.	50,000
4	क्लेट से एन.एल.आई.यू.	50,000
5	(नीट) मेडिकल कॉलेज (शासकीय कॉलेज	25,000
6	(एन.ई.ई.टी.) एन.आई.टी.	25,000
7	एन आई एफ टी	25,000
8	एफ डी डी आई	25,000
9	आई एच एम	25,000

विगत तीन वर्ष की उपलब्धि

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
2020-21	25.00	200	45.00	124
2021-22	30.00	200	22.95	79
2022-23	30.00	200	19.00	77

13. आकांक्षा योजना –(2324)

प्रदेश में जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते हुये राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- जे.ई.ई, क्लेट, नीट की परीक्षा की तैयारी के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संभाग स्तर पर कोचिंग दी जाना योजना का उद्देश्य है। योजनांतर्गत 03 संभागीय मुख्यालय, भोपाल, इंदौर जबलपुर में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में योग्य अध्ययनरत् विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।

योजना की पात्रता हेतु निम्नालिखित शर्ते आवश्यक हैं:-

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
2. कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक।
3. माता-पिता/पालकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक ।

कोचिंग अवधि में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएँ:-

अ. विद्यार्थी को छात्रावास सुविधा पर देय शिष्यवृत्ति 24 माह हेतु।

ब. कक्षा 11वी 12वीं में अध्ययनरत संस्था की वास्तविक फीस अधिकतम 25000/- वार्षिक ।

स. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमानुसार ।

द. विद्यार्थी की अतिरिक्त शैक्षणिक आवश्यकताओं/फीस की पूर्ति हेतु वास्तविक व्यय अधिकतम राशि रूपये 10000/- प्रतिवर्ष ।

विगत दो वर्ष की प्रगति :-

वर्ष		व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2019-20 2020-21	(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	279.70	346 विद्यार्थी चयनित (विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा)
2021-22 2022-23	(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	294.91	471 विद्यार्थी चयनित (विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा)

14. जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली में उच्च शिक्षा – (7634)

विभाग द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आवासीय एवं भोजन व्यवस्था के लिये प्रति माह रुपए 10,000/- के मान से प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष राशि रुपए 1,20,000/- स्वीकृत की जा रही है। योजनाओं क्रियान्वयन हेतु राशि विशेष आयुक्त मध्यप्रदेश भवन,नई दिल्ली को प्रदान की जाती है।

वर्ष	प्रावधान(राशि लाखों में)	व्यय (राशि लाखों में)
2020-21	35.00	0.00
2021-22	29.00	7.10
2022-23	30.00	18.00

15. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना –(8011)

म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ‘‘सिविल सेवा प्रोत्साहन’’ योजना संचालित की जा रही है।

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अभ्यार्थियों को देय राशि :-

प्रारंभिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर 40,000/-

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	60,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर	50,000/-

नोटः- अखिल भारतीय सिविल सेवा में उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के सफल अभ्यार्थी जिनके माता-पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को:-

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	-	20,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	-	30,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर	-	25,000/-

दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यार्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि देय होगी। एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है ।

योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि निम्नानुसार हैः-

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	100.00	80.82
2021-22	100.00	79.80
2022-23	100.00	100.00

16. अखिल भारतीय सेवाओं की सिविल सेवा परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंगः-(5205)

जनजातीय वर्ग के अभ्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु विभाग द्वारा ''अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये निजी कोचिंग'' योजना संचालित है।

कोचिंग हेतु मापदण्ड -

1 आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं जनजातीय वर्ग का सदस्य हो।

2 माता-पिता अभिभावक, स्वयं की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख (रूपये छः लाख) से अधिक न हो।

3 जनजातीय वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में (विगत तीन वर्षो में) उत्तीर्ण हुए हों, को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जाता है तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उत्तीर्ण है उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर Arts/ Commerce/ Science/Engineering Group/Medical Group हेतु स्नातक के प्राप्तांक के मेरिट

के आधार पर लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जाता है। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकाय में समान रूप से अंतरित की जाती है।

4 उक्त योजना में अभ्यार्थियों को योजना का लाभ एक बार ही प्रदान किया जाता है।

योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ -

1 योजना अंतर्गत चयनित अभ्यार्थियों को दिल्ली स्थित एंपैन्ल्ड संस्थान की कोचिंग शुल्क की राशि अधिकतम 2.00 लाख अथवा कोचिंग की वास्तविक शुल्क जो भी कम हो सीधे संस्थान को भुगतान की जाती है।

2 अभ्यर्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु सहायता राशि रूपये 15000/- एक बार में एक मुश्त प्रदाय की जाती है।

3 अभ्यार्थियों को शिष्यवृत्ति, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा हेतु रूपये 12500/-प्रतिमाह, अधिकतम 18 माह, उपस्थिति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

4 वर्तमान में योजना को परिष्कृत कर नये स्वरूप मे संचालन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि निम्नानुसार है

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	372.31	118.13
2021-22	100.00	99.70
2022-23	100.00	37.11

17. छात्रवृत्ति –

(अ) प्री-मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10वीं तक राज्य मद :- कक्षा 1 से 10वीं तक आय सीमा का बंधन नहीं है। राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10वीं तक का वितरण वर्ष 2013-14 से आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत राज्य छात्रवृत्ति योजना (10 माह हेतु) संचालित है छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:-

		बालक	बालिका
1	कक्षा 1 से 5 तक अनु.जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाऐं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया के बालकों के लिए	250	250
2	राज्य शासन अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 6 से 8 तक	200	600
3	राज्य प्री.मै. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10वी) योजना क्र. 6175-0102	600	1300

(ब) केन्द्र प्रवर्तित प्री.मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 9 से 10वीं तक) -

विभाग अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कक्षा 9 एवं 10 वीं के विद्यार्थियों जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख है, उनके लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गई। योजना का क्रियान्वयन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:-

अ	**गैर छात्रावासी**	**3000**	**3000**
ब	छात्रावासी	6250	6250

(स) कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति योजना (राज्य योजना मद अंतर्गत) -

(समग्र पोर्टल पर लोक शिक्षण द्वारा छात्रवृत्ति वितरण)				
क्र.	**छात्रवृत्ति का प्रकार**	**वार्षिक दर 10 माह हेतु**		**पालक की वार्षिक आय**
		डे स्कॉलर	**हॉस्टलर**	
1	पो.मैट्रिक अनु.जनजाति छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 11वीं एवं 12वीं (गैर छात्रावासी)	2300	2300	शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रूपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी,किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता होगी। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु जिनके माता / पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रूपये 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित शिक्षण शुल्क सहित नॉन रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।
2	पो.मैट्रिक अनु.जनजाति छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 11वीं एवं 12वीं (छात्रावासी)	3800	3800	

1. शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाकर निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रूपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नही होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता होगी।

2. अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु जिनके माता/ पिता /अभिभावक की वार्षिक आय 2.50

लाख रूपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रूपये 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित शिक्षण शुल्क सहित नॉन रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।

(द) कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना- (केन्द्र मद अंतर्गत)

यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें व शर्ते भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण बैंकों के माध्यम से होता है। समूहवार छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र.	समूह	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर (निर्वाह भत्ता हेतु)		राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
1	समूह प्रथम-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंजीनियरिंग)	1200/-	550/-	मेडिकल/इंजीनियरिंग के छात्रावासी हेतु रूपये 300/- की अंतर राशि राज्य स्त्रोत से दी जा रही है।
2	समूह द्वितीय-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम)	820/-	530/-	-
3	समूह तृतीय-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम द्वितीय समूह से अन्य)	570/-	300/-	-
4	समूह चतुर्थ (कक्षा 11 वीं एवं 12वीं)	380/-	230/-	-

(इ) विगत तीन वर्षों की उपलब्धि निम्नानुसार है:-

वर्ष 2020-21 (आंकड़े लाख में)

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1	8805 (0102) प्राथमिक स्तर के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8)	9900.00	9063.27	18.27	16.95
2	6175 (0102) प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं	1000.00	983.42	0.68	0.66

3	6175 (0702) केन्द्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 वीं एवं 10वीं)	1000.00	1000.00	3.50	3.43
3	2676 (0102/0802) पो.मे. छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन	33100.00	26655.07	3.72	3.70

वर्ष 2021-22 (राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	रिमार्क
1	8805 (0102) प्राथमिक स्तर के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8वीं)	6489.20	871.03	20.00	-	माह मार्च में छात्रवृत्ति का वितरण किया जावेगा ।
2	6175 (0102) प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं व 10वीं	1100.00	41.68	0.91	-	
3	6175 (0702) केन्द्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 वीं एवं 10वीं)	10000.00	1230.86	3.54	-	
4	2676 (0102/0802) पो.मे. छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन	36010.00	29072.96	3.50	-	

वर्ष 2022-23 (राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	रिमार्क
1	8805 (0102) प्राथमिक स्तर के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8वीं)	6500.00	5495.00	19.00	1672431	माह मार्च में छात्रवृत्ति का वितरण किया जावेगा।
2	9952 (0102) प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं व 10वी	1200.00	85.00	30000	-	
3	6175 (0702/0705) केन्द्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 वीं एवं 10वी)	12850.00	00	378000	-	

4	9943 (0102) पो.मे. छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन	5000.00	4000.00	7000	6295	
5	2676 (0702/0705) पो.मे. छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं एवं महाविद्यालयीन	53000.00	31767.28	350000	209046	

18. विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना(8842)

योजनांतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम, पी.एच.डी. और पोस्ट डॉक्ट्रेट अनुसंधान स्तर के प्रतिभाशाली जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना स्वीकृत है।

वित्तीय सहायता-

क्रमांक	मद	वर्तमान प्रावधान
1	निर्वाह भत्ता	9000 अमेरिकी डॉलर
2	आकस्मिक भत्ता	1000 अमेरिकी डॉलर
3	उपकरण भत्ता और अनुसांगिक यात्रा खर्चे	1500/- भारतीय मुद्रा में उपकरण भत्ता या 18 अमेरिकन डॉलर।
4	प्रवेश शुल्क	वास्तविक प्रवेश शुल्क
5	शिक्षण शुल्क	वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40000 यू.एस.डॉलर(वार्षिक)
6	बीमा प्रीमियम	बीमा प्रीमियम वास्तविक खर्च ।
7	वायुयान किराया	शैक्षणिक संस्था से निकटतम स्थान तक वायुयान से जाने एवं आने का लघुतम वायुमार्ग से एकॉनमी दर्जे का किराया
8	स्थानीय यात्रा	उतरने के पोर्ट से अध्ययन के स्थान तक जाने एवं वापसी यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी का रेल किराया। अन्य स्थान हेतु बस किराया
9	पोल टैक्स	वास्तविक खर्च
10	वीजा शुल्क	भारतीय रुपयों में वास्तविक वीजा शुल्क
11	साक्षात्कार यात्रा व्यय	प्रत्याशी के निवास स्थान से साक्षात्कार के निर्दिष्ट स्थान तक के शहर का द्वितीय श्रेणी रेल किराया या साधारण बस किराया

इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क, पोलटेक्स शुल्क एवं बीमा प्रीमियम, निवास स्थान से विमानपतन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं वापसी का इकॉनमी क्लास का वास्तविक किराया देय होगा।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता/मापदंडः-

क्रमांक	पद	प्रावधान
1	लक्ष्य	50 विद्यार्थी
2	आयु सीमा	35 वर्ष - 01 जनवरी की स्थिति में
3	पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर 35 पाठ्यक्रम, अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान के सभी पाठ्यक्रम, विधि, कामर्स, वित्तीय प्रबंधन, एम.बी.ए., पी.एच.डी., शोध
4	आय सीमा	10.00 लाख वार्षिक (पालक/अभिभावक/स्वयं की आय)
5	पाठ्यक्रम अवधि	स्नातकोत्तर : 2 वर्ष पी.एच.डी.- 4 वर्ष शोध- 1 वर्ष 6 माह
6	शैक्षणिक अर्हता	स्नातकोत्तर के लिए(स्नातक में योग्यता/प्रतिशतः- 55 प्रतिशत एवं पी.एच.डी. एवं उपरान्त शोध पाठ्यक्रमः- 50 प्रतिशत
7	संस्था का चयन	विदेशी शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु संस्था चयन स्वयं विद्यार्थी द्वारा
8	अवसर	एक परिवार के एक अभ्यर्थी को एक बार
9	संस्था में प्रवेश	चयन की सूचना प्राप्त होने से 3 वर्ष व पी.एच.डी. एवं शोध हेतु (02 वर्ष) की समयावधि में प्रवेश
10	पाठ्यक्रम/संस्था में परिवर्तन	स्वीकृत किए गए पाठ्यक्रम अथवा शोध चर्या में परिवर्तन नहीं।
11	सेवारत आवेदक	नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक मामले, अवकाश वेतन का निपटारा
12	छात्रवृत्ति हेतु पाठ्यक्रम	आदेश क्र.एफ- 12-9/2 /25 दिनांक 24 जुलाई 10 द्वारा केवल स्नातकोत्तर और उच्च स्तर की उपाधियों के लिए छात्रवृत्ति

विगत तीन वर्षों की उपलब्धि -

(राशि रुपये लाखों मे)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
2020-21	220.00	101.32	50	06 विद्यार्थियों का चयन, 02 छात्र, 03 छात्राऐं विदेश प्रस्थान कर चुके हैं ।
2021-22	220.00	146.54	50	03 छात्रों का चयन, 03 छात्र, विदेश प्रस्थान कर चुके हैं।
2022-23	220.00	126.49	50	14 छात्रों का चयन, 03 छात्र, विदेश प्रस्थान कर चुके हैं।

19. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति (584) -

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती है ।

विगत 02 वर्षों का व्यय एवं उपलब्धि:-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.	वर्ष	प्रावधान	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2020-21	3088.00	1630.99	150000	110000
2	2021-22	1000.00	760.00	100000	84445
3	2022-23	1000.00	640.00	80000	71112

20. शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य –

राज्य मद अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना-0102 अन्तर्गत प्राप्त राशि से छात्रावास, आश्रम, कन्या शिक्षा परिसर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाता है ।

वर्ष 2022-23 तक स्वीकृत कार्य एवं पूर्व वर्षो के स्वीकृत पूर्ण हुए कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ में)

क्र	योजना का नाम	कुल निर्माणाधीन कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल प्रदाय आवंटन	व्यय	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
1	कन्या शिक्षा परिसर	65	1785.511	1785.511	1568.76	33
2	गुरूकुलम विद्यालय से एकलव्य आवासीय विघालय	04	112.00	112.00	65.77	0
3	एकलव्य आवासीय विद्यालय (अतिरिक्त कार्य सम्मिलित)	15	310.98	310.98	245.67	07
4	क्रीड़ा परिसर भवन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य	08	151.80	106.62	54.66	02
5	संयुक्त छात्रावास भवन	20	135.25	119.76	75.92	04
6	संभाग स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति के 250 सीट्स कन्या/ बालक छात्रावास	03	57.47	57.47	5.17	0

7	विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 कौशल विकास केन्द्र	05	29	29	762	01
8	छात्रावास (राज्य मद)	44	91.22	38.22	18.04	05
9	आश्रम शाला (राज्य मद)	10	13.25	12.10	8.68	05
10	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	101	117.94	80.26	24.00	05
11	सांस्कृतिक केन्द्र	04	36.20	13.99	5.50	0
12	शाला भवन (केन्द्र मद)	01	0.95	0.95	0.54	0
13	सीनियर एवं महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास	23	49.78	13.00	13.00	0
14	सामुदायिक भवन निर्माण	50	34.50	0.00	0.00	0
15	पी.व्ही.टी.जी. योजनान्तर्गत सीनियर कन्या/बालक छात्रावास	20	41.87	34.50	34.50	01
16	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण	189	409.37	0.00	0.00	0
17	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत छात्रावास भवन निर्माण	214	713.28	0.00	0.00	0
18	सी. एम.राईज योजनान्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	23	67882.00	26200.00	1500.00	23 कार्य प्रगतिरत
19	(9545) विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	-	16082.41	15095.33	4551.49	जिलों को राशि सीधे आवंटित की जाती है

21. राज्य मद अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्य-

वर्ष 2022-23 तक राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जा रहे है –

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्य की प्रगति
1	65 कन्या शिक्षा परिसरों का भवन निर्माण	114951.10	33 कन्या शिक्षा परिसर भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं शेष 22 कन्या शिक्षा परिसर भवनों का निर्माण मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है ।

2	15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण	19345.32	07 कार्य पूर्ण। शेष 08 कार्यो को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
3	08 क्रीड़ा परिसर भवनों का निर्माण	6107.77	02 कार्य पूर्ण शेष 06 कार्य निर्माणाधीन है जिन्हें मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
4	04 गुरूकुलम विद्यालय भवनों का निर्माण	1600.00	सभी 04 कार्य विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है जिन्हें मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
5	118 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	16621.93	22 कार्य पूर्ण हो चुके है । शेष 96 कार्य विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है जिन्हें मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
6	संभाग स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति के 250 सीट के 03 कन्या, बालक छात्रावास भवनों का निर्माण	2500.00	01 कार्य प्रगति पर है मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । शेष 02 कार्य अप्रारम्भ है ।

वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राज्य मद अन्तर्गत (महाविद्यालयीन छात्रावास भवन -6502) 16 कन्या महाविद्यालयीन तथा 06 महाविद्यालयीन बालक छात्रावास (कुल 22) कुल प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 4771.80 लाख प्राप्त हुई है। महाविद्यालयीन छात्रावास भवनों का निर्माण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिसम्बर 2023 तक पूर्ण कराया जावेगा ।

वर्ष 2021-22 में स्वीकृत तथा 22 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण तथा पूर्व के भवन विहीन 12 कन्या शिक्षा परिसर इस प्रकार कुल 35 कन्या शिक्षा परिसर लागत राशि रूपये 35000.00 लाख का निर्माण कार्य दिसम्बर 2023 में पूर्ण कराया जायेगा ।

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि लाखों में)	कार्य की प्रगति
1	65 कन्या शिक्षा परिसरों का भवन निर्माण	63600.00	33 कन्या शिक्षा परिसर भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 32 कन्या शिक्षा परिसर भवनों का निर्माण मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
2	संभाग स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति के 250 सीट्स के 03 कन्या एवं बालक छात्रावास भवनों का निर्माण	5747.00	1 कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है 2 भवनों का कार्य अप्रारम्भ है ।
3	08 क्रीड़ा परिसरों का निर्माण	9600.00	6 कार्य प्रगति पर है तथा 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं

4	13 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण	15600.00	07 कार्य पूर्ण । शेष 06 कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
5	04 गुरूकुलम विद्यालय भवनों का निर्माण	4800.00	04 कार्यो में से 03 कार्य पूर्ण।01 कार्य प्रगतिरत है जिसे मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
6	20 संयुक्त छात्रावास भवनों का निर्माण	6880.00	04 कार्य पूर्ण । शेष 16 कार्य विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है जिन्हें मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
7	विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 कौशल विकास केन्द्र	2900.00	सभी 05 कार्य विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है जिन्हें मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

22. अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना –(4722)

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों, बस्ती वार्ड में मूलभूत सविधाऐं उपलब्ध कराना यथा – समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें, नाली निर्माण मुख्य सडक से अनुसूचित जनजाति ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह) आदि के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

विगत तीन वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रावधान	व्यय
1	2020-21	5000.00	4253.97
2	2021-22	6000.00	5520.46
3	2022-23	6000.00	1489.47

23. मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान –(0671)

अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति चेतना के प्रचार- प्रसार करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। विभागीय अनुदान नियम 1985 अंतर्गत पात्रता रखने वाली पंजीकृत अशासकीय संस्थाऐं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम से जुड़ी है, पात्र होती है। योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग से संपर्क करना होता है।

वर्तमान में 32 अशासकीय संस्थाएँ संचालित है। जिन्हें विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है।

विगत तीन वर्षो का प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	9300.00	8150.54
2021-22	5015.00	4284.64
2022-23	4015.00	2198.47

24. जनजातीय संस्कृति का संवर्धन, परिरक्षण एवं विकास:- (9553)

जनजातीय वर्ग की मौलिक संस्कृति से जुड़ी हुई लोक कलावृत्तियों, लोक नृत्य-संगीत की मौलिक गुणवत्ता को सुरक्षित रखने तथा युवा वर्ग को जोड़ने हेतु यह योजना संचालित है । योजनातंर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, सम्मेलन, सेमीनार, कार्यशाला आदि कार्यक्रमों के आयोजन आदि।

अ-आदिवासी प्रतिनिधियों की नई दिल्ली यात्रा :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के आमंत्रण पर म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा चयनित जनजातीय वर्ग से एक पुरूष एवं एक महिला को संरक्षक अधिकारी के साथ नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का अवलोकन तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय मंत्रियों से सौजन्य भेंट तथा दिल्ली एवं आस-पास के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाता है।

ब-मध्यप्रदेश विकास दर्शन कार्यक्रम:-

योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय गंणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी से 27 जनवरी तक मध्यप्रदेश विकास दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । उक्त कार्यक्रम में 25 जनवरी को प्रदेश के समस्त 52 जिलों के जनजातीय वर्ग से एक पुरूष एवं एक महिला कुल 104 प्रतिभागियों को आमंत्रित कर 26 जनवरी को लाल परेड ग्राउन्ड पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का अवलोकन कराया जाता है, अपरांह में मुख्य सचिव म.प्र. शासन, पुलिस महानिदेशक से सौजन्य भेंट कराई जाती है तथा सांयकाल में माननीय राज्यपाल महोदय से सौजन्य भेंट कराई जाती है। 27 जनवरी को प्रतिभागियों को उपहार वितरण कर कार्यक्रम के समापन उपरांत अपने-अपने गंतव्य के लिये रवाना किया जाता है ।

स-जनजातीय सम्मेलनों का आयोजन :-

1. **04 अप्रैल 2022:** ग्राम कोटडा विकासखण्ड झिरन्या जिला खरगोन में माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जननायक टंट्या मामा भील जन्मोत्सव कार्यक्रम एवं जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया ।
2. **18 सितम्बर 2022:** वेटनरी ग्राउन्ड जबलपुर म.प्र. में माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजा श्री शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उनके शहीद स्थल (बलिदान दिवस) पर जनजातीय सम्मेलन आयोजित कार्यक्रम आयोजन किय गया ।

3. **12 नवम्बर 2022:** मुख्यमंत्री निवास भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस आयोजन के परिपेक्ष्य में समन्वयगणों की कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

4. 15 नवम्बर 2022 लालपुर शहडोल म.प्र. में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी एवं माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में भगवान बिरसा मुण्डा जंयती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम 2022 एवं जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किय गया । दिनांक 15 नवम्बर 2022 को 89 जनजातीय विकासखण्डों के मुख्यालय में विकासखण्ड स्तरीय भगवान बिरसा मुण्डा की जंयती के अवसर पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम 2022 का आयोजन एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम (शहडोल) का वेव पेज कास्ट द्वारा प्रसारित किया गया ।

5. 23 नवम्बर 2022 से 04 दिसम्बर 2022 तक जिला-खण्डवा/ खरगोन/ बड़वानी/ धार म.प्र. में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' अंतर्गत क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा/ पेसा कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार माननी मंत्रीगण / विधायक गण / आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

6. 04 दिसम्बर 2022: पातालपानी (महु) इन्दौर म.प्र. में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक क्रांतिकारी बलिदानी टंट्या मामा भील के बलिदान दिवस कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम इन्दौर में आयोजन किया गया।

25. नेतृत्व विकास शिविर शैक्षणिक भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम :-

प्रदेश के समस्त 52 जिलों से जनजातीय वर्ग से 52 छात्र, 52 छात्राऐं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के 15 अभिकरणों के जिलों से पी.व्ही.टी.जी. वर्ग से 15 छात्र, 15 छात्राऐं एवं समस्त 89 जनजातीय विकासखण्डों से जनजातीय वर्ग के 89 छात्र, 89 छात्राऐं इस प्रकार कुल 312 छात्र-छात्राओं को आमंत्रित कर राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर/शैक्षणिक भारत दर्शन भ्रमण का आयोजन प्रबंधक आई.आर.सी.टी.सी. भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावास भवन भोपाल के माध्यम से किया जाता है ।

26. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 2015 (यथा संशोधित) -

अनुसूचित जनजाति राहत योजना का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद जनजाति परिवारों को तुरन्त राहत पहुँचाना है जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटापन्न स्थिति में है। उन्हें तत्संबंधी जरूरत पूरी करने के लिये शासन की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्त्रोत से तुरन्त आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो।

1. योजना के मापदण्ड :-

(राशि रूपये में)

क्र.	स्वीकृति के अधिकार	राशि
	आयुक्त	15,000/-
	कलेक्टर	10,000/-
	एस.डी.एम. एवं विभागीय जिला अधिकारियों को स्वीकृति के अधिकार है।	5,000/-

ब- विगत दो वर्षो की प्रगति :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	100.00	10.12
2021-22	40.00	5.18

27. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 संशोधन 2016 -(5191)

म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति अत्याचार निवारण यथासंशोधित नियम, 2016 अन्तर्गत राहत एवं सहायता जिला दण्डाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल विभिन्न अत्याचारों के लिये पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार या आश्रितों को नियम में उल्लेखित अनुसार सहायता / राहत दी जाती हैं । पीड़ित अथवा आश्रित जन के बचत बैंक खाते में राशि जमा की जाती है।

योजनांतर्गत विगत दो वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2020-21	3665.00	3658.30
2021-22	2905.00	2742.52
2022-23	3205.00	2740.43

28. विभागीय वेबसाइट -

MPTAASC कम्प्युटरीकरण परियोजना अंतर्गत विभागीय वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in संचालित है। यह GIGW (Guidelines for Indian Government Website) एवं WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) के मानकों का पालन करते हुए bilingual (हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा) में तैयार की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग से सम्बंधित आवश्यक जानकारी (जैसे दायित्व एवं उद्देश्य, प्रशासनिक संरचना, कौन क्या है, योजनायें, नियम एवं अधिनियम, सूचना का अधिकार, MPTAASC, MP Vanmitra उपयोगकर्ता पुस्तिका इत्यादि) उपलब्ध कराई गयी है।

MPTAASC: Tab के माध्यम से कम्प्युटरीकरण परियोजना अंतर्गत ऑनलाइन की गयी योजनाओं के आवेदन एवं वर्तमान स्थिति प्राप्त की जा सकती है, इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित User Manual, Reports को उपलब्ध कराया गया है।

Orders and Circulars: परिपत्र सेक्शन में शासन एवं संचालनालय, संभाग एवं जिला स्तर से जारी किये गए समस्त शासकीय आदेश/ परिपत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी को उपलब्ध कराया गया है।

Gallery: विभागीय गतिविधियां जैसे विमोचन, प्रशिक्षण, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि से सम्बंधित फोटोग्राफ अपलोड किये गये हैं।

Helpdesk: मुख्यालय स्तर पर स्थापित की गयी हेल्पडेस्क का टोल फ्री नंबर एवं ईमेल आईडी को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है जिसपर संपर्क कर हितग्राही अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं।

विभागीय योजनाओं का कम्प्यूटीकरण (MPTAASC)

- वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की PMS एवं छात्रावास योजनाओं को MPTAASC परियोजना अंतर्गत शामिल किया गया है।
- **प्रोफाईल पंजीयन-** विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को विभागीय वेबसाइट https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAASC पर स्वयं का ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 'नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' पर उपलब्ध कराई गई है। प्रोफाइल पंजीकरण अंतर्गत अब तक 15,49,581 प्रोफाइल पंजीकरण हो चुके हैं।
- MPTAASC अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को कोष एवं लेखा विभाग के IFMIS पोर्टल पर जोड़ने एवं उनके employee code आवंटित किये गये।
- MPTAASC अंतर्गत वर्तमान में मॉड्यूल/एप्लीकेशन के माध्यम से निम्नांकित योजनायें संचालित हैं-
    - अनुसूचित जनजाति प्रतिभा योजना
    - अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता
    - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (PMS-College)
    - हॉस्टल मॉड्युल (उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, सीनियर छात्रावास, जूनियर छात्रावास, महाविद्यालयीन छात्रावास)
    - विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम, स्कूल एवं छात्रावास
    - विशिष्ट संस्था (आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/गुरुकुलम, कन्या शिक्षा परिसर, उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय)
    - आकांक्षा योजना
    - क्रीड़ा परिसर
    - स्कूल मॉड्युल अंतर्गत प्रोफाईल पंजीयन एवं पोस्ट मैपिंग (हायर सेकेंडरी शालाएं, हाई स्कूल, माध्यमिक शालाएं, प्राथमिक शालाएं
    - आश्रम
    - आहार अनुदान योजना
    - Profile Registration Module
    - Teacher Module

- Payment Module
- User Onboarding
- Assisted Beneficiary Profile Application
- EMRS Payment Module v1.0
- NGO Module
- Reports/Dashboard Module
- Admission in Special School
- Helpdesk Module

निम्नांकित मॉड्यूल/एप्लीकेशन अंतर्गत योजनायें संचालित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है-

- अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग (UPSC Coaching)
- मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार
- विद्यार्थी कल्याण
- साइकिल का प्रदाय
- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को प्रोत्साहन
- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनायें (कक्षा ग्यारहवीं)
- विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
- दिल्ली में उच्च शिक्षा

विभागीय हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों को विभागीय Pool Account से DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में वर्ष 2022-23 में अब तक लगभग राशि रूपये 655.99 करोड़ (रूपये छः सौ पचपन करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) के भुगतान की कार्यवाही की गई है।

29. अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण -

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्य कुशलता में वृद्धि किये जाने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभागीय पदोन्नतियां**
2. **नियुक्तियाँ/स्थानान्तरण/विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण**

1.1 राजपत्रित संवर्ग (पदोन्नति) के स्वीकृत/भरे एवं रिक्त पद (दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	अपर आयुक्त, (प्रशासनिक सेवा)	02	01	01
2	अपर आयुक्त, (विभागीय)	03	00	03
3	अपर संचालक	12	04	08
4	उपायुक्त	40	11	29
5	सहायक आयुक्त	32	11	21
6	अनुसंधान अधिकारी	20	04	16
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	02	00	02
8	कार्यपालन यंत्री	01	00	01
9	जिला संयोजक /सहायक परि.प्र./ सहायक संचालक	41	06	35
10	सहायक अनुसंधान अधिकारी	28	00	28
11	प्रचार अधिकारी	01	00	01
12	विकासखण्ड शिक्षाधिकारी (प्रशासन संवर्ग)	31	01	30
13	क्षेत्र संयोजक/विकासखण्ड अधिकारी	91	27	64
14	लेखाधिकारी	08	00	08
15	सहायक यंत्री	05	03	02
16	आयुक्त के निज सहायक	01	00	01

1.2 राजपत्रित 130 पदों के सीधी भर्ती के पदों की स्थिति (दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में)

क्र	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	जिला संयोजक	27	21	06
2	सहायक अनुसंधान अधिकारी	18	01	17
3	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	89	00	89

4	क्षेत्र संयोजक/विकासखण्ड अधिकारी	30	12	18
5	सहायक यंत्री	02	00	02

1.3 शिक्षा संवर्ग के पदों की स्थिति (दिसम्बर 2022 तक) –

क्र	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	123	25	98
2	प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	828	214	614
3	प्राचार्य हाई स्कूल	769	335	434
4	व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक/वरिष्ठ अध्यापक	9899	4662	5236
5	प्रधान पाठक	3451	2782	669
6	उच्च श्रेणी शिक्षक /माध्यमिक शिक्षक/ अध्यापक	34714	25813	8901
7	सहायक शिक्षक /प्राथमिक शिक्षक/ सहायक अध्यापक	54625	42720	11905
8	प्रयोगशाला शिक्षक	2245	549	1696
9	खेलकूद शिक्षक	974	321	653
10	गायन वादन शिक्षक	46	0	46

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23

क्र	पद नाम	भर्ती हेतु विज्ञापित	भरे पद	रिक्त पद
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक	2220	1038	1182
2.	माध्यमिक शिक्षक	5704	4178	1526
3.	प्राथमिक शिक्षक	11098	0	11098

टीप- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

1.4 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों की स्थिति (दिसम्बर 2022 तक) –

क्र	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	उपयंत्री	46	27	19
2	मण्डल संयोजक	211	54	157
3	कनिष्ठ लेखाधिकारी	110	27	83
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	103	30	73
5	कार्यक्रम निरीक्षक	15	05	10

1.5 वर्ष 2021-22 में किये गये स्थानांतरण (दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में)

क्र	सवंर्ग का नाम प्रशासकीय	स्वैच्छिक	योग	रिक्त पद
1	अपर आयुक्त विभागीय	00	00	00
2	अपर संचालक	00	00	00
3	उपायुक्त	01	01	02
4	सहायक आयुक्त	03	02	05
5	अनुसंधान अधिकारी	00	01	01
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	00	00	00
7	कार्यपालन यंत्री	00	00	00
8	जिला संयोजक/ सहायक परियोजना प्रशासक/सहायक संचालक	04	03	07
9	सहायक अनुसंधान अधिकारी	00	00	00
10	प्रचार अधिकारी	00	00	00
11	(अ)विकासखंड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन संवर्ग)	00	00	00
12	क्षेत्र संयोजक/विकासखंड अधिकारी	02	04	06
13	सहायक यंत्री	00	00	00
14	आयुक्त के निज सहायक	00	00	00
15	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	00	00	00
16	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	00	00	00

1.6 स्थानान्तरण - प्राचार्य/व्याख्याता संवर्ग वर्ष दिसम्बर 2022 तक

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वैच्छिक	प्रशासनिक	कुल
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	00	00	00
2	प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	06	01	07
3	प्राचार्य हाईस्कूल	10	02	12
4	व्याख्याता/ उच्चतर माध्यमिक शिक्षक	06	00	06

1.7 स्थानान्तरण - शिक्षक संवर्ग वर्ष दिसम्बर 2022 तक

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वैच्छिक	प्रशासनिक	कुल
1	सहायक शिक्षक/ प्राथमिक शिक्षक	1045	31	1076
2	उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक	425	06	431
3	उच्च माध्यमिक शिक्षक	01	01	02

1.8 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों के स्थानांतरण की स्थिति (दिसम्बर 2022 तक)

क्र	संवर्ग का नाम	स्वैच्छिक	प्रशासनिक	कुल
1	उपयंत्री	02	02	04
2	मण्डल संयोजक	01	00	01
3	कनिष्ठ लेखाधिकारी	02	00	02
4	अर्धकुशल कारिगर	01	00	01
	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	00	00	00
	कार्यक्रम निरीक्षक	00	00	00

विभाग जांच प्रकरणों की जानकारी - (दिसम्बर 2022 तक)

पूर्व के शेष प्रकरण	दिनांक 1.4.2021 से दिनांक 31.12.2022 तक संस्थित प्रकरण	योग (कॉलम 1 एवं 2)	दिनांक 1.4.2021 से दिनांक 31.12.2022 तक निराकृत	शेष प्रकरण
30	01	31	01	30

विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी दिसम्बर 2022

क्र.	प्रकरणों का प्रकार	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	पाल प्रतिवेदन/वादौत्तर प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	पालन प्रतिवेदन/वादौत्तर हेतु शेष प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
1	अवमानना	219	195	24
2	याचिका	1518	1300	218
3	रिट अपील	34	33	01
4	रिव्यू याचिका	06	05	01
5	एस एल पी	08	07	01

म.प्र. स्पेशल रेसिडेंशियल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (सरस) भोपाल

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से शत-प्रतिशत अनुदान पर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 81 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आदर्श आवासीय विद्यालय (कुल 152 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों) का संचालन म.प्र. स्पेशल रेसिडेंशियल एण्ड एकेडमिक सोसायटी भोपाल द्वारा किया जा रहा है।

प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 240 बालक एवं 240 बालिका के मान से कुल 480 सीटें स्वीकृत हैं। इसी प्रकार कन्या शिक्षा परिसर में प्रति कक्षा 70 सीट बालिकाओं के मान से कुल 490 एवं प्रत्येक आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रति कक्षा 35 सीट बालक के मान से कुल 245 स्वीकृत हैं। (सीबीएसई पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्यापन कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों के संचालन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति गठित है)

सत्र 2021-22 में इन विद्यालयों में 11050 बालक एवं 33704 बालिका कुल 44754 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

सोसायटी की कार्यकारिणी समिति :-

- अध्यक्ष- माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग
- उपाध्यक्ष- प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग
- सचिव- आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.
- नवीन नियमानुसार कार्यपालिक समिति का गठन किया जाकर आवश्यक्तानुसार समय-समय पर कार्यपालिक समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक में विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय) के संचालन के संबंध में समुचित समीक्षा कर निर्णय लिये जाते है।

विगत दो वर्षो का सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों का परीक्षा परिव्यय निम्नानुसार है ।

वर्ष	कक्षा 12वीं प्रतिशत	कक्षा 10वी प्रतिशत
2021	77.99	95.99
2022	72.00	82.00

खण्ड-2

संचालनालय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश

जनजातीय उपयोजना :-

राज्य की जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के मान से उपयोगी योजनाओं हेतु बजट का आवंटन जनजातीय उपयोजना के तहत किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार का जनजातीय कार्य विभाग नोडल एजेंसी का कार्य करता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कुल बजट प्रावधान में उनकी समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से जनजातीय उपयोजना अत्यन्त उपयोगी साधन रहे है।

सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की योजनाओं अंतर्गत प्रावधानित कुल बजट राशि में अनुसूचित जनजाति वर्ग की न्यायोजित हिस्सेदारी बनी रहे, इसके लिए सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु पृथक प्रावधान जनजातीय उपयोजना (Sub Scheme) के रूप में बजट में प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जनजातीय उपयोजना अंतर्गत वर्षवार प्रवाधानित बजट एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रू. लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	अंतिम बजट प्रावधान	व्यय
2020-21	2704758.76	2807741.38	2470731.07
2021-22	3009768.20	3317920.88	2727797.46
2022-23	3636282.29	3845162.33	2190192.00 (दिसंबर 2022 तक)

भारत सरकार, नीति आयोग नई दिल्ली के पुनरीक्षित निर्देश दिनांक 18 जून 2014 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक एफ-19/50/2017/1/4] दिनांक 25.07.2017 द्वारा आदिवासी उपयोजना के प्रतिवेदन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु संस्थागत तंत्र एवं ढांचे की स्थापना हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यपालन समिति का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना:-

राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के मान से उपयोगी योजनाओं हेतु बजट का आवंटन अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया जाता है। अनुसूचित जाति के विकास हेतु उनकी जनसंख्या (15.62%) से अधिक राशि राज्य आयोजना में प्रावधानित की जा रही है।

सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की योजनाओं अंतर्गत प्रावधानित कुल बजट राशि में अनुसूचित जाति वर्ग की न्यायोजित हिस्सेदारी बनी रहे, इसके लिए सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग

को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु पृथक प्रावधान अनुसूचित जाति उपयोजना (Sub Scheme) के रूप में बजट में प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विकास विभागों के बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रू. लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	अंतिम बजट प्रावधान	व्यय
2020-21	1805379.74	1945165.34	1821375.11
2021-22	1810679.97	1999337.58	1728263.21
2022-23	2114026.15	2222068.17	1211819.50 (दिसंबर 2022 तक)

विशेष केन्द्रीय सहायता

"प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना"(PMAAGY)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSS) की मौजूदा योजना के वर्तमान स्वरूप को परिवर्तित कर "प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना" (PMAAGY) प्रारम्भ की है। योजना में बुनियादी अद्योसंरचना के कार्य जैसे :- सड़क (Internal and Inter village), टेलीकॉम कनेक्टिविटी (मोबाइल/इंटरनेट)] स्कूल, आंगनवाडी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र,पेयजल सुविधा, ड्रेनेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, सामुदायिक वन विकास, वन धन योजना एवं जल संसाधनों का संरक्षण प्रमुखता से लिये जाना है।

भारत सरकार द्वारा योजना के पांच वर्षो हेतु प्रदेश के कुल 7307 ग्रामों का चयन किया जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 12 जिलों के 1204 ग्रामों का चयन किया गया है। जिसमें बड़वानी जिले के 493, खण्डवा जिले के 225, सिंगरौली जिले के 183, बुरहानपुर जिले के 105, गुना जिले के 84 दमोह जिले के 40, रीवा जिले के 21, नरसिंहपुर जिले के 31, छतरपुर जिले के 10, राजगढ़ जिले के 06, विदिशा जिले के 05 एवं भोपाल जिले के 01 ग्राम सम्मलित है । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल 03 जिलों के 1329 ग्राम जिसमें धार जिले के 690 ग्राम, झाबुआ जिले के 559 एवं श्योपुर जिले के 80 ग्रामों का चयन किया गया है।

प्रति ग्राम राशि रू. 20.38 लाख के मान से राशि निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारत सरकार से 1195 ग्रामों के लिए राशि रूपये 230.17 करोड़ की कार्य योजना की स्वीकृति दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को प्राप्त हो गई है। वर्तमान में 2022-23 की योजना ग्राम स्तर से बनाई जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

संविधान के अनुच्छेद 275(1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परिवार/स्व-सहायता समूह/समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाऐं तथा अधोसंरचना विकास कार्यों के अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

अनुसार विभिन्न विकास विभागों एवं परियोजनाओं से प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं। विभिन्न विकास विभागों एवं परियोजनाओं से प्राप्त प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कार्यपालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाते हैं। कार्यपालन समिति के अनुमोदन पश्चात प्रस्तावों पर भारत सरकार स्तर पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से अनुमोदित प्रस्तावों के लिये निर्गमित राशि संबंधित विभाग/परियोजनाओं को आवंटित कर कार्य संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सियों से कराये जाते हैं। विगत 03 वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रू. लाख में)

क्र	वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से स्वीकृत राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि	व्यय/भारत सरकार को प्रेषित यू.सी.
1	2	3	4	5
1	2020-21	18353.40	4279.78	3383.81
2	2021-22	5319.10	5319.10	1563.55
3	2022-23	14701.98	4744.81	0.00

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा पॉकेट तथा लघु अंचल

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाऐं एवं 30 माडा पॉकेट तथा 06 लघु अंचल संचालित है। प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के लिये परियोजना सलाहकार मण्डल गठित है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे माडा पॉकेट एवं लघु अंचल जो किसी परियोजना से संबंधित नहीं है, उनके लिये जिला योजना समिति की उप समिति अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति परियोजना सलाहकार मंडल का दायित्व निभा सकेंगी।

मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण के लिये सुझाव देने हेतु "मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की नियमावली 1957" लागू की गयी है । मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रं./एफ-20-2-2013-3-पच्चीस, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुर्नगठन किया गया है। जिसका कार्यकाल मार्च,2020 में समाप्त होकर मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रं./एफ-20-2-2013-3-पच्चीस, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है।

आदिम जाति मंत्रणा परिषद की आयोजित बैठकों की जानकारी :-

क्रमांक	वर्ष	जनजातीय मंत्रणा परिषद बैठक दिनांक
1	2020-21	23.12 2020
2	2021-22	30.11.2021
3	2022-23	03.01.2023

वनअधिकार अधिनियम 2006 की प्रगति

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वर्ग वन निवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को संक्षिप्त नाम वन अधिकार अधिनियम 2006 और FRA ACT 2006 के नाम से भी जाना जाता है।
- वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने के वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 बनाये गये।
- यह अधिनियम प्रदेश में 01 जनवरी 2008 से लागू हुआ।
- जनजातीय कार्य विभाग को इसके क्रियान्वयन के लिये नोडल विभाग बनाया गया।

वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य

- अनुसूचित जनजातियों और पीढ़ियों से वनों में निवास करने वाली अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों एवं वन भूमि के उपभोग को सुनिश्चित करना ।
- जैव विविधता (Biodiversity) का संरक्षण और परिस्थिति की संतुलन (Ecological Balance) बनाये रखना।
- अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुनिश्चित करना।

वन अधिकार पत्र के प्रकार

- वनअधिकार पत्र दो प्रकार के दिये जाते है:-

1. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र

2. सामुदायिक वनअधिकार पत्र

- व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र :-

1. निवास हेतु

2. कृषि कार्य हेतु

3. निवास एवं कृषि कार्य दोनों हेतु

- सामुदायिक वन अधिकार पत्र :-

वनभूमि के परपम्परागत रूप से सामुदायिक उपयोग किये जाने यथा चरनोई के अधिकार, रास्ते के अधिकार, मछलीपालन के अधिकार, श्मशान भूमि, धार्मिक/पूजा स्थल, गौण वन उत्पाद संग्रहण, जलाशयों में पानी के उपयोग, गिरी-पड़ी लकड़ी बीनने के अधिकार आदि सामुदायिक अधिकार ग्रामसभाओं को दिये जाते है।

वन अधिकार की पात्रता

- अनुसूचित जनजाति वर्ग

- 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वनभूमि पर काबिज हो।
- आजीविका के लिये वनभूमि पर निर्भर हो ।

- **अन्य परम्परागत वर्ग**
  - 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वनभूमि पर काबिज हो।
  - 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ी या 75 वर्ष से वन क्षेत्र का निवासी हो ।
  - आजीविका के लिये वनभूमि पर निर्भर हो ।
- व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अधिकतम 04 हैक्टेयर की सीमा तक दिया जा सकता है।
- प्रदत्त वन अधिकार वंशागत (Heritable) होगा।
- सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को जायेगा।
- वन अधिकार संक्रमणीय या अंतर्णीय (Transferable) नहीं है ।
- वन अधिकार पत्र पति-पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से जारी होगा।
- परिवार का मुखिया एकल व्यक्ति होने पर एकल मुखिया के नाम से वनअधिकार दिया जायेगा।
- दावे की मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक दावेदार को उसकी काबिज वनभूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा ।

वन अधिकार की प्रगतिः-

विवरण	व्यक्तिगत		सामुदायिक	योग
	अनुसूचित जनजाति वर्ग	अन्य परम्परागत वर्ग		
प्राप्त दावे	431097	154229	42187	627513
निराकृत दावे	431097	154229	42187	627513
मान्य दावे	270963	4003	29996	304962
अमान्य दावे	160134	150226	12191	322551
लंबित दावे	0	0	0	0

एमपी वन मित्र

- राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 के द्वारा प्रदेश में पूर्व के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।
- पूर्व के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण किये जाने हेतु ऑनलाइन 'एमपी वनमित्र पोर्टल' विकसित किया

गया।

- तीनो स्तरों की वन अधिकार समितियों द्वारा दावों का पुनः परीक्षण ऑनलाइन किया जा रहा है।
- दावों के ऑनलाइन निराकरण से पारदर्शिता व जबाबदेही सुनिश्चित हो रही है ।
- सभी गतिविधियों के लिए एसएमएस/ईमेल अधिसूचना एवं डिजिटल रिकार्ड तैयार करने जैसी कई विशेषताएं है।

एमपी वनमित्र की प्रमुख तकनीकी विशेषताऐं:-

- आधार के माध्यम से दावेदार पंजीकरण किया गया जिससे दावों का दोहरीकरण न हो।
- वन अधिकार अधिनियम के अनुरूप पुनर्विचार एवं दावेदार को अपील का अवसर प्रदान करना ।
- पूर्व में मान्य दावों के पोलीगोन डाटा के साथ कार्टोसैट उपग्रह की इमेजरी का एकीकरण किया गया।
- पोलीगोन के ओवर लैपिंग के माध्यम से दावों का सत्यापन करना।
- मोबाइल के द्वारा एमपी वन मित्र सर्वे ऐप से वनभूमि का माप कर नक्शा तैयार करना।
- दावेदारों की काबिज वनभूमि के शेप फाइल फॉर्मेटमेंजी आईएस डेटाफारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को उपलब्ध कराना।
- वनाधिकार धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु सर्वे मॉड्यूल तैयार किया गया।

निरस्त दावों के पुन: परीक्षण की प्रगति:-

विवरण	व्यक्तिगत		सामुदायिक	योग
	अनुसूचित जनजाति वर्ग	अन्य परम्परागत वर्ग		
पूर्व के निरस्त दावों की संख्या जिनका पुन: परीक्षण किया जाना है	198036	150775	12066	360877
निराकृत दावों की संख्या	144522	103301	6285	254108
मान्य किये दावों की संख्या	34935	266	0	35201
अमान्य किये दावों की संख्या	109587	103035	6285	218907
पुन: परीक्षण हेतु शेष दावों की संख्या	53514	47474	5781	106769

- उपरोक्त में जनजातीय वर्ग के 49851, अन्य परम्परागत वर्ग के 42618 एवं सामुदायिक 6285 दावे जिलों द्वारा विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये हैं। इन कुछ 98754 निरस्त दावों का पुन: परीक्षण एम.पी.वनमित्र

पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया।

वनग्रामों के राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन की प्रगतिः-

1. म.प्र.जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. एफ 23-2 /2021/25-3/384 दिनांक 22 अप्रैल 2022 द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ज) के प्रावधान अंतर्गत परिशिष्ट -ब अनुसार प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

2. म.प्र.जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के संयुक्त (प्रमुख सचिव राजस्व एवं प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग) पत्र क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 दिनांक 26 मई 2022 द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश जारी किये गये है।

3. अभी तक जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों द्वारा 706 वनग्रामों के राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन के दावे को मान्य किया गया है। यह कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) की बसाहटों के हेबिटेट राईट्स की प्रगतिः-

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ड) में प्रावधानित है कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों को आवास (पर्यावास) के सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी जावे।

2. प्रदेश में 03 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTGs) सहरिया, बैगा एवं भारिया निवासरत है।

3. जिला डिंडौरी के बैगाचक के 07 बैगा बाहुल्य ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के हेबिटेट्स राईट्स प्रदान किये गये है।

4. जिला मंडला में बैगा जनजाति बाहुल्य 16 ग्रामों के हेबिटेट्स राईट्स को मान्यता प्रदान की गई है।

5. जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड तामिया में पातालकोट में स्थित 12 भारिया जनजाति के ग्रामों में हेबिटेट्स राइट्स को मान्यता प्रदान की गई है।

जनजातीय कार्य विभाग के अधीन सीएम राइज विद्यालयों के शिक्षकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भदभदा रोड स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए।

खण्ड-3

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह म.प्र.

संरक्षण सह विकास योजना (सीसीडी प्लान) भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष पिछड़े जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़े जनजातीय वर्गों के चहुंमुखी विकास हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

1. आंगनवाड़ी भवन सह-शिक्षा केंद्र विकासः-

सीसीडी प्लान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राशि रूपये 4521.60 लाख स्वीकृत की गई एवं इस राशि के विरूद्ध राशि रूपए 2888.69 लाख विमुक्त की जा चुकी है एवं शेष राशि भारत सरकार से अपेक्षित है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन सह शिक्षा केन्द्र विकास भवनों का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. 20 छात्रावास (बालक/बालिका) निर्माण -

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत विभाग अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाने के लिये 20 छात्रावासों के निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 4400.00 लाख स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

3. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माणः-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्वालियर, शहडोल, एवं जबलपुर संभाग मे जिले एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति के जनसमुदाय को लाभ पहुंचाने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कुल राशि रुपये 2150.00 लाख के विरूद्ध लंबित दायित्व की राशि रूपए 500.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमोदित विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के अंतर्गत 10 विकासखंडों (चंदेरी, तामिया, मोहगांव, भितरवार, परसवाड़ा, करैरा, दतिया, पहाड़गढ़, कराहल एवं पाली-2) में प्रति यूनिट रु. 50.00 लाख के मान से कुल राशि रुपये 500.00 लाख के विरूद्ध आवंटन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. मंडला जिले की बैगा महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रमः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिले मंडला हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Livelihood Programme For Women of Baiga स्वीकृत कार्ययोजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 47.10 लाख आवंटित कर से मंडला जिले की 84 बैगा महिलाओं को प्रति इकाई राशि रूपये 56,072 के मान से लाभान्वित किया जा रहा है।

5. कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

वित्तीय वर्ष 2017-18 से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 05 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्र छिंदवाड़ा, डिंडौरी, शहडोल, शिवपुरी एवं मंडला जिलों

में खोले जाने हेतु प्रति केन्द्र रूपए 596.00 लाख के मान से कुल राशि रुपये 2984.00 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण निरन्तर संचालित है। कौशल विकास केन्द्र निर्माण होने के पश्चात मैपसेट, भोपाल के सहयोग से प्रतिवर्ष 7500 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

6. आजीविका मिशनः-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिये Impacting Livelihood of baigas Tribal by optimal use of Land Received Under FRA' NRLMP कार्ययोजना हेतु राशि रूपये 983.20 लाख स्वीकृति अनुमोदित की गयी। उक्त राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 491.60 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में शेष राशि रूपये 491.60 लाख का आवंटन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को योजना क्रियान्वयन हेतु दिया जा चुका है। उक्त कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी निरन्तर क्रियान्वित की जा रही है।

7. पीवीटीजी 06 छात्रावासों में अतिरिक्त सुविधाः-

विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के छात्रावासों में अतिरिक्त सुविधा कार्ययोजना हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा 3 जिलों (इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) में 6 छात्रावासों हेतु प्रति यूनिट राशि रूपए 11.60 लाख के मान से कुल राशि रूपये 70.00 लाख का आबंटन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8. आहार अनुदान योजना

विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये राशि जमा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 237251 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 311.32 करोड़ का व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 230242 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 270.00 करोड़ का व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपए 290.00 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसके विरूद्ध 239741 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 210.12 करोड़ (माह दिसम्बर-2022 तक की स्थिति में) का व्यय किया गया।

खण्ड-4

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था

संस्था के दायित्व :

1. प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा शासन की कल्याणकारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजातियों एवं उपयोजनाओं के रीति रिवाजों, रहन-सहन, बोली-भाषा उनके भौतिक अभौतिक वस्तुओं व सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन कर प्रतिवेदन / मानव शास्त्री प्रतिवेदन तैयार करना एवं उनका दस्तावेजीकरण करना, ताकि शासन स्तर से जनजातीय वर्ग के लिये योजनाऐं तैयार की जावें।
3. प्रदेश की जनजातीय संस्कृति एवं बोलियों पर शोध कार्य करना, उनका दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन करना।
4 संस्था के तीन कक्षों व एक गैलरी को लघु संग्रहालय के रूप में तैयार कर प्रदेश की जनजातियों के लगभग 1100 आर्टिफेक्टों (भौतिक व सांस्कृतिक वस्तुओं) का प्रदर्शन, संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है।
5. राज्य स्तरीय श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, छिन्दवाड़ा का संचालन संस्था द्वारा किया जाना।
6. प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक, अनुष्ठानों का छायांकन व वृत्ति चित्र संस्था द्वारा तैयार किये जाते हैं।
7. आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ विभिन्न विकास विभागों के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं कार्यपालिक कर्मचारियों को जनजातीय विषयों व संचालित योजनाओं के बारे में पुर्नरध्ययन प्रशिक्षण देना।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों/राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
9. भारत सरकार द्वारा देश की अन्य टीआरआई के साथ समन्वय के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश टीआरआई को सितम्बर 2008 में नोडल टीआरआई बनाया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश एवं राजस्थान टीआरआई को शामिल किया गया है। संस्था इन चारों टी.आर.आई. को समय-समय पर मार्ग-दर्शन प्रदान करती है।

संस्था के कार्यों की वर्षवार उपलब्धियां -

1. अनुसंधान एवं मूल्यांकन कार्य :

संस्था द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न आयामों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जीवन-शैली तथा रीति-रिवाजों व विकास योजनाओं पर अनुसंधान, मूल्यांकन एवं अन्य शोध कार्य पूर्ण किये जाते हैं, जिनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

क्रं.	विवरण	उपलब्धियाँ					
		वर्ष 2020-21 का लक्ष्य	उपलब्धि	वर्ष 2021-22 का लक्ष्य	उपलब्धि	वर्ष 2022-2023 का लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2022 तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	अनुसंधान/ मूल्यांकन	10	10	20	17	25	11 शोध प्रतिवेदन अनुमोदनाधीन
2	सेमिनार	02	01	02	-	03	-

2. प्रशिक्षण कार्य :

संस्था द्वारा विभिन्न विषयों पर आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों तथा कार्यपालिक कर्मचारियों, जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता राजस्व अधिकारियों तथा जांचकर्ता पुलिस अधिकारियों, अत्याचार निवारण अधिनियम तथा पंचायती राज नियम एवं अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है। प्रशिक्षण की उपलब्ध्यां इस प्रकार हैं :-

क्रं.	विवरण	लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (सत्र/प्रशिक्षणार्थी)				वर्ष 2022-2023
		वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-22		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	सत्र/प्रशिक्षणार्थी
	प्रशिक्षण सत्र	30/900	कोरोना महामारी के कारण प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन नहीं किया गया	30/900	2/50	प्रशिक्षण छात्रावास भवन का रेनोवेशन कार्य प्रारम्भ होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम विचाराधीन रहेंगे।

3. संदर्भ-अन्वेषण संबंधी कार्य :

संस्था द्वारा प्रदेश की जातियों से संबंधित प्राप्त संदिग्ध प्रकरणों का परीक्षण कर उन पर शासन को अभिमत दिया जाता है, जो इस प्रकार है :-

क्रं.	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)
1.	2.	3.	4.	5.
1	जाति संबंधी प्रकरणों का परीक्षण	140	120	68

4. प्रकाशन संबंधी कार्य :

संस्था द्वारा विभिन्न जनजातीय विषयों पर किए गए अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन तथा शोध कार्य संबंधी प्रतिवेदन व पुस्तकें तैयार कराई जाती है, जिनका प्रकाशन संस्था द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है :-

क्रं.	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2012-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)
1.	2.	3.	4.	5.
1	अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन	04	08	01
2	पुस्तकों का प्रकाशन	04	03	01

5. पुस्तकालय :

संस्था का एक जनजातीय संदर्भ पुस्तकालय है, जिसमें जनजातीय विषयों से संबंधित लगभग 24,800 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। प्रतिवर्ष नवीन पुस्तकों के क्रय की कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ दुर्लभ पुस्तकें है जो टी.आर. आई. भोपाल में संधारित है । पुस्तकालय में शोधार्थियों के अध्ययन के लिये पर्याप्त व्यवस्था है।

6. जनजातियों की भाषा संस्कृति एवं बोलियों का संरक्षण, नागरिक शिक्षा और विकास :-

जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा प्रदेश की जनजातीय संस्कृति एवं बोलियों के संरक्षण और विकास के लिए गोंड़, मवासी एवं भील जनजाति के परम्परागत गीतों पर आधारित कार्यशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है।

7. प्रदेश की विभिन्न जनजातीय कार्यक्रमों, उत्सव, मेला, प्रदर्शनी इत्यादि का छायांकन कर चित्रावली (फोलियो) के रूप में तैयार किए जाते हैं । वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आदिवासी महोत्सव आदिरंग के लगभग 100 छायाचित्र लिये गये। इसके अतिरिक्त वृतचित्र (डॉक्यूमेंन्ट्री) का कार्य भी किया जाता है।

8. संग्रहालय :-

संस्था में लघु संग्रहालय संचालित है, जिसमें प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय चार कक्षों व एक गैलरी में संचालित है जिसमें दुलर्भ आर्टिफेक्टों को प्रदर्शित किया गया है

श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा का संचालन भी संस्था द्वारा किया जाता है। तथा 10 एकड़ भूमि में संचालित है। इसमें लगभग 12 कक्षों तथा चार गैलरियों में प्रदेश की जनजातियों के दुलर्भ आर्टिफेक्टों का प्रदर्शन किया गया है। संग्रहालय के नवीन भवन के निर्माण हेतु 38 करोड़ रू.स्वीकृत किये गये है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

खण्ड-5

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

निगम के उद्देश्य :-

1. मध्यप्रदेश के जनजातीय वर्गो का आर्थिक, सामाजिक, एवं शैक्षणिक विकास करना ।
2. शोषण समाप्त कर उन्हें विकसित कर गरीबी रेखा जनजातीय वर्ग को ऊपर उठाना ।
3. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधाजन ऋण/अनुदान उपलब्ध कराना।

निगम के दायित्व:-

प्रदेश के आदिवासी वर्ग के युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये स्वरोजगार हेतु आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर स्वावलंबी बनाना।

वर्ष 2022-23 में प्राप्त आरम्भ नवीन योजनाओं का कार्यक्रमों का विवरण एवं उनकी प्रगति

म.प्र. आदिवासी वित एवं विकास निगम के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 03 नवीन योजनाएं आदिवासी वर्ग के लिये संचालित की जा रही है।

1) भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना

योजना का लाभ – केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता सम्बंधित प्रावधान है। :-

1- परियोजना सीमा	(अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिए राशि रू. 1 लाख से रू. 50 लाख तक की परियोजनाएँ। (ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रू 1 लाख से रू. 50 लाख तक की परियोजनाएँ।
2-पात्रता :	18 - 45 वर्ष ।
(क) आयु	न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
(ख) शैक्षणिक योग्यता	(अ) परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो।
(ग) आय सीमा	(ब) परिवार से आशय: (i) आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा (ii) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है। (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे- MFI/NBFC/ SFB/PACS इत्यादि का डिफाल्टर ना हो।
(घ) अन्य	(ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

3- वित्तीय सहायता : ब्याज अनुदान (अ) योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/ शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), निगम द्वारा दिया जायेगा।

गांरटी फीस म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।

4-प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

5-पात्र परियोजनायें उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अंतर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।

6-पात्र बैंक पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) है।

7- योजना का क्रियान्वयन : इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा, तथा सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/ शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा।

योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निर्धारित पोर्टल में ही अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के नाम से संचालन होगा जो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होगा।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अन्तर्गत आवेदन करने पर भी उसे इस योजना अन्तर्गत पात्रता की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा।

2) टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

योजना का लाभ – केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता सम्बंधित प्रावधान है।

1- परियोजना सीमा : सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रू. 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाएं।

2- पात्रता :

(क) आयु : 18 - 55 वर्ष ।

(ख) आय सीमा : (अ) आयकर दाता न हो।

(ग) अन्य : (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे- MFI/ NBFC/SFB/

PACS इत्यादि का डिफॉल्टर ना हो।

(ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

3- वित्तीय सहायता :

(1) ब्याज अनुदान : योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष (Out-standing) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।

(2) गांरटी फीस : म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।

4- प्रशिक्षण : योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

5- पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।

6- पात्र बैंक : पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI(Member Lending Institution) है।

7- योजना का क्रियान्वयन : इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा, तथा सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से योजना का संचालन (अनुश्रवण) कराया जावेगा। योजनान्तर्गत जिला स्तर पर विभिन्न स्वरोजगर मूलक कार्यो से जुडे विभागों- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

3) मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना

1. योजना का उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में विभिन्न लाइन विभागों यथा- कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि विभागों अथवा जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधिकतम राशि रूपये 2 करोड़ तक के ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना/परियोजना में किया जाना संभव न हो, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, का शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाता है।

2. योजना का क्रियान्वयन :

2.1 राज्य स्तर पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल योजना का नोडल एजेन्सी होगा।

2.2 लाइन विभागों/ जिला कलेक्टरों से नोडल एजेन्सी को प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को विभागीय अनुशंसा उपरान्त अंतिम रूप से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति के द्वारा अनुमोदन पश्चात अनुमोदित परियोजना की स्वीकृति शासन द्वारा दी जाएगी।

2.3 योजना का क्रियान्वयन लाइन विभागों/ जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा।

3. पात्रता :

लाइन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त ऐसे परियोजना प्रस्ताव, जो कि लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना/ परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अंत्यत उपयोगी एवं आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।

4. वित्तीय सहायता :

उपरोक्त बिंदु 3.2 अनुसार शासन स्वीकृति के आधार पर शत – प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा देय होगा ।

5. जिला स्तर पर परियोजना की समीक्षा:

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं आदि विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है। :-

· जिला कलेक्टर/कलेक्टर प्रतिनिधि	-	अध्यक्ष
· मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
· संबंधित लाईन विभाग का जिला अधिकारी	-	सदस्य
· परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि	-	सदस्य
· आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि	-	सदस्य
· सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, ज.क. विभाग	-	सदस्य
· महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	-	सदस्य
· सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	-	सदस्य-सचिव

6. भूमि -

परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता राजस्व विभाग अन्तर्गत प्रचलित, नजूल निर्वतन नियम एवं इस संबंध में विभिन्न विभागों की नीति में किए गए प्रावधानों के अधीन होगी।

परियोजना शासन के शत-प्रतिशत अनुदान पर आधारित होने के कारण अंतिम स्वामित्व शासन का होगा, जिसका उपयोग विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श उपरांत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

7. वित्तीय प्रवाह :

लाईन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के अंतिम रूप से चयन उपरांत परियोजना लागत की राशि शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में परियोजना के बचत खाते में सीधे हस्तांतरित (DBT) किया जायेगा।

8. परियोजना अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधि : -

8.1 इस योजना अंतर्गत आजीविका, स्वरोजगार एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा अनुषांगिक गतिविधियों को लिया जा सकेगा ।

8.2 पूँजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग कुल परियोजना लागत होगा।

योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.	योजना	कुल वार्षिक भौतिक लक्ष्य	प्रस्तुत/ प्राप्त कुल प्रकरण की संख्या	स्वीकृत कुल प्रकरण संख्या	वितरित कुल प्रकरण संख्या	रिमार्क
	1	2	3	4	5	6
1	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	10000	6891	534	225	समस्त पोर्टल से प्राप्त जानकारी
2	भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	1000	7297	497	266	समस्त पोर्टल से प्राप्त जानकारी
3	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना	10	-	-	-	स्वीकृति संबंधी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है

खण्ड-6

1. मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)

मेपसेट का परिचय:

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मूलतः आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्डल) वर्ष 1981 से जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों मे वृद्धि हेतु स्थापित है। वर्ष 1989 में संस्था के कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिये तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को भी शामिल किया गया।

मेपसेट के उद्देश्य

1. परिषद् का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शासन के निर्देशानुसार अन्य कोई जाति या वर्ग के सदस्यों को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से सभी उपयुक्त कार्य करना है, जिसमें निम्न बिन्दु सम्मिलित है:-

    i. कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों का प्रशिक्षण ।

    ii. सभी स्तर की औपचारिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था जिसमें कुशल मजदूर, तकनीशियन आदि भी सम्मिलित हों।

    iii. प्रशिक्षित एवं गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण जिससे कि वे अन्य रोजगार अपना सकें।

    iv. तकनीकी कौशल के विकास के लिए व्यापक आयोजन व उसके आवश्यक क्रियान्वयन की व्यवस्था करना।

    v. शासकीय विभागों एवं शासन के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

    vi. उक्त सभी प्रयोजनों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, छात्रवृत्तियां, उपहार, पुरस्कार आदि देना।

1.2. उपरोक्त सूची के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय व हस्तांतरण करना।

1.3. आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी कौशल के विकास के लिये वे अन्य समस्त कार्य करना जो वांछनीय, आवश्यक अथवा सहायक हों।

1.4. व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना बनाना व जिन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता हो, वहां इसके प्रबंधन करना।

1.5. ऐसे विभिन्न संस्थाओं की जो आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण का कार्य कर रही हों।

1. अपने को संबद्ध करना और उनके प्रशिक्षण के स्तर को तय करना अथवा उसके लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण करना।

2. आवश्यकतानुसार उन्हें ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबद्ध करना जो तत्संबंधी परीक्षालेने का कार्यकरती हो।

1.6. स्थानीय संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण का प्रबंध करना।

1.7. ऐसे समस्त कार्य करना जो सामान्य सभा द्वारा परिषद् के हित में या अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य कोई पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आवश्यक समझा जाए।

परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिये विभिन्न आवासीय/गैर आवासीय रोजगारमूलक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वर्षान्त दिसम्बर 2022 की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलधियों की जानकारी

क्र.	वर्ष	वर्ग	लक्ष्य	प्रशिक्षण पूर्ण	रिमार्क
1	2022-23	अनुसूचित जनजाति	10000	7357	शेष प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है, वर्तमान में 3089 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार में संलग्न कराया गया है।
2	2022-23	पीव्हीटीजी	1200	810	शेष प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है, वर्तमान में 347 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार में संलग्न कराया गया है।

प्रशिक्षण पश्चात कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के मानदण्डों अनुसार नियोजन की कार्यवाही कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी:-

(1) अनुसूचित जनजातीय शीर्ष

क्र.	वर्ष	प्राप्त राशि (लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख में)	रिमार्क
1	2022-23	0.00	727.97	TADP से आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत CTD के माध्यम से परिषद् को पूर्व वर्षो में राशि प्राप्त कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु।
2	2022-23	246.00	393.29	05 पीव्हीटीजी प्रशिक्षण केन्द्र पर कौशल विकास प्रशिक्षण

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग हेतु कौशल विकास के प्रगति एवं नवीन योजनाएं -

1. परिषद् द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह(पीव्हीटीजी) के लिए विकसित किये गये 05 विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र-शिवपुरी, मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, तामिया जिला छिन्दवाडा में पीव्हीटीजी वर्ग के 1200 युवक/युवतियों को प्रतिवर्ष डोमेस्टिक डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न कराया जावेगा। आगामी वर्षो में इन केन्द्रों में PGDCA+CPCT व DCA+CPCT कोर्सेस चलाये जाना प्रस्तावित है।

2. वाहन चालक प्रशिक्षण योजनांतर्गत जनजाति वर्ग की 200 बालिकाओं को वाहन चालक का प्रशिक्षण उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिण्डौरी, मण्डला, झाबुआ एवं बैतूल में संचालित है। 85 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है । प्रशिक्षण उपरांत बालिकाओं को ओला व उबर जैसी कम्पनियों में रोजगार प्रदान किया जायेगा।

3. प्रदेश के 09 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं कक्षा के अध्ययनरत 374 छात्रों को कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेण्ट(कोपा) का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। जिससे 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों के पास एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र /दक्षता हो जो कि उनके रोजगार में सहायक होगा।

4. सिलाई प्रशिक्षण योजनांतर्गत जनजाति वर्ग की 500 बालिकाओं को सिलाई का प्रशिक्षण अपैरल मेड-अप्स एण्ड होम फर्नीशिंग सेक्टर स्किल कांउसिल नई दिल्ली के माध्यम से जिले-धार, बडवानी, खरगोन, अलीराजपुर एवं झाबुआ में सेल्फ इम्पलाईड टेलर एवं फैब्रिक कटर कोर्स में प्रशिक्षण संचालित है। प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 60 बालिकाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर असेसमेंट उपरांत उन्हें नियमानुसार प्लेसमेंट की कार्यवाही की जावेगी।

प्रशिक्षण पश्चात कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के मानदण्डों अनुसार कौशल विकास के प्रशिक्षण आयोजित कर 70 प्रतिशत नियोजन की कार्यवाही कर आदिवासी युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

2. उद्यमी विकास संस्थान, मध्य प्रदेश

संस्थान की स्थापना:

उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संस्था के रूप में हुई । संस्थान का पंजीयन फर्म्स एवं सोसायटीज़ मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा किया गया । संस्थान का पंजीयन क्रमांक 8874 है ।

संस्थान के मुख्य उद्देश्य:

- मध्यप्रदेश के आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को उद्योग तथा व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सहायता, उत्पादन और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सहायता, उत्पादन तथा उसके विपणन में सहयोग करना तथा उनके उद्यमों का मार्गदर्शन, समन्वय तथा नियंत्रण करना ।
- उद्यमी विकास केन्द्रों (उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों) की स्थापना करना, गतिविधियों का संचालन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करना ।
- शासन द्वारा स्थापित ऐसे उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य संस्थाओं का संचालन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना जिनके लिए शासन संस्थान को अधिकृत करे ।
- संस्थाओं को तथा उद्यमी वर्ग की इकाइयों को उद्यम स्थापित करने में सहयोग व सहायता करना एवं उन्हें संस्थान से सम्बद्ध करना, उनका मार्गदर्शन करना ।
- शासन के अथवा शासकीय संस्थाओं अथवा संस्थान द्वारा सम्बद्ध उद्यमियों के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य करना और उसके लिए आवश्यक अनुबंध आदि करना ।
- उद्यमी विकास संस्थान का म.प्र.रोज़गार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट) भोपाल के साथ संविलियन संबंधी नीतिगत निर्णय लिया गया है जिस पर संविलियन संबंधी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है।

खण्ड-7

वन्या प्रकाशन

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना वर्ष 1980 में हुई है। मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत वन्या का पंजीयन क्रमांक 8907 है।

वन्या के मुख्य उद्देश्य

1. मध्यप्रदेश के जनजाति समुदायों की संस्कृति, जीवनशैली और कलाओं का विभिन्न माध्यमों से अभिलेखीकरण, प्रकाशन, प्रसारण और वितरण।
2. जनजाति समुदायों के शिक्षित और नवसाक्षरों के लिये उपयोगी श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराना।
3. प्रमुख जनजातीय बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन।
4. जनजातीय क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का संपादन, प्रकाशन एवं पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन।
5. जनजातियों से संबंधित अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन।
6. भारतीय संस्कृति एवं महापुरुषों से संबंधित चुनी हुई सामग्री का प्रकाशन। इस विषय पर पूर्व प्रकाशित पुस्तकों का मूल प्रकाशकों से अनुबंध कर पुनर्प्रकाशन और वितरण।
7. अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित चयनित पुस्तकों का क्रय कर जनजातीय क्षेत्रों की शैक्षणिक संस्थाओं को वितरण तथा उनके विशेष संस्करणों का प्रकाशन।
8. जनजातीय संस्कृति का विभिन्न माध्यमों से संरक्षण तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिये आवश्यकतानुसार डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रसारण तथा पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण।
9. जनजातीय संस्कृति और भाषाओं को प्रोत्साहित, प्रचलित और जनजातीय नयी पीढ़ी की उनके प्रति अभिरुचि जागृत करने के लिये हिन्दी एवं जनजातीय बोलियों में सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का संचालन।
10. जनजातीय संस्कृति एवं शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आजीविका से जोड़ने के लिये जनजातीय कलाकारों के हित में विभिन्न कार्यक्रम करना।
11. संचालक मण्डल की सहमति से अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना, जिनसे जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का उन्नयन हो सके।

वन्या प्रकाशन द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

1. **वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का संचालन :** वन्या द्वारा मेघनगर (झाबुआ), चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलिराजपुर), नालछा (धार), खालवा (खण्डवा), सेसईपुरा (श्योपुर), चाडा (डिण्डौरी), बिजौरी (छिन्दवाड़ा) और चिचोली (बैतूल) में वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का संचालन निरन्तर किया गया। इन

केन्द्रों से संबंधित क्षेत्रों की भीली, भिलाली, गोण्डी, कोरकू, बैगानी, भरियाटी (भारिया), सहरिया आदि जनजातीय बोलियों के साथ हिन्दी में मनोरंजक एवं ज्ञानवर्द्धक कार्यक्रम तैयार कर नियमित रूप से प्रसारित किये गये। इनके अलावा इस वर्ष जनसम्पर्क संचालनालय के लिये कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मातृस्वास्थ्य संबंधी, टीकाकरण महाअभियान-2.0, स्तनपान सप्ताह, मलेरिया निरोधक, डेंगू निरोधक आदि विज्ञापनों का हिन्दी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों की जनजातीय बोलियों में प्रसारण किया गया।

वन्या के आठों सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को स्ववित्तपोषित बनाने की कार्ययोजना बनायी गयी। इसके अंतर्गत डीएवीपी एम्पेनलमेंट के लिये पेनकार्ड बनवाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

2. **जनजातीय विषयों से संबंधित फेलोशिप और शोधपरक पुस्तकों का प्रकाशन :** 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के प्रसंग में जनजातीय विषयों से संबंधित फेलोशिप और शोधपरक पुस्तकों के प्रकाशन की योजना तैयार की गयी। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय विषयों पर शोध की अभिरुचि रखने वाले विद्वानों से प्रस्ताव आमंत्रित कर चयनित शोधार्थियों को वीर शंकर शाह-रघुनाथ शाह, वीर टंट्या भील, वीर बादल भोई, वीर भीमा नायक और वीर खाज्या नायक के नाम से फेलोशिप प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जनजातीय विषयों पर पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित कर चयनित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन भी किया जायेगा।

3. **जीआई टैगिंग :** पारंपरिक जनजातीय शिल्पकलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिये 10 चयनित जनजातीय कला/उत्पादों की जी.आई. टैगिंग संबंधी कार्यवाही वन्या द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत 07 उत्पादों (गोंड वाद्य बाजा, चिकारा, गोंड-बैगा मुखौटा शिल्प, पिथौरा चित्रकला, झाबुआ का गुड़िया शिल्प, बोलनी, गलशन माला, पोत माला) के पंजीयन कार्य का दायित्व भारत सरकार की संस्था टेक्स्टाइल कमेटी, मुम्बई को आवश्यक शुल्क सहित सौंपा गया है। अन्य 03 उत्पादों (कोदो-कुटकी, चारपाका-चिरौंजी और सफेद मूसली) की जी.आई. टेगिंग की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद जनजातीय कलाकारों को ई-कॉमर्स के माध्यम से देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर अपने कला/उत्पादों को बेचने में सुविधा होगी।

4. **आदिरंग पोर्टल :** जनजातीय शिल्पकलाओं को प्रोत्साहित और लोकप्रिय करने के उद्देश्य से वन्या द्वारा 'आदिरंग वेब पोर्टल' तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर जनजातीय शिल्पकलाओं/कलाकारों और पारंपरिक चित्रकला-प्रशिक्षण संबंधी वर्चुअल क्लासेस की जानकारी अपलोड की गयी है, जिसे दुनियाभर के कलाप्रेमी देख एवं सीख सकेंगे।

5. **जनजातीय कलाकारों का पंजीयन :** विभिन्न जिलों के जनजातीय कलाकारों को चिन्हांकित कर उनकी कलाविधा के विवरण सहित पंजीयन किया जा रहा है।

6. **झाँकी निर्माण :** 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर 'जनभागीदारी से विकास' की थीम पर प्रदर्शन हेतु विभागीय झाँकी निर्माण की कार्यवाही की गयी।

7. **जनजातीय सम्मान :** जनजातीय कार्य विभाग (वन्या प्रकाशन) द्वारा जनजाति समुदायों के हित में सेवाकार्य करने तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट/गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था को विभाग

की ओर से निम्नांकित सम्मान वर्ष 2021 के लिये (सम्मान निधि रुपये 3.00 लाख प्रत्येक) प्रदान किये जाने हैं:-

1. **रानी दुर्गावती सम्मान।**
2. **ठक्कर बापा सम्मान।**
3. **वीर शंकरशाह-रघुनाथ शाह सम्मान।**
4. **बादल भोई सम्मान।**
5. **जननायक टंट्या भील सम्मान।**
6. **जनगण श्याम सम्मान।**

शासन द्वारा राजपत्र में उक्त सम्मानों से संबंधित नियमों के प्रकाशन के उपरांत कोविड-19 की आपदा के कारण उत्पन्न असामान्य स्थिति के कारण उपरोक्त सम्मान प्रदान करने संबंधी कार्यवाही नहीं हो सकी। बजट उपलब्ध होने पर वन्या द्वारा संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।

वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22

(रुपये लाख में)

क्र.	मद	योजना का नाम	वित्तीय लक्ष्य		वित्तीय उपलब्धि
			स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	
1	22–012	मुद्रण एवं प्रकाशन	8.80	8.80	-
2	35	विज्ञापन एवं प्रचार	-	-	-
3	37	मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	-	-	-
4	42–002	संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों का निर्माण, रेडियो केन्द्रों का संचालन इत्यादि)	300.00	300.00	228.16
5	42–007	अन्य (सहायक अनुदान)	44.00	44.00	-
		योग	**352.80**	**352.80**	**228.16**

8. 05 नवीन रेडियो केन्द्र पाटी (बड़वानी), निवाली (बड़वानी), उमरी (बड़वानी), झिरन्या (खरगोन), बैहर (बालाघाट) में स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2022-23

(राशि लाख में)

क्र.	मद	योजना का नाम	वित्तीय लक्ष्य		वित्तीय उपलब्धि
			स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	
1	22–012	मुद्रण एवं प्रकाशन	32.21	8.80	0.74
2	35	विज्ञापन एवं प्रचार	64.42	13.20	11.36
3	37	मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	161.05	44.00	15.31
4	42–002	संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों का निर्माण, रेडियो केन्द्रों का संचालन इत्यादि)	775.46	300.00	155.81
5	42–007	अन्य (सहायक अनुदान)	181.18	44.00	0.73
		योग	**1214.32**	**410.00**	**183.95**

खण्ड-8

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग का गठन:-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियम 1995 के द्वारा वर्ष 1995-96 में मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा दो अशासकीय सदस्य होते है तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य पदेन सदस्य होते है। आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यो के संपादन हेतु सचिव के पद की व्यवस्था की गई है।

1. आयोग के दायित्व:-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियम 1995 की धारा 9 (1) के अनुसार आयोग को निम्नानुसार दायित्व सौंपे गये है:-

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये आयोग हितप्रहरी के रूप में कार्य करें ।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना ।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है-सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ड) ऐसे अन्य दायित्वों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाये ।

धारा 9 (2) के अनुसार आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार द्वारा आबद्धकारी होगी तथापि जहां सरकार को स्वीकार नहीं करती वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

2. आयोग की शक्तियाँ:-

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग को धारा 9 की उपधारा (एक) के अधीन अपने दायित्वों का पालन करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थातः

(अ) राज्य के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ।

(ब) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(स) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(द) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख तथा उसकी प्रतिलिपि की अध्यापेक्षा करना।

(इ) साक्षी और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन निकालना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये हितप्रहरी की भूमिका निर्वाह कर रहा है ।

म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में अब तक प्राप्त शिकायत आवेदनों की वर्तमान स्थिति (संख्यात्मक जानकारी)

वर्ष	पूर्व की लंबित	वर्ष में नवीन प्राप्त	कुल	वर्ष में निराकृत	शेष लंबित शिकायते
1	2	3	4	5	6
2016-17	744	886	1630	497	1133
2017-18	1133	577	1710	506	1204
2018-19	1204	471	1675	725	950
2019-20	950	460	1410	562	848
2020-21	848	451	1299	306	993
2021-22	993	398	1391	460	931
2022-23 (दिसम्बर 22 तक)	931	321	1252	342	910

आयोग कार्यालय को प्राप्त वित्तीय आवंटन एवं व्यय की तीन वर्षों का आवंटन व्यय निम्नानुसार हैः-

वर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	2	3
2020-21	1,93,32,000	99,54,895
2021-22	1,57,61,000	1,24,09,610
2022-23(दिसम्बर 22 तक)	1,11,05,872	1,38,18,3290

खण्ड-9

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण

अभिकरण का गठन –

कोल जनजाति अभिकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन, आ.जा.क. विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23-18/2011/3-पच्चीस, दिनांक 24.8.2011 के द्वारा बायलॉज स्वीकृत किया गया। स्वीकृत बायलॉज के आधार पर कोल जनजाति अभिकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 12.12.2011 को पंजीकृत की गई है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/24415/11 है।

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 23-18/2011/3/पच्चीस भोपाल दिनांक 6.5.2011 के द्वारा राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण का गठन वर्ष 2011 में किया गया है।

अभिकरण का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :-

1. **विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन तथा उत्पादन के लिए जनजाति के परामर्श से आयोजनायें तैयार करना ताकि उनकी आर्थिक शैक्षणिक तथा सामाजिक उन्नति हो सके।**
2. **इन आयोजनाओं को अभिकरणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निष्पादित कराना।**
3. **कोल जनजातियों के विकास को अविरूद्ध करने वाली समस्याओं का पता लगाकर निराकरण करना।**
4. **कोल जनजाति के लोगों को लाभ दिलाने हेतु योजना क्रियान्वयन करने हेतु राष्ट्रीय कृत बैंक/सहकारी बैंक, राज्य एवं केंद्र के विभिन्न विकास विभागों का सहयोग प्राप्त कराना।**
5. **कोल जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं का समय-समय पुनरीक्षण किया जावेगा।**

शासी निकाय की शक्तियाँ:-

अभिकरण को अपनी कार्यवाही का विनियमित रूप से चलाने तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिये राज्य शासन के अनुमोदन से नियम बना सकेगा।

जिला स्तरीय प्रकोष्ठ:-

अभिकरण के कार्य को जिला स्तर पर संचालन हेतु जिला रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, नरसिंहपुर में सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, कार्यालय में पृथक से कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण होंगे।

खण्ड-10

अभिनव योजना

1. सी.एम. राइज स्कूल विकसित करने का उद्देश्य :-

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की स्थापना के लिए विभाग द्वारा सी.एम. राइज योजना बनायी गयी है। जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- केजी-1 से लेकर कक्षा 12वी तक के समग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की उपस्थिति दर को बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट दर को कम करना।
- विद्यार्थियों में आधुनिक 21वीं शताब्दी की क्षमताओं/दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्राविधियों और तकनीक से लैस करना ।
- बच्चों के समग्र विकास के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्येत्तर गतिविधियों हेतु विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना ।
- केजी-1 के लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी कक्षाऐं संचालित करना ।

सी.एम. राइज विद्यालय के मूल्य :-

Respect - (सम्मान), Integrity-(सत्यनिष्ठा), Strength-(साहस) तथा Excellence-(उत्कृष्टता) वे सिद्धान्त एवं नैतिक मूल्य है जो एक साथ नई ऊंचाईयों तक पहुँचने में मदद करते हैं।

सी.एम. राइज विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाऐं :-

- सी. एम. राईज विद्यालय सर्व साधन संपन्न होगें इनमें विश्व-स्तरीय स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट (अत्याधुनिक) आधारभूत संरचना होगी ।
- टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट क्लास रूम, STEAM (विज्ञान, प्राद्यौगिकी, इंजीनियरिंग, कला और अनुप्रयुक्त गणित) प्रयोगशालायें।
- व्यावसायिक शिक्षा, स्कूल और कक्षा पुस्तकालय, रचनात्मक विचार क्षेत्र।
- इंडोर व्यायाम शाला और संगीत, नृत्य एवं कला शिल्प के लिये संसाधन शामिल होंगे।
- इन सुविधायों को प्रदान करने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे विद्यार्थी विकास और रूचि के अपने वांछित क्षेत्रों में सफल हो, अवसरों और संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके परिपूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़े तथा अनुप्रयोगात्मक व अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक शिक्षण, पूछताछ आधारित व खोज उन्मुक्त शिक्षा के साथ-साथ समावेशी व हर्षित स्कूल समुदायों से विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक भावनात्मक कौशल, 21वीं सदी के कौशल व प्रमुख जीवन कौशलों के निर्माण में सी.एम. राइज स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगे ।

सी.एम. राईज विद्यालय का निमार्ण एवं लागत :- सी.एम. राइज विद्यालय के निर्माण हेतु प्रतिष्ठित वास्तुकारों से विद्यालयों का वास्तु तैयार कराया गया है। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण एवं सर्व सुविधायुक्त बनाने में राशि 35 से 40 करोड की लागत अनुमानित है।

सी.एम. राइज सुदृढ़ीकरण - सी.एम. राईज योजना अंतर्गत उ.मा.भवन निर्माण वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्य (23) राशि रूपये 33580.00 प्रावधान अंतर्गत 35 सी.एम. राइस भवन निर्माण की कार्य वाही प्रगति पर है।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

वित्तीय वर्ष 2017-18 से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 05 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्र छिंदवाड़ा, डिंडौरी, शहडोल, शिवपुरी एवं मंडला जिलों में खोले जाने हेतु प्रति केन्द्र रूपए 596.00 लाख के मान से कुल राशि रुपये 2984.00 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण निरन्तर संचालित है। कौशल विकास केन्द्र निर्माण होने के पश्चात मैपसेट, भोपाल के सहयोग से प्रतिवर्ष 7500 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

3. स्मार्ट क्लासेस का निर्माणः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्मार्ट क्लासेस के निर्माण के लिये राशि रूपये 2183.00 लाख, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा स्वीकृत की गई है। विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाडा, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, श्योपुर जिलों में 370 क्लासेस में प्रति यूनिट 5.90 लाख के मान राशि रूपए 2183.00 लाख संबंधित एजेन्सियों को आवंटित की जा चुकी है। कार्य प्रगतिरत है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना अंतर्गत जनजातीय कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास इत्यादि गतिविधियों हेतु कुल राशि रूपए 9557.17 लाख के प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए है।

4. भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)

योजना का लाभ – केवल नवीन उद्यमो की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदको को निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधित प्रावधान होगें :-

परियोजना सीमा : (अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिए राशि रू 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाऐं।

(ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रूपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाऐं।

पात्रता : -

(क) आयु : 18 - 40 वर्ष ।

(ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 12वी कक्षा उत्तीर्ण ।

वित्तीय/भौतिक लक्ष्य:-

क्र	वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	रिमार्क
1	2022-23	1000	05.00 करोड़	

नोट:- उपरोक्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सांकेतिक है।

5. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना)

योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें -

क) परियोजना लागत - रुपये 10000/- से अधिकतम रुपये 1,00,000/- तक

ख) आयु - 18 से 55 वर्ष ।

ग) आय श्रेणी - बीपीएल श्रेणी का हो।

पात्रता:-

योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

आवेदक :

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)।
3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter ना हो।
5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
6. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

वित्तीय/भौतिक लक्ष्य :

वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	रिमार्क
2022-23	5000	02.00 करोड़	

नोट:- उपरोक्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सांकेतिक है।

6. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना।

1. योजना का उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में विभिन्न लाइन विभागों यथा- कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि विभागों अथवा जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधिकतम राशि रूपये 2 करोड़ तक के ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना/परियोजना में किया जाना संभव न हो, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, का शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाता है।

2. योजना का क्रियान्वयन :

3.1 राज्य स्तर पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल योजना का नोडल एजेन्सी होगा।

3.2 लाईन विभागों/ जिला कलेक्टरों से नोडल एजेन्सी को प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को विभागीय अनुशंसा उपरान्त अंतिम रूप से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति के द्वारा अनुमोदन पश्चात अनुमोदित परियोजना की स्वीकृति शासन द्वारा दी जाएगी।

3.3 योजना का क्रियान्वयन लाईन विभागों/ जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा।

3. पात्रता :

लाइन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त ऐसे परियोजना प्रस्ताव, जो कि लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना/ परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अंत्यत उपयोगी एवं आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो।

4. वित्तीय सहायता :

उपरोक्त बिंदु 3.2 अनुसार शासन स्वीकृति के आधार पर शत – प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा देय होगा ।

5. जिला स्तर पर परियोजना की समीक्षा:

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं आदि विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है। :-

- जिला कलेक्टर/कलेक्टर प्रतिनिधि - अध्यक्ष
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
- संबंधित लाईन विभाग का जिला अधिकारी - सदस्य

- परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि - सदस्य
- आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि - सदस्य
- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, ज.क. विभाग - सदस्य
- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सदस्य
- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम - सदस्य-सचिव

6. भूमि -

परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता राजस्व विभाग अन्तर्गत प्रचलित, नजूल निर्वतन नियम एवं इस संबंध में विभिन्न विभागों की नीति में किए गए प्रावधानों के अधीन होगी।

परियोजना शासन के शत-प्रतिशत अनुदान पर आधारित होने के कारण अंतिम स्वामित्व शासन का होगा, जिसका उपयोग विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श उपरांत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

7. वित्तीय प्रवाह :

लाईन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के अंतिम रूप से चयन उपरांत परियोजना लागत की राशि शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में परियोजना के बचत खाते में सीधे हस्तांतरित (DBT) किया जायेगा।

8. परियोजना अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधि : -

5.1 इस योजना अंतर्गत आजीविका, स्वरोजगार एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा अनुषांगिक गतिविधियों को लिया जा सकेगा ।

5.2 पूँजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग कुल परियोजना लागत होगा।

निर्माण कार्य :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 152 भवनों के निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी की गई है जिसके लिये 89465.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है ।

विभागीय परिसम्पतियों का संधारण – वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 13799.99 प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 1816.38 राशि व्यय की गई है।

खण्ड-11

महिला - खण्ड

जनजातीय कार्य विभाग -

महिलाओं के लिए महिला नीति फलस्वरूप आयुक्त जनजातीय कार्यालय में 'महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं नियम 2013' के परिपालन में आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई है । प्रथम श्रेणी महिला राजपत्रित अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है । समिति के समक्ष अभी तक कोई महिला उत्पीड़न के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।

विभाग द्वारा संचालित जिन योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित है, उसमें महिलाओं को कम से कम 30 प्रतिशत एवं शेष योजनाओं में पात्रतानुसार सभी को लाभान्वित किया जाता हे ।

विभाग में विशेष रूप से महिलाओं के हित में शतप्रतिशत संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

शैक्षणिक संस्थाएँ:-

1. **उच्चतर माध्यमिक एवं हाईस्कूल :-** विभाग द्वारा कुल संचालित संस्थाओं में से बालिकाओं के लिए 113 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ एवं 79 हाईस्कूल संचालित है। इसके अतिरिक्त विभाग में कुल 898 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 1109 हाई स्कूल में भी बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतर्गत 13186 बालिकाऐं इन विद्यालयों में प्रवेशित है।

2. **कन्या शिक्षा परिसर :-** मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनजातीय वर्ग की महिला साक्षरता को सामान्य महिला साक्षरता प्रतिशत के बराबर लाने हेतु न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले विकासखंडों में कक्षा 6 से कक्षा 12 वीं तक आवासीय कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गए है। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर 490 सीट (प्रति कक्षा 70)के संचालित हैं। वर्ष 2021-22 में 81 कन्या शिक्षा परिसर संचालित है। जिनमें 41570 छात्राऐं अध्ययनरत है।

3. **11वीं कक्षा की छात्राओं को साइकल प्रदाय योजना :-** कक्षा 9 वीं में जिन जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को साइकिल प्रदाय नही की गई है, उन्हें कक्षा 11वीं में साइकिल हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की दर अनुरूप राशि दी जा रही है। ऐसी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकायें जो कक्षा 11 वीं में अध्ययन के लिये अपने निवास से 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है।

4. **कन्या - साक्षरता प्रोत्साहन योजना :-** प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा योजना का क्रियान्वियन किया जा रहा है एवं बालिकाओं के शाला त्यागी ड्रॉपआउट रेट कम करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है ।

5. **विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय** को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रूपये राशि जमा की जाती है।

   वित्तीय वर्ष 2020-21 में 237251 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 311.32 करोड़ का व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 230242 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 270.00 करोड़ का व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपए 300.00 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसके विरूद्ध 239741 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपए 185.12 करोड़ (माह नवम्बर-2022 तक की स्थिति में) का व्यय किया गया।

6. **छात्रावास एवं आश्रम शाला -**

   छात्रावास/आश्रम शाला दूरस्थ अंचलों से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 27 जूनियर छात्रावास, 256 सीनियर छात्रावास, 99 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास 76 महाविद्यालयीन छात्रावास एवं 510 आश्रम शाला संचालित हैं । इन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को राशि रूपये 1500 की दर से शिष्यवृति 10 माह हेतु दी जाती है। इन छात्रावासों में 26084 छात्राएँ एवं आश्रम शालाओं में 30516 छात्राएँ निवास कर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

7. **क्रीड़ा परिसर:-** शिक्षा के साथ-साथ जनजाति बालिकाओं के खेल प्रतिभा के उन्नयन हेतु 07 कन्या क्रीड़ा परिसर निवाली (बड़वानी), शाहपुर (डिंडौरी), अमरकंटक (अनूपपुर), डही (धार), बैतूल, झाबुआ एवं इटारसी में स्वीकृत है। इन क्रीड़ा परिसरों में 05 क्रीड़ा परिसर संचालित है जिसमें 500 कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक परिसर में 100-100 बालिकाएँ निवास करती है। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्राओं को रुपये 3000/- प्रतिमाह खाने एवं पोषण आहार हेतु राशि दी जा रही है तथा वर्ष में एक बार प्रत्येक खिलाड़ी को रुपये 3000/- खेल किट के रूप में सुविधा दी जा रही है इसके अतिरिक्त छात्रावासों में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ इन छात्राओं को प्रदाय की जाती है।

परिशिष्ट-01

बजट प्रावधान एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21

आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष -2202-2225, 2515, 4202 एवं 4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण अंतर्गत बजट प्रावधान			
			(राशि लाख में)
योजना क्र.	**योजना का नाम**	**बजट प्रावधान (पुनर्विनियोजन एवं अनुपूरक सहित) वर्ष 2020-21**	**कोषालय सर्वर अनुसार मार्च 2021 की स्थिति तक का व्यय**
1	2	3	4
33-2202-2225-2515 राजस्व मद			
2773	प्राथमिक शालाएँ	248717.28	190928.67
2773	प्राथमिक शालाएँ 9999	52790.88	51573.48
3496	माध्यमिक शालाएँ	156781.27	114784.64
3496	माध्यमिक शालाएँ 9999	25121.44	24196.31
581	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें	68362.61	50116.65
581	शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें 9999	9198.41	5720.87
5216	हाई स्कूल	5075.97	4068.67
5216	हाई स्कूल 9999	0.01	0.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं)	2281.51	2281.50
1481	जिला प्रशासन	10006.94	8594.97
6130	संचालनालय (+ प्रथम अनुपूरक 0.001)	2724.18	2371.90
2321	नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	157.00	8.48
2324	आंकाक्षा योजना	1093.02	279.70
2325	प्रतिभा योजना	125.00	45.00
2326	पीव्हीटीजी	31212.00	31132.60
5156	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	400.00	400.00
7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	200.00	200.00

7571	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	16.00	16.00
7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	40.00	40.00
5218	उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान	0.00	0.00
494	आश्रम शालाएँ	15055.40	9947.18
495	जूनियर छात्रावास	9635.33	7800.54
584	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति (+ प्रथम अनुपूरक 2088.00)	3088.00	1630.99
671	ऐच्छिक संस्थाओ को शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	9300.00	8150.54
762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (वेतन भत्ते)	8930.69	5645.23
978	क्रीड़ा परिसर	1639.70	680.63
1398	सीनियर छात्रावास	19120.09	16046.01
1868	तकनीकी शिक्षा मंण्डल (मेपसेट)	100.00	84.84
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	12.00	0.23
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वेतन	181.42	124.45
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (0102)	5750.00	5269.69
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (802)	27350.00	21385.38
2949	गणवेश का प्रदाय	0.00	0.00
3997	विद्यार्थी कल्याण	10.00	6.99
5202	व्यवसायिक परीक्षा मंण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	1.00	0.00
5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओ द्वारा परीक्षा पुर्व प्रशिक्षण	372.31	118.13
5875	विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम एवं स्कूल	0.00	0.00
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ कक्षा 9वी एवं 10वी(0102)	1000.00	983.42
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ कक्षा 9वी एवं 10वी(0702)	10000.00	10000.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास	1509.68	1191.90
6813	साइकिलों का प्रदाय	30.00	20.21
7223	विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	22.93	22.93
7562	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	59.75	59.74

7634	आदिवासी /अनुसूचित जाति के छात्र –छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु	35.00	0.00
7763	अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहयता	14716.33	12962.92
8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	50.00	0.00
8735	अनूसुचित जाति /जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	50.00	40.00
8801	सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनूसूचित जाति /जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	264.00	261.87
8805	छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	9900.00	9063.28
8842	विदेशों मे शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति	120.00	101.32
8843	मेधावी छात्रों को पुरस्कार योजना	15.00	8.68
9673	एकीकृत छात्रावास योजना	9531.95	2145.06
9846	स्काउट गाईड	60.00	53.79
2346	मुख्यमंत्री कौशल संर्वधन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान	50.00	22.00
4719	अनुसूचित जनजाति/अनु.जाति के लिए सहायता योजना	100.00	10.21
5191	अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण	3665.00	3658.30
5362	जनजातीय सेवा पुरस्कार एवं पारितोषित सम्मान	0.00	0.00
6462	कोल जनजाति विकास अभिकरण –	201.00	0.00
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	14000.00	4817.64
8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन	100.00	80.82
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबधी कार्य	945.00	237.79
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण (0102)	100.00	23.46
9484	मदद योजना	0.01	0.00
9853	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान	236.60	6.14
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	668.85	586.42
2506	परियोजना मुख्यालय	2257.81	2079.05
	योग– 2202–2225–2515 (राजस्व)	**784538.37**	**612087.22**
33-4202-4225 पूंजीगत मद			

581	उच्चतर मा. शालाएँ (भवन निर्माण)	3000.00	2933.19
5632	जननिजी भागीदारी अन्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	0.01	0.00
494	आश्रम शाला (0102)(भवन निर्माण)	400.00	400.00
495	जूनियर छात्रावास (0102) (भवन निर्माण) (+ प्रथम अनुपूरक 120.00)	320.00	319.98
762	विशिष्ट संस्था कन्या शिक्षा परिसर (0102) (भवन निर्माण) (+ प्रथम अनुपूरक 1000.00)	4200.00	3991.25
762	विशिष्ट संस्था कन्या शिक्षा परिसर(0422) (भवन निर्माण)	4760.01	4737.11
762	विशिष्ट संस्था कन्या शिक्षा परिसर(1702) (भवन निर्माण)	840.00	840.00
978	क्रीड़ा परिसर (0102) (भवन निर्माण)	0.01	0.00
1398	सीनियर छात्रावास(0102) (भवन निर्माण)	5000.00	4991.46
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास(0102) (भवन निर्माण)	300.00	195.21
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0702) (+ प्रथम अनुपूरक 105.20)	105.20	105.20
1032	कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण आदि	100.00	78.66
4722	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास (0102)	5000.00	4253.97
	योगः–4202–4225 (पूंजीगत)	24025.23	22846.03
	महायोगः–2202/2225/2515/4202/4225	808563.60	634933.25
2. जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ म.प्र.			
9843	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाईयां टी.ए.डी.पी.	57.34	39.04
5211-34	स्थानीय विकास कार्यक्रम (राज्य)	35.00	21.56
9022	संचालनालय (TADP)	337.29	274.08
1015	क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.)	105.55	80.70
2304	निर्देशन ओर प्रशासन (टी.ए.डी.पी.)	226.34	156.16
5211-64	विशेष केन्द्रीय सहायता (S.C.A TO T.S.P) 64	38207.51	8174.83
5211-51	विशेष केन्द्रीय सहायता (S.C.A TO T.S.P) 51	400.00	49.36
7881	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)51	5000.00	4276.87
7881	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)64	43060.00	15583.74
	योग (TADP)	87429.03	28656.34
3. जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था			

3728	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनु. प्रशि. टी. आर. आई. (राज्य योजना)	36.56	14.08
334	आदिवासी अन्वेषण संस्था	661.22	401.32
334	आदिवासी अन्वेषण संस्था 64–002 वृहद निर्माण	3889.95	0.00
3728	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनु. प्रशि. (के. प्रवर्तित योजना)	1622.72	96.80
	योग (TRI)	**8510.45**	**519.13**
	महायोग विभाग	**901373.90**	**740945.71**

आंध्रप्रदेश में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय ईएमआरएस खेल-कूद प्रतियोगिता 2022 में हिस्सा लेने गए 467 जनजातीय विद्यार्थियों की विशेष ट्रेन को प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

परिशिष्ट-02

बजट प्रावधान एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22

आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष– मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष –2202–2225,2515,4202 एवं 4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण का प्रावधान			
			(राशि लाख में)
योजना कोड	योजना का नाम	वर्ष 2021–22 बजट प्रावधान (पुनर्विनियोजन सहित)	वर्ष 2021–22 व्यय (31.3. 2022)
1	2	3	4
33-2202-2225-2515 राजस्व मद			
2773	प्राथमिक शालाएँ	295103.93	260761.06
3496	माध्यमिक शालाएँ	171122.66	152579.73
7831	प्री प्रायमरी शिक्षा	0.01	0.00
7828	अनुसूचित जनजाति शिक्षा केन्द्र	0.01	0.00
0581	शा. हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं	71773.23	61114.92
5216	हाई स्कूल	5618.27	4498.17
8861	जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	20.00	0.00
1481	जिला प्रशासन	10072.50	8387.20
6130	संचालनालय	2553.77	2285.94
2321	नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	117.50	0.00
2324	आंकाक्षा योजना	770.96	508.18
2325	प्रतिभा योजना	30.00	23.20
2326	पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना	30780.00	30780.00
5156	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	450.00	450.00
7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	220.00	0.00
9855	वन्या प्रकाशन	550.00	410.73
0494	आश्रम	19896.82	8612.94
0495	जूनियर छात्रावास	10061.74	7478.96

0584	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	1000.00	760.00
0671	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	5015.00	4284.64
0762	म.प्र.स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	10044.51	7427.71
0978	क्रीड़ा परिसर	1606.21	761.89
1398	सीनियर छात्रावास	21524.95	14588.92
1868	तकनीकी शिक्षा मंण्डल (मेपसेट)	50.00	40.00
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	13.00	1.91
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग	189.89	124.10
2676	कक्षा 11वीं व 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (0102)	10000.00	9648.26
2676	कक्षा 11वीं व 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (802)	26010.00	26003.31
2676	कक्षा 11वीं व 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (0702)	5294.251	5294.00
2676	कक्षा 11वीं व 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (0705)	1764.751	1288.97
3997	विद्यार्थी कल्याण	15.00	1.16
5202	व्यवसायिक परीक्षा मंण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	0.01	0.00
5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओ द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	100.00	99.70
6175	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं (0102)	1245.00	249.28
6175	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं (0702)	10900.00	10900.00
6175	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं (0705)	300.001	300.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास	2296.61	1174.37
6813	साइकिलों का प्रदाय	10.00	2.20
7223	विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	0.01	0.00
7634	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्र –छात्राओं को दिल्ली मे उच्च शिक्षा की सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु	29.00	7.10
7763	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	12000.00	9914.18
7912	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	0.00	0.00

8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	45.00	0.00
8735	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	25.00	11.00
8801	सैनिक स्कूल में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	110.00	110.00
8805	राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	7600.00	6270.56
8842	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति	220.00	160.96
8843	मेधावी छात्रों को पुरस्कार योजना	12.00	10.10
9516	सी.एम. राइज (0102)	303.02	0.00
9516	सी.एम. राइज (0422 खनिज निधि)	303.02	0.00
9516	सी.एम. राइज (1702 जिला खनिज निधि)	303.02	0.00
9673	एकीकृत छात्रावास योजना	12144.69	10711.20
9846	स्काउट गाईड	65.00	35.97
4719	अनुसूचित जनजाति/अनु.जाति के लिए सहायता योजना	40.00	5.70
5191	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अन्तर्गत राहत	2905.00	2903.42
5191	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अन्तर्गत राहत(0705)+प्रथम अनुपूरक	0.002	0.00
6462	कोल जनजाति विकास अभिकरण	50.00	0.00
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	14000.00	12681.01
7826	कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	0.00	0.00
7829	स्वास्थ्य सेवायें	0.01	0.00
8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन	100.00	79.80
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबधी कार्य	800.00	182.40

9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण (0102)	100.00	15.70
9853	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान	6242.98	5968.11
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	707.00	554.94
2506	परियोजना मुख्यालय	2369.35	2005.85
	योग–2202–2225–2515 (राजस्व)	**776994.685**	**672469.45**
33-4202-4225 पूंजीगत मद			
581	शा. हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं	33000.00	5716.37
5632	जननिजी भागीदारी अन्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	0.01	0.00
494	आश्रम (0102)(भवन निर्माण)	500.01	252.23
495	जूनियर छात्रावास (0102) (भवन निर्माण)	500.01	449.93
762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (0102)(भवन निर्माण)	5300.00	5232.35
762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (0422)(भवन निर्माण)	12500.00	3337.80
762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (1702)(भवन निर्माण)	7166.46	3909.38
978	क्रीड़ा परिसर (0102)(भवन निर्माण)	0.01	0.00
1398	सीनियर छात्रावास(0102) (भवन निर्माण)	20000.00	2298.56
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास(0102) (भवन निर्माण)	349.99	72.48
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0702)	0.01	0.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0705)+प्रथम अनुपूरक 0.001	0.001	0.00
7912	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	2300.00	0.00
9516	सी.एम. राइज (0102)	11800.001	0.00
9516	सी.एम. राइज (0422 खनिज निधि)	11600.00	0.00
9516	सी.एम. राइज (1702 जिला खनिज निधि)	11600.00	0.00
1032	कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण आदि	150.00	92.53

4722	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास (0102)	6000.00	5520.46
	योगः–4202–4225	**122766.502**	**26882.09**
	महायोगः–2202 / 2225 / 2515 / 4202 / 4225	**899761.187**	**699351.54**
2. जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ म.प्र.			
9843	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाईयां टी.ए.डी.पी.	99.94	45.01
5211-34	स्थानीय विकास कार्यक्रम (राज्य)	40.00	2753
9022	संचालनालय (TADP)	350.00	265.66
1015	क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.)	109.86	88.42
2304	निर्देशन और प्रशासन (टी.ए.डी.पी.)	220.26	147.92
5211-64	विशेष केन्द्रीय सहायता (S.C.A TO T.S.P) 64	22550.00	14558.91
5211-51	विशेष केन्द्रीय सहायता (S.C.A TO T.S.P) 51	15000.00	7158.92
7881	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)51	20500.00	3944.64
7881	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)64	28500.00	7058.78
5155-51	योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	700.00	71.78
	योग (TADP)	**88070.06**	**36093.04**
3. जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था			
3728	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनु. प्रशि.टी.आर.आई. (राज्य योजना)	36.56	14.08
334	आदिवासी अन्वेषण संस्था	661.22	401.32
334	आदिवासी अन्वेषण संस्था 64–002 वृहद निर्माण	3889.95	0.00
3728	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनु. प्रशि.(के.प्रवर्तित योजना)	1622.72	96.80
	योग (TRI)	**8510.45**	**519.13**
	महायोग विभाग	**901373.90**	**740945.71**

परिशिष्ट-03

वित्तीय वर्ष 2022-23

बजट प्रावधान एवं माह 31 दिसम्बर 2022 तक व्यय

1. आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष–मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष–2202–2225, 2515, 4202 एवं 4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण का प्रावधान			
			(राशि लाख में)
योजना क्र.	योजना का नाम	**Total BUDGET** (प्रथम, द्वितीय अनुपूरक एवं पुनर्विनियोजन सहित)	**Total Expenditure** (दि.31.12.2022 की स्थिति)
1	2	3	4
33–2202–2225–2515 **राजस्व मद**			
2773	प्राथमिक शालाएँ	338313.00	226673.11
3496	माध्यमिक शालाएँ	189753.20	141847.19
7831	प्री प्रायमरी शिक्षा	0.01	0.00
7828	अनुसूचित जनजाति शिक्षा केन्द्र	0.01	0.00
0581	उच्चतर माध्यमिक शालाएँ	77970.17	53700.22
5216	हाई स्कूल	5610.94	3652.73
5669	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.01	0.00
9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण (0101)	19193.96	4284.55
8861	**जैविक कृषि समर्थन कार्यकम (प्रतिपूर्ति)**	0.01	0.00
6130	संचालनालय (0102) (**प्रथम अनुपूरक** 0.001)	0.001	0.00
6130	संचालनालय (9999)	2684.34	2033.30
1481	जिला प्रशासन	10399.04	7347.08
2321	नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	112.50	0.00
2324	आकांक्षा योजना	1035.02	238.91

2325	आकांक्षा योजना	30.00	19.00
2326	पीव्हीटीजी	29000.00	18512.78
9900	विशेष जनजातीयों हेतु आहार अनुदान **(प्रथम अनुपूरक 0.001)**	0.001	0.00
5156	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम **(प्रथम अनुपूरक 886.00)**	1386.00	250.00
9855	वन्या प्रकाशन **(द्वितीय अनुपूरक 0.001)**	550.001	410.00
0494	आश्रम शालाएँ	19744.74	11896.04
0495	जूनियर छात्रावास	10213.91	6201.09
0584	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	1000.00	640.00
0671	ऐच्छिक संस्थाओ को शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	4015.00	2198.47
0762	विशिष्ट कन्या शिक्षा परिसर	10430.38	6366.26
0978	क्रीड़ा परिसर **(प्रथम अनुपूरक 200.00)**	1849.89	762.64
1398	सीनियर छात्रावास	21041.06	11998.43
1868	तकनीकी शिक्षा मंण्डल (मेपसेट) **(प्रथम अनुपूरक 886.00)**	936.00	22.00
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण **(प्रथम अनुपूरक 0.002)**	13.002	1.58
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वेतन	197.95	138.15
2676	कक्षा 11 वी 12वी एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (0102)(**प्रथम अनुपूरक** 2000.00)	5000.00	4000.00
2676	कक्षा 11 वी 12वी एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (802)	0.00	0.00
2676	कक्षा 11 वी 12वी एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (0702)(**प्रथम अनुपूरक** 15375.00)	39750.00	23241.54
2676	कक्षा 11 वी 12वी एवं महाविद्यालयीन छात्रवृति (0705)(**प्रथम अनुपूरक** 5125.00)	13250.00	7725.67
9943	11 वीं,12वी एवं महविद्यालयीन छात्रवृति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) **(द्वितीय अनुपूरक 0.001)**	0.001	0.00

9952	9वीं, 10वीं छात्रवृति (2.50 लाख से अधिक आयवर्ग हेतु) **(द्वितीय अनुपूरक 0.001)**	0.001	0.00
3997	विद्यार्थी कल्याण	15.00	9.57
5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	100.00	37.11
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ कक्षा 9वीं एवं 10वीं (0102)	1200.00	85.00
6175	राज्य छात्रवृत्तियां कक्षा 9वी एवं 10वीं (0702) (**प्रथम अनुपूरक** 1012.50)	9637.50	0.00
6175	**राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वी एवं 10वी (0705)** (**प्रथम अनुपूरक** 337.50)	3212.50	0.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास	1353.40	416.65
6813	साइकिलों का प्रदाय	10.00	4.37
7634	आदिवासी/अनुसूचित जाति के छात्र –छात्राओं को दिल्ली मे उच्च शिक्षा की सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु	30.00	18.00
7763	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता (**प्रथम अनुपूरक** 18700.00)	30700.00	18824.89
7912	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	0.02	0.00
8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	20.00	0.00
8735	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	10.00	4.40
8801	सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	110.00	109.99
8805	छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	6500.00	0.00
8842	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति	220.00	126.49
8843	मेधावी छात्रों को पुरस्कार योजना	12.00	1.01
9516	सी.एम. राइज (0102)	1363.78	269.88

9516	सी.एम. राइज (0422 खनिज निधि)	1363.61	100.50
9516	सी.एम. राइज (1702 जिला खनिज निधि)	1363.61	84.83
9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण(0102)	303.02	0.00
9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण(0422)	303.02	0.00
9545	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण(01702)	303.02	0.00
9673	एकीकृत छात्रावास योजना	18044.69	10970.22
9846	स्काउट गाईड	65.00	27.86
4065	विशेष अवसरों पर प्रचार (**द्वितीय अनुपूरक** 50.00 लाख)	50.00	0.00
7660	कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन (**द्वितीय अनुपूरक** 50.00 लाख)	50.00	0.00
4719	अनुसूचित जनजाति/अनु.जाति के लिए सहायता योजना	50.00	3.35
5191	अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण(0702)	1602.50	1370.34
5191	अनु.जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण(0705)	1602.50	1370.09
6462	कोल जनजाति विकास अभिकरण	0.01	0.00
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	10000.00	2184.24
7826	कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योंजना	750.00	0.00
7829	स्वास्थ्य सेवायें	0.01	0.00
8011	सिविल सेवा परीक्षा मे उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन	100.00	100.00
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबधी कार्य	650.00	218.38
9604	अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	6000.00	0.00
9771	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कार्यक्रम (पी.एम.वनबंधु कल्याण योजना)(0702)	0.01	0.00
9771	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कार्यक्रम (पी.एम. वनबंधु कल्याण योजना)(0705)	0.01	0.00
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण (0102)	100.00	12.34

1077	आदिवासी पंचायतो हेतु बर्तन प्रदाय योजना (**द्वितीय अनुपूरक** 500.00लाख)	500.00	0.00
9853	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान	1500.00	981.53
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	789.15	471.17
2506	परियोजना मुख्यालय	2665.85	1672.40
	योग 2202,2225 एवं 2515(राजस्व)	**906130.357**	**573635.35**
33–4202–4225 पूंजीगत मद			
0581	उच्चतर मा. शालाएँ (भवन निर्माण)	15885.00	5590.08
0494	आश्रम शाला (0102)(भवन निर्माण)	1000.00	96.18
0495	जूनियर छात्रावास (0102) (भवन निर्माण)	1000.00	118.58
0762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (0102)(भवन निर्माण)	18033.54	3664.63
0762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (0422)(भवन निर्माण)	10000.00	2301.14
0762	म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिंडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी (1702)(भवन निर्माण)	6966.47	2206.13
0978	क्रीड़ा परिसर (0102)(भवन निर्माण)	0.01	0.00
1398	सीनियर छात्रावास (0102) (भवन निर्माण)	4000.00	3922.73
1398	सीनियर छात्रावास (1902) (भवन निर्माण)	16000.00	0.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास(0102) (भवन निर्माण)	1000.00	91.61
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0802)	0.00	0.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0702)	0.01	0.00
6502	महाविद्यालयीन छात्रावास (0705)	0.01	0.00
7912	शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण	2300.00	0.00
9516	सी.एम. राइज (0102)	1960.00	0.00
9516	सी.एम. राइज (0422 खनिज निधि)	8200.00	1500.00
9516	सी.एम. राइज (1702 जिला खनिज निधि)	1640.00	0.00
9516	सी.एम. राइज(1902)	14400.00	0.00
1032	कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण आदि	200.00	24.90

	4722–अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास(0102)	6000.00	1489.47
	योगः–4202,4225 (पूंजीगत)	**108585.04**	**21005.45**
	(31.12..2022 की स्थिति)महायोग	**1014715.397**	**594640.80**
(आई.एफ.एम.आई.एस साफटवेयर एवं बजट पुस्तिका के आधार पर)			
2. जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं			
9843	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाईयां टी.ए.डी.पी.	108.87	30.82
5211-34	स्थानीय विकास कार्यक्रम (राज्य)	20.00	5.93
9022	संचालनालय (TADP)	390.00	231.14
1015	क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (टी.ए.डी.पी.)	124.19	67.46
2304	निर्देशन और प्रशासन (टी.ए.डी.पी.)	253.57	125.14
5211-64	विशेष केन्द्रीय सहायता (64) (S.C.A.TO T.S.P.)	21048.00	10588. 15
5211-51	विशेष केन्द्रीय सहायता (51) (S.C.A.TOT.S.P.)	10000.00	6303.79
7881-51	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)	1238695	70.82
7881-64	संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1)	1877843	10589.36
	योग	**3148482.63**	**28012.61**
3. जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था			
3728 (0102)	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन ,अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	19.46	8.07
3728(0802)	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन ,अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं विकास	852.60	-
0334	आदिवासी अंवेक्षण संस्था	711.97	377.81
		1584.03	385.88
3728(0802)	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन ,अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं विकास	900.00	-
3728(0102)	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन ,अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं विकास	1500.00	1432.52
	योग	**3984.03**	**1818.40**
	महायोग	**4167182.05**	**624471.81**

परिशिष्ट-4

विभाग द्वारा संचालित आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं कन्या परिसर

विशिष्ट आवासीय विद्यालयों की सूची

स. क्र.	संभाग	जिला	विद्यालय का नाम
1	इन्दौर	खरगोन	आदर्श आवासीय विद्यालय खरगौन जिला खरगौन
2	इन्दौर	खंडवा	आदर्श आवासीय विद्यालय जिला खंडवा
3	इन्दौर	धार	आदर्श आवासीय विद्यालय धार जिला धार
4	चम्बल	श्योपुर	आदर्श आवासीय विद्यालय श्योपुर जिला श्योपुर
5	रीवा	सीधी	आदर्श आवासीय विद्यालय,चुरहट जिला सीधी
6	शहडोल	शहडोल	आदर्श आवासीय विद्यालय,जयसिंहनगर जिला शहडोल
7	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	आदर्श आवासीय विद्यालय,तवानगर जिला नर्मदापुरम
8	जबलपुर	बालाघाट	आदर्श आवासीय विद्यालय,मलाजखण्ड जिला बालाघाट
9	इन्दौर	इन्दौर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) इन्दौर, जिला इन्दौर
10	ग्वालियर	गुना	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) गुना, जिला गुना
11	जबलपुर	जबलपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) जबलपुर, जिला जबलपुर
12	चम्बल	श्योपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (पी.टी.जी.) श्योपुर, जिला श्योपुर
13	इन्दौर	अलीराजपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अलीराजपुर जिला अलीराजपुर
14	इन्दौर	इन्दौर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इन्दौर, जिला इन्दौर
15	जबलपुर	डिण्डौरी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करंजिया जिला डिण्डौरी
16	इन्दौर	बुरहानपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खकनार जिला बुरहानपुर
17	इन्दौर	धार	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गंधवानी जिला धार
18	जबलपुर	मंडला	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घुघरी जिला मंडला
19	नर्मदापुरम	बैतूल	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचौली जिला बैतूल
20	जबलपुर	जबलपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जबलपुर, जिला जबलपुर
21	शहडोल	शहडोल	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैतपुर जिला शहडोल
22	इन्दौर	अलीराजपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जोबट जिला अलीराजपुर
23	इन्दौर	खरगोन	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय झिरन्या जिला खरगोन
24	इन्दौर	धार	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डही जिला धार
25	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तामिया जिला छिन्दवाड़ा
26	जबलपुर	मंडला	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणगंज जिला मंडला

27	इन्दौर	बड़वानी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निवाली जिला बडवानी
28	जबलपुर	मंडला	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निवास जिला मंडला
29	इन्दौर	बडवानी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पाटी जिला बडवानी
30	इन्दौर	झाबुआ	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद जिला झाबुआ
31	जबलपुर	बालाघाट	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर जिला बालाघाट
32	नर्मदापुरम	बैतूल	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदेही जिला बैतूल
33	भोपाल	भोपाल	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल, जिला भोपाल
34	इन्दौर	धार	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मनावर जिला धार
35	जबलपुर	डिण्डौरी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेंहदवानी जिला डिण्डौरी
36	इन्दौर	झाबुआ	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेघनगर जिला झाबुआ
37	नर्मदापुरम	हरदा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहटगांव जिला हरदा
38	इन्दौर	बड़वानी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राजपुर जिला बड़वानी
39	शहडोल	शहडोल	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शहडोल, जिला शहडोल
40	जबलपुर	डिण्डौरी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शहपुरा जिला डिण्डौरी
41	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हर्रई जिला छिन्दवाड़ा
42	शहडोल	अनूपपुर	एकलव्य आदर्श विद्यालय अनूपपुर, जिला अनूपपुर
43	जबलपुर	बालाघाट	एकलव्य आदर्श विद्यालय उकवा, जिला बालाघाट
44	इन्दौर	धार	एकलव्य आदर्श विद्यालय कुक्षी, जिला धार
45	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	एकलव्य आदर्श विद्यालय केसला, जिला नर्मदापुरम
46	इन्दौर	खरगोन	एकलव्य आदर्श विद्यालय खरगोन, जिला खरगोन
47	इन्दौर	धार	एकलव्य आदर्श विद्यालय गरडावद, जिला धार
48	जबलपुर	सिवनी	एकलव्य आदर्श विद्यालय घंसौर, जिला सिवनी
49	इन्दौर	अलीराजपुर	एकलव्य आदर्श विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर (सेजावाडा), जिला अलीराजपुर
50	रीवा	सतना	एकलव्य आदर्श विद्यालय चित्रकूट, जिला सतना
51	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	एकलव्य आदर्श विद्यालय जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा
52	रीवा	सीधी	एकलव्य आदर्श विद्यालय टंसार जिला सीधी
53	जबलपुर	डिण्डौरी	एकलव्य आदर्श विद्यालय डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी
54	इन्दौर	झाबुआ	एकलव्य आदर्श विद्यालय थांदला, जिला झाबुआ
55	जबलपुर	जबलपुर	एकलव्य आदर्श विद्यालय नरईनाला, जिला जबलपुर
56	शहडोल	उमरिया	एकलव्य आदर्श विद्यालय पाली, जिला उमरिया
57	इन्दौर	बड़वानी	एकलव्य आदर्श विद्यालय बड़वानी, जिला बड़वानी
58	उज्जैन	रतलाम	एकलव्य आदर्श विद्यालय बाजना, जिला रतलाम
59	भोपाल	सीहोर	एकलव्य आदर्श विद्यालय बुधनी, जिला सीहोर
60	जबलपुर	मण्डला	एकलव्य आदर्श विद्यालय मण्डला, जिला मण्डला

61	रीवा	सतना	एकलव्य आदर्श विद्यालय मैहर, जिला सतना
62	इन्दौर	झाबुआ	एकलव्य आदर्श विद्यालय मोरडुण्डिया जिला झाबुआ
63	इन्दौर	खण्डवा	एकलव्य आदर्श विद्यालय रोशनी जिला खण्डवा
64	नर्मदापुरम	बैतूल	एकलव्य आदर्श विद्यालय शाहपुर, जिला बैतूल
65	रीवा	सिंगरौली	एकलव्य आदर्श विद्यालय सिंगरोली, जिला सिंगरौली
66	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	एकलव्य आदर्श विद्यालय सिंगारदीप जिला छिन्दवाड़ा
67	जबलपुर	मण्डला	एकलव्य आदर्श विद्यालय सिझौरा, जिला मण्डला
68	इन्दौर	बड़वानी	एकलव्य आदर्श विद्यालय सेंधवा, जिला बड़वानी
69	उज्जैन	रतलाम	एकलव्य आदर्श विद्यालय सैलाना, जिला रतलाम
70	इन्दौर	अलीराजपुर	एकलव्य आदर्श विद्यालय सोण्डवा, जिला अलीराजपुर
71	शहडोल	शहडोल	एकलव्य आदर्श विद्यालय सोहागपुर, जिला शहडोल
72	शहडोल	अनूपपुर	कन्या शिक्षा परिसर अनूपपुर
73	इन्दौर	खण्डवा	कन्या शिक्षा परिसर आशापुर
74	इन्दौर	अलीराजपुर	कन्या शिक्षा परिसर उदयगढ़
75	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर उमरवन
76	शहडोल	उमरिया	कन्या शिक्षा परिसर उमरिया
77	जबलपुर	कटनी	कन्या शिक्षा परिसर कटनी
78	इन्दौर	अलीराजपुर	कन्या शिक्षा परिसर कठ्ठीवाड़ा
79	चम्बल	श्योपुर	कन्या शिक्षा परिसर कराहल जिला श्योपुर
80	जबलपुर	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर कुरई
81	रीवा	सीधी	कन्या शिक्षा परिसर कुसमी
82	इन्दौर	खरगोन	कन्या शिक्षा परिसर खरगोन
83	इन्दौर	खण्डवा	कन्या शिक्षा परिसर खेडी
84	इन्दौर	खरगोन	कन्या शिक्षा परिसर गोगांवा
85	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा
86	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव
87	शहडोल	अनूपपुर	कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी
88	इन्दौर	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर झाबुआ
89	जबलपुर	डिण्डौरी	कन्या शिक्षा परिसर डिण्डौरी
90	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर तिरला
91	इन्दौर	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर थांदला
92	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर धरमपुरी
93	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर धार
94	इन्दौर	खरगोन	कन्या शिक्षा परिसर धूलकोट

95	इन्दौर	खण्डवा	कन्या शिक्षा परिसर पंधाना
96	जबलपुर	बालाघाट	कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा
97	इन्दौर	बड़वानी	कन्या शिक्षा परिसर पानसेमल
98	शहडोल	उमरिया	कन्या शिक्षा परिसर पाली
99	शहडोल	अनूपपुर	कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़
100	जबलपुर	डिण्डौरी	कन्या शिक्षा परिसर बजाग
101	इन्दौर	बड़वानी	कन्या शिक्षा परिसर बड़वानी
102	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर बाग
103	जबलपुर	बालाघाट	कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट
104	जबलपुर	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर बिछिया
105	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर बिछुआ
106	जबलपुर	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर बीजाडांडी
107	शहडोल	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर बुढ़ार
108	नर्मदापुरम	बैतूल	कन्या शिक्षा परिसर बैतूल
109	इन्दौर	अलीराजपुर	कन्या शिक्षा परिसर भाभरा
110	जबलपुर	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर मण्डला
111	इन्दौर	खरगोन	कन्या शिक्षा परिसर महेश्वर
112	जबलपुर	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव
113	उज्जैन	रतलाम	कन्या शिक्षा परिसर रतलाम जिला रतलाम
114	इन्दौर	खण्डवा	कन्या शिक्षा परिसर राजुर
115	इन्दौर	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर राणापुर
116	इन्दौर	झाबुआ	कन्या शिक्षा परिसर रामा
117	भोपाल	रायसेन	कन्या शिक्षा परिसर रायसेन
118	ग्वालियर	शिवपुरी	कन्या शिक्षा परिसर शिवपुरी
119	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर सरदारपुर
120	रीवा	सिंगरौली	कन्या शिक्षा परिसर सिंगरौली
121	जबलपुर	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर सिवनी
122	रीवा	सीधी	कन्या शिक्षा परिसर सीधी
123	भोपाल	सीहोर	कन्या शिक्षा परिसर सीहोर
124	इन्दौर	बड़वानी	कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा
125	उज्जैन	रतलाम	कन्या शिक्षा परिसर सैलाना
126	इन्दौर	अलीराजपुर	कन्या शिक्षा परिसर सोंण्डवा
127	शहडोल	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर सोहागपुर
128	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	कन्या शिक्षा परिसर नर्मदापुरम

129	नर्मदापुरम	बैतूल	कन्या शिक्षा परिसर, आठनेर
130	नर्मदापुरम	बैतूल	कन्या शिक्षा परिसर, आमला
131	इन्दौर	इन्दौर	कन्या शिक्षा परिसर, इन्दौर
132	शहडोल	अनूपपुर	कन्या शिक्षा परिसर, कोतमा
133	शहडोल	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर, गोहपारू
134	नर्मदापुरम	बैतूल	कन्या शिक्षा परिसर, घोड़ाडोंगरी
135	जबलपुर	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर, छपारा
136	जबलपुर	जबलपुर	कन्या शिक्षा परिसर, जबलपुर
137	शहडोल	शहडोल	कन्या शिक्षा परिसर, जयसिंहनगर
138	इन्दौर	बड़वानी	कन्या शिक्षा परिसर, ठीकरी
139	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर, नालछा
140	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर, निसरपुर
141	जबलपुर	मण्डला	कन्या शिक्षा परिसर, नैनपुर
142	जबलपुर	छिदंवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, परासिया
143	इन्दौर	खण्डवा	कन्या शिक्षा परिसर, पुनासा
144	इन्दौर	धार	कन्या शिक्षा परिसर, बदनावर
145	उज्जैन	देवास	कन्या शिक्षा परिसर, बागली
146	जबलपुर	बालाघाट	कन्या शिक्षा परिसर, बिरसा
147	इन्दौर	खरगौन	कन्या शिक्षा परिसर, भीकनगांव
148	भोपाल	भोपाल	कन्या शिक्षा परिसर, भोपाल
149	शहडोल	उमरिया	कन्या शिक्षा परिसर, मानपुर
150	रीवा	रीवा	कन्या शिक्षा परिसर, रीवा
151	जबलपुर	सिवनी	कन्या शिक्षा परिसर, लखनादौन
152	भोपाल	सीहोर	कन्या शिक्षा परिसर, लड़कुई
153	जबलपुर	डिण्डौरी	कन्या शिक्षा परिसर, समनापुर
154	सागर	सागर	कन्या शिक्षा परिसर, सागर
155	रीवा	सतना	कन्या शिक्षा परिसर, सोहावाल

परिशिष्ट-5

सी.एम. राइज विद्यालय

क्रमांक	जिला	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	शा. हाई स्कूल खंडाला
2	अलीराजपुर	जोबट	शा. उ.मा.वि. दाबड़ी
3	अलीराजपुर	भाबरा	शा. हाई स्कूल बोरकुण्डिया
4	अलीराजपुर	कट्ठीवाड़ा	शा. कन्या हाई स्कूल कट्ठीवाड़ा
5	अलीराजपुर	सोडवा	शा.हा.स्कूल कडवानिया
6	अलीराजपुर	उदयगड	शा.उमावि कानाकाकड
7	खण्डवा	खालवा	शा. उ.मा.वि. खारकलां
8	खरगोन	भगवानपुरा	शा. उ.मा.वि. धूलकोट
9	खरगोन	भीकनगांव	शा. उ.मा.वि. बमनाला
10	खरगोन	गोगांव	शा. उ.मा.वि. बिस्टान
11	खरगोन	झिरिन्या	शा. उ.मा.वि. बीड़ी
12	खरगोन	खरगोन	शा. उ.मा.वि. टेमला
13	खरगोन	महेश्वर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. महेश्वर
14	खरगोन	सेगांव	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेगांव
15	झाबुआ	मेघनगर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मेघनगर
16	झाबुआ	पेटलावद	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. पेटलावद
17	झाबुआ	थांदला	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. थांदला
18	झाबुआ	राणापुर	शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि.राणापुर
19	झाबुआ	पारा	शा.उ.मा.वि.रजला
20	झाबुआ	थांदला	बालक उमावि. खवासा
21	झाबुआ	झाबुआ	उत्कृष्ट उमावि झाबुआ
22	धार	ड़ही	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. ड़ही
23	धार	धार	शा. बालक उ.मा.वि. धार
24	धार	धरमपुरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. धरमपुरी
25	धार	गंधवानी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गंधवानी
26	धार	गंधवानी	शा. हाई स्कूल पिपली
27	धार	मनावर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. मनावर
28	धार	नालछा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. नालछा

29	धार	उमरबन	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बाकानेर
30	धार	बाघ	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बाघ
31	धार	कुक्षी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. कुक्षी
32	धार	निसरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. निसरपुर
33	धार	सरदारपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. सरदारपुर
34	धार	तिरला	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. तिरला
35	बड़वानी	बडवानी	शा.उ.मा.वि.तलवाडा बुजूर्ग
36	बड़वानी	पाटी	शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि पाटी
37	बड़वानी	निवाली	शा. क.उ.मा.वि. निवाली
38	बड़वानी	राजपुर	शा. कन्या उ.मा.वि. राजपुर
39	बड़वानी	सेंधवा	शा. कन्या उ.मा.वि. सेंधवा
40	बड़वानी	ठीकरी	शा. बालक उ.मा.वि. अन्जड़
41	बड़वानी	बड़वानी	शा. उ.मा.वि. सिलावद
42	बड़वानी	पानसेमल	शा. हाईस्कूल दोदवाडा
43	बुरहानपुर	ख़कनार	शा. उ.मा.वि. नावरा
44	बालाघाट	बिरसा	शा. उ.मा.वि. मलाजखंड
45	बालाघाट	परसवाड़ा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.परसवाड़ा
46	बालाघाट	बैहर	शा. उ.मा.वि. आमगांव
47	डिंडौरी	अमरपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अमरपुर
48	डिंडौरी	करंजिया	शा. उ.मा.वि. करंजिया
49	डिंडौरी	समनापुर	शा. उ.मा.वि. समनापुर
50	डिंडौरी	समनापुर	शा. हाई स्कूल खुड़िया
51	डिंडौरी	शाहपुरा	शा. कन्या उ.मा.वि. शाहपुरा
52	डिंडौरी	मेंहदवानी	शा. उ.मा.वि. राई
53	डिंडौरी	बजाग	शा. उ.मा. वि. सुकुलपुरा
54	डिंडौरी	डिंडौरी	शा. मा. शाला नरिया
55	छिंदवाड़ा	बिछुआ	शा. उ.मा.वि. खमारपानी
56	छिंदवाड़ा	हर्रई	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. हर्रई
57	छिंदवाड़ा	जुन्नारदेव	शा. बालक उ.मा.वि. दमुआ
58	छिंदवाड़ा	तामिया	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. तामिया
59	मंडला	घुघरी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. घुघरी
60	मंडला	मवई	शा. उ.मा.वि. घुटास
61	मंडला	मोहगांव	शा. उ.मा.वि. चाबी
62	मण्ड़ला	नारायणगंज	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. नारायणगंज

63	मण्ड़ला	बीजाडांडी	शा. उ.मा.वि. कालपी
64	मण्ड़ला	मण्ड़ला	शा. उ.मा.वि.शाला सागर
65	मण्ड़ला	नैनपुर	शा. उ.मा.शाला चिरईडोंगरी
66	मण्ड़ला	बिछिया	शासकीय उ.मा.शाला अंजनियाँ
67	मण्ड़ला	निवास	शासकीय उ.मा.शाला हाथीतारा
68	सिवनी	छपारा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. छपारा
69	सिवनी	धनोरा	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. धनोरा
70	सिवनी	घंसौर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. घंसौर
71	सिवनी	लखनादौन	शा. उ.मा.वि. धूमा
72	सिवनी	धनौरा	शा. उ.मा.वि. मुर्गहाई
73	सिवनी	कुरई	शा. उ.मा.वि. सुकतरा
74	अनूपपुर	अनूपपुर	शा. कन्या उ.मा.वि. बदरा कोलियरी
75	अनूपपुर	अनूपपुर	शा. हाई स्कूल खोदरी खुका
76	अनूपपुर	कोतमा	शा.प्रा.वि.पचखुरा
77	अनूपपुर	जैत्हरी	शा.उ.मा.वि.खूटाटोला
78	अनूपपुर	पुष्पराजगढ	शा.उ.मा.वि.अमगवां
79	उमरिया	पाली	शा. उ.मा.वि. बन्नोदा
80	शहडोल	बुढ़ार	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बुढ़ार
81	शहडोल	गोहपारू	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गोहपारू
82	शहडोल	जयसिंह नगर	शा. उ.मा.वि. जयसिंह नगर
83	शहडोल	सोहागपुर	शा. उ.मा.वि. छतवई
84	नर्मदापुरम	केसला	शा. उ.मा.वि. सुखतवा
85	बैतूल	भैंसदेही	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. भैंसदेही
86	बैतूल	भीमपुर	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. भीमपुर
87	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	शा. कन्या उ.मा.वि. घोड़ाडोंगरी
88	बैतूल	शाहपुर	शा. बालक उ.मा.वि. शाहपुर
89	बैतूल	आठनेर	शा.उ.मा.वि. हिडली
90	बैतूल	भीमपुर	शा.उ.मा.वि.गुरूवापिपरिया
91	बैतूल	चिचोली	शा.उ.मा.वि. नसीराबाद
92	रतलाम	बाजना	शा. उ.मा.वि. रावटी
93	रतलाम	सैलाना	शा.बा. उतकृष्ट उ.मा.वि सैलाना
94	श्योपुर	कराहल	शा. उ.मा.वि. पहेला
95	सीधी	कुसमी	शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. कुसमी

परिशिष्ट-06

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अंतगत विदेश गए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी

नाम – कु. पलक कुमरे

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Kent University, UK

कोर्स – Masters of International, Law LLM

कोर्स अवधि - एक वर्षी 3 माह

नाम – कु. प्रियंका कुशरे

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Royal Holloway University, LONDON

कोर्स – MSc. In Digital Marketing,

कोर्स अवधि - एक वर्ष

नाम – कु. अनुपमा जाधव

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- UNSW, Sydney

कोर्स – International Business

कोर्स अवधि – दो वर्ष

नाम – कु. ग्लो रिना एंथोनि

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- - UNSW, Sydney

कोर्स – Masters, in Professional accounting

कोर्स अवधि – दो वर्ष

नाम – कु. सोनू चौहान

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- TRENT University, Canada

कोर्स – Master of Management

कोर्स अवधि – 16 माह

नाम – श्री आकाश करारी

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Brunel University, London

कोर्स – M.sc in oil and Gas Engineering

कोर्स अवधि – एक वर्ष

नाम – श्री अनुराग सेनानी

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- University of Washington, USA

कोर्स – Master of science in Construction Management,

कोर्स अवधि – एक वर्ष

नाम – श्री अर्पित मेड़ा

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- HERIOT WATT University Dubai Campus, Dubai

कोर्स – International Business Management with marketing. MSc.

कोर्स अवधि – एक वर्षीय

नाम – श्री रवि मेड़ा

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Universiti SAINS MALAYSIA

कोर्स – Doctor of Philosophy (PHD)

कोर्स अवधि – 4 वर्षिय

नाम – श्री अशोक सिंह

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- LEEDS BECKETT

UNIVERSITY UK

कोर्स – MSc Sports and Exercise Biomechanics FT

कोर्स अवधि - एक वर्षीय

नाम –श्री अनिल बारेला

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Anglia Ruskin,

University, UK

कोर्स – Msc. in international Business

कोर्स अवधि – दो वर्ष

नाम – श्री साहिल ताहिर

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- Loughborough University, London

कोर्स – M.sc International Management,

कोर्स अवधि – एक वर्षीय

नाम – श्री अभिषेक सिंह चौहान

वर्ष – 2022-23

यूनिवर्सिटी का नाम- The University for the real

World, Brisbane, Australia

कोर्स – BS11 Master of Business

कोर्स अवधि – 2 वर्षिय

परिशिष्ट-07

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भुमिया, भुईहार, भूमिआ, भुमिया, भारिआ, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बिआर, बियार
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामरिया
14. धनवार
15. गदाबा, गदबा
16. गोंड, गोंड, अरख, अर्राख, अगरिया, असुर बडी मारिया, बड़ा, मारिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोइलाभूता, कोलियाभूती, भार, बायसनर्हान, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, घुरू, घुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गैता, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुड़िया, मुरिया नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वडे, मारिया, वडेमाड़िया, दरोई
17. हलबा हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री
21. कीर (भोपाल, सिहोर तथा रायसेन जिलों में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांग 8.1.2033 द्वारा विलोपित
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया

24. कोंध, खोंड, कंध

25. कोल

26. कोलम

27. कोरकू, बोपची, मोआसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंदेया

28. कोरवा, कोड़ाकू

29. माझी

30. मझवार

31. मवासी

32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा विलोपित

33. मुंडा

34. नगेसिया, नगासिया

35. उरांव, धनका, धनगड़

36. पनिका (छत्तरपुर, दतिया, पन्ना , रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों में)

37. पाव

38. परधान, पठारी, सरोती

39. पारधी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा विलोपित

40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस, पारधी, शिकारी, टाकनकर, टाकिया (1) छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी और सिवनी जिलों में (2) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में (3) बैतूल जिले की बैतूल, भैंसदेही और शाहपुर तहसीलों में (4) जबलपुर जिले की पाटन तहसील तथा सिहोरा और मझौली विकासखण्ड़ों में (5) कटनी जिले की कटनी (मुरवारा) और विजयराघवगढ़ तहसीलों तथा बहोरीबंध और ढीमरखेड़ा विकास खण्डों में (6) नर्मदापुरम जिले की बावई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तहसीलों तथा केसला विकास खण्ड में (7) जिला नरसिंहपुर और (8) खण्डवा जिले की हरसूद तहसील में।

41. परजा

42. सहरिया, सहारिआ, सेहारिआ, सेहरिआ, सोसिया, सोर

43. संओता, सौंता

44. सौर

45. सवर, सवरा

46. सोंर

परिशिष्ट-08

अनुसूचित क्षेत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 'अनुसूचित क्षेत्र' को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार -

'ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो।' एक राज्य के संबंध में 'अनुसूचित क्षेत्रों' का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है।

अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के मानदण्ड :-

पांचवी अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में घोषित करने के लिये मानदण्ड हैं -

- जनजातीय आबादी की प्रधानता ।
- क्षेत्र की सघनता और उचित आकार ।
- एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे- जिला, ब्लॉक या तालुक और
- पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन ।

अनुसूचित क्षेत्र आदेश -2003 मध्यप्रदेश

क्रमांक	जिला	अनुसूचित क्षेत्र
1	झाबुआ	झाबुआ जिला
2	मंडला	मंडला जिला
3	डिण्डौरी	डिण्डौरी जिला
4	बड़वानी	बड़वानी जिला
5	धार	सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी एवं मनावर तहसील।
6	खरगौन (पश्चिम निमाड़)	खरगौन (पश्चिम निमाड़) भगवानुपरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगौन एवं महेश्वर तहसील।
7	खण्डवा (पूर्वी निमाड़)	हरसूद तहसील का खालवा आदिम जाति विकासखण्ड एवं खकनार तहसील का खकनार आदिम जाति विकासखण्ड ।
8	रतलाम	सैलाना तथा बाजना तहसील
9	बैतूल	बैतूल (बैतूल विकासखण्ड को छोड़कर) भैंसदेही और शाहपुर तहसील।
10	सिवनी	लखनादौन, घंसौर एवं कुरई तहसील।
11	बालाघाट	बैहर तहसील।
12	नर्मदापुरम	इटारसी तहसील का केसला आदिम जाति विकासखण्ड।
13	शहडोल	पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, सोहागपुर एवं जयसिंहनगर।
14	उमरिया	पाली तहसील में पाली आदिम जाति विकासखण्ड।

15	सीधी	कुसमी तहसील में कुसमी आदिम जाति विकासखण्ड।
16	श्योपुर	कराहल तहसील में कराहल आदिम जाति विकासखण्ड।
17	छिन्दवाड़ा	तामिया एवं जामई तहसील के पटवारी सर्कल क्र. 10 से 12 एवं 16 से 19 तक, परासिया तहसील में पटवारी सर्कल क्र. 09 में सिरेगांव खुर्द एवं किरवारी तथा पटवारी सर्कल क्र. 13 में ग्राम मैनावाड़ी एवं गवली परासिया, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी सर्कल क्र. 25 का ग्राम बम्हनी, अमरवाड़ा तहसील में आदिम जाति, विकासखण्ड हर्रई एवं पटवारी सर्कल क्र.28 से 36, 41, 43, 44 तथा 45-बी, बिछुआ एवं सौंसर तहसील के पटवारी सर्कल क्र. 05, 08, 09, 10, 11 एवं पांढूर्ना तहसील में पटवारी सर्कल क्र. 01 से 11 तथा 13 से 26 एवं पटवारी सर्कल क्र. 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्कल क्र. 27 का ग्राम नंदपुर, पटवारी सर्कल क्र. 28 के ग्राम नीलकंठ एवं ढौण्डीखापा। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में प्रदर्शित किया कोई भी नाम इस आदेश के आरंभ होने पर उस नाम के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में वर्तमान के समान समझा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राजभवन में जनजातीय विद्यार्थियों से सौजन्य भेंट की और उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए बैंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के इन जनजातीय विद्यार्थियों ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरान्वित किया। इस उपलब्धि पर राज्यपाल ने इन सभी विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान जनजातीय विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी।

परिशिष्ट-09

जनजातीय बाहुल्य जिले एवं जनजातीय बाहुल्य 89 विकासखण्डों की जनसंख्या (जनगणना -2011)

क्र.	जिला	क्र.	जनजातीय विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत
इन्दौर संभाग						
1	बुरहानपुर	1	खकनार	213794	130511	61.05
2	खण्डवा	2	खालवा	222512	153904	69.17
3	झाबुआ	3	झाबुआ	156920	149345	95.17
		4	रामा	130531	124088	95.06
		5	राणापुर	102367	98184	95.91
		6	पेटलावद	217626	181917	83.59
		7	थांदला	166606	158456	95.11
		8	मेघनगर	159015	149508	94.02
4	अलीराजपुर	9	अलीराजपुर	128135	121783	95.04
		10	जोबट	94235	89531	95.01
		11	भाभरा	80133	77401	96.59
		12	सोंडवा	178247	166621	93.48
		13	कटठीवाड़ा	105982	91504	86.34
		14	उदयगढ़	85193	80995	95.07
5	बड़वानी	15	बड़वानी	155557	111081	71.41
		16	पाटी	162432	136455	84.01
		17	ठीकरी	135409	58803	43.43
		18	राजपुर	182156	144373	79.26
		19	पानसेमल	130065	105551	81.15
		20	संधवा	303554	270920	89.25
		21	निवाली	112639	98467	87.42
6	खरगौन	22	खरगौन	113162	20977	18.54
		23	महेश्वर	196278	56672	28.87
		24	भीकनगांव	175563	85583	48.75

		25	झिरन्या	201756	161863	80.23
		26	गोगवां	112458	31775	28.25
		27	सेगांव	83487	63652	76.24
		28	भगवानपुरा	192996	168151	87.13
7	धार	29	धार	105321	16062	15.25
		30	नालछा	138805	77991	56.19
		31	डही	105733	91956	86.97
		32	निसरपुर	89118	43545	48.86
		33	गंधवानी	156046	141601	90.74
		34	उमरवन (बकानेर)	135543	101954	75.22
		35	मनावर	142252	85822	60.33
		36	धरमपुरी	135203	77886	57.61
		37	कुक्षी	82449	68976	83.66
		38	तिरला	94917	74057	78.02
		39	सरदारपुर	268552	173938	64.77
		40	बाग	113110	108498	95.92
जबलपुर संभाग						
8	मण्डला	41	मण्डला	151026	74407	49.27
		42	नैनपुर	127718	72609	56.85
		43	घुघरी	95090	70975	74.64
		44	विछिया	149120	83320	55.87
		45	मवई	98775	74131	75.05
		46	मोहगांव	77733	49613	63.82
		47	निवास	63884	42937	67.21
		48	नारायणगंज	85825	60226	70.17
		49	बीजाडाण्डी	75545	62217	82.36
9	सिवनी	50	धनोरा	85066	49254	57.90
		51	घंसौर	135542	86227	63.62
		52	कुरई	116895	57092	48.84
		53	लखनादौन	190848	99722	52.25
		54	छपारा	107653	56416	52.41

10	छिंदवाड़ा	55	जुन्नारदेव	182162	112598	61.81
		56	बिछुआ	87691	48923	55.79
		57	हर्रई	124188	100922	81.27
		58	तामिया	114176	89431	78.33
11	बालाघाट	59	बैहर	106275	71554	67.33
		60	बिरसा	127251	69424	54.56
		61	परसवाड़ा	101258	54082	53.41
12	डिण्डौरी	62	मेहदवानी	82651	63392	76.70
		63	कंरजिया	86802	64507	74.32
		64	अमरपुर	74239	50128	67.52
		65	शहपुरा	123399	80560	65.28
		66	समनापुर	86577	54798	63.29
		67	बजाग	85611	55338	64.64
		68	डिण्डौरी	132927	79697	59.96
	नर्मदापुरम संभाग					
13	नर्मदापुरम	69	केसला	107571	49676	46.18
14	बैतूल	70	आठनेर	94878	50425	53.15
		71	भैंसदेही	126410	76916	60.85
		72	बैतूल	166219	68877	41.44
		73	भीमपुर	150924	129179	85.59
		74	चिचोली	77513	55348	71.40
		75	घोड़ाडोंगरी	139904	86552	61.87
		76	शाहपुर	107350	73518	68.48
	उज्जैन संभाग					
15	रतलाम	77	सैलाना	122970	108702	88.40
		78	बाजना	164461	154286	93.81
	रीवा संभाग					
16.	शहडोल	79	सोहागपुर	187275	99938	53.36
		80	बुढ़ार	177842	102620	57.70
		81	गोहपारू (पाली नं.-1)	108136	67292	62.23
		82	जयसिंहनगर	185061	94432	51.03

17	अनूपपुर	83	अनूपपुर	105291	41262	39.19
		84	जैतहरी	158969	80056	50.36
		85	कोतमा	58147	23186	39.87
		86	पुष्पराजगढ़	221589	173123	78.13
18	सीधी	87	कुसमी	80820	49552	61.31
19	उमरिया	88	पाली	72667	54415	74.88
चम्बल संभाग						
20	श्योपुर	89	कराहल	129884	81926	63.08

सी.एम. राइज विद्यालयों प्राचार्यों के लिए प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यशाला में आईआईएम इंदौर के विशेषज्ञों ने उन्हें मैनेजमेंट, लीडरशिपल और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रदान की गई।

सी.एम. राइज विद्यालयों के शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यशालाओं के तहत उन्हें ईएमआरएस भोपाल में एक्सपोज़र विजिट करवाकर शैक्षणिक नवाचारों के बारें में बताया गया।

परिशिष्ट-10

जनगणना 2011 अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या एवं कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

State/Distt. Name	Total Population			Scheduled Tribes population		
	Person	Male	Female	Person	Male	Female
MADHYA PRADESH	72626809	37612306	35014503	15316784	7719404	7597380
Sheopur	687861	361784	326077	161448	82637	78811
Morena	1965970	1068417	897553	17030	8947	8083
Bhind	1703005	926843	776162	6131	3283	2848
Gwalior	2032036	1090327	941709	72133	37704	34429
Datia	786754	420157	366597	15061	7870	7191
Shivpuri	1726050	919795	806255	227802	117111	110691
Tikamgarh	1445166	760355	684811	67857	34923	32934
Chhatarpur	1762375	936121	826254	73597	38081	35516
Panna	1016520	533480	483040	170879	87697	83182
Sagar	2378458	1256257	1122201	221936	114771	107165
Damoh	1264219	661873	602346	166295	84809	81486
Satna	2228935	1157495	1071440	319975	163166	156809
Rewa	2365106	1225100	1140006	311985	161696	150289
Umaria	644758	330674	314084	300687	151988	148699
Neemuch	826067	422653	403414	71441	36738	34703
Mandsaur	1340411	682851	657560	33092	17023	16069
Ratlam	1455069	738241	716828	409865	206290	203575
Ujjain	1986864	1016289	970575	48730	24925	23805
Shajapur	1512681	780520	732161	37836	19416	18420
Dewas	1563715	805359	758356	272701	139174	133527
Dhar	2185793	1112725	1073068	1222814	614619	608195
Indore	3276697	1699627	1577070	217679	112687	104992

Khargone (West Nimar)	1873046	953121	919925	730169	366827	363342
Barwani	1385881	699340	686541	962145	482182	479963
Rajgarh	1545814	790212	755602	53751	27477	26274
Vidisha	1458875	769568	689307	67603	34993	32610
Bhopal	2371061	1236130	1134931	69429	35966	33463
Sehore	1311332	683743	627589	145512	74391	71121
Raisen	1331597	700358	631239	205006	105627	99379
Betul	1575362	799236	776126	667018	333166	333852
Harda	570465	294838	275627	159678	81446	78232
Hoshangabad	1241350	648725	592625	197300	101041	96259
Katni	1292042	662013	630029	317699	159799	157900
Jabalpur	2463289	1277278	1186011	375231	189915	185316
Narsimhapur	1091854	568810	523044	145879	74127	71752
Dindori	704524	351913	352611	455789	225699	230090
Mandla	1054905	525272	529633	610528	299918	310610
Chhindwara	2090922	1064468	1026454	769778	385785	383993
Seoni	1379131	695879	683252	519856	258121	261735
Balaghat	1701698	842178	859520	383026	186979	196047
Guna	1241519	649362	592157	190819	98206	92613
Ashoknagar	845071	443837	401234	82072	42447	39625
Shahdol	1066063	540021	526042	476008	236947	239061
Anuppur	749237	379114	370123	358543	177977	180566
Sidhi	1127033	575912	551121	313304	159192	154112
Singrauli	1178273	613637	564636	383994	196133	187861
Jhabua	1025048	515023	510025	891818	446359	445459
Alirajpur	728999	362542	366457	648638	321842	326796
Khandwa (East Nimar)	1310061	674329	635732	459122	234867	224255
Burhanpur	757847	388504	369343	230095	116420	113675
Grand Total :	**72626809**	**37612306**	**35014503**	**15316784**	**7719404**	**7597380**

परिशिष्ट-11

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

नवीन 28 व्ही.टी.सी.			
1	अलीराजपुर	1	भाबरा
		2	कट्ठीवाड़ा
		3	सोंडवा
		4	उदयगढ़
2	झाबुआ	5	पेटलावद
3	धार	6	मनावर
		7	तिरला
4	खरगौन	8	खरगौन
		9	सेगांव
		10	महेश्वर
5	बुरहानपुर	11	खकनार
6	बैतूल	12	बैतूल
		13	चिचोली
7	अनूपपुर	14	पुष्पराजगढ़
8	शहडोल	15	बुढार
9	मंडला	16	घुघरी
		17	मोहगांव
10	सिवनी	18	छपारा
11	छिंदवाड़ा	19	हर्रई
12	बालाघाट	20	बिरसा
		21	परसवाड़ा
13	डिंडौरी	22	समनापुर
14	उमरिया	23	पाली
15	श्योपुर	24	कराहल
16	बालाघाट	25	बालाघाट

17	नर्मदापुरम	26	केसला
18	खण्डवा	27	खालवा (आंबलिया)
19	सिंगरौली	28	सिंगरौली
पूर्व से संचालित 10 व्ही.टी.सी.			
1	रतलाम	1	सैलाना
2	झाबुआ	2	झाबुआ
3	धार	3	धामनोद
4	धार	4	पीथमपुर
5	बड़वानी	5	सेंधवा
6	बड़वानी	6	बड़वानी
7	मण्डला	7	मण्डला
8	मण्डला	8	सिझौरा
9	बालाघाट	9	बैहर
10	सीधी	10	चुरहट
पूर्व से संचालित 09 टी.सी.पी.सी.			
1	झाबुआ	1	झाबुआ
2	धार	2	टांडा
3	बड़वानी	3	बड़वानी
4	रतलाम	4	रावटी
5	मण्डला	5	मण्डला
6	बालाघाट	6	बैहर
7	सीधी	7	सीधी
8	अनूपपुर	8	अमरकंटक
9	डिण्डौरी	9	डिण्डौरी

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट-12

राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्रं.	अशासकीय संस्था का नाम	प्रवृत्ति/संचालन का स्थान
1	2	3
इन्दौर संभाग इन्दौर		
जिला-इन्दौर		
	भारतीय ग्रामीण महिला संघ राऊ, इन्दौर	1. कन्या छात्रावास जनजाति राऊ
	ऊषा किरण महिला सिलाइ-कढ़ाई, केन्द्र इन्दौर	1. आदिवासी बालवाड़ी
जिला-खरगोन		
	आदिवासी विकास केन्द्र बबलई, खरगौन- भील सेवा संघ	1. बालक/कन्या (50+25) बालवाड़ी आश्रम / प्राथमिक शाला /आयुर्वेदिक औषद्यालय/ प्रसूति केन्द्र, बबलई
जिला अलीराजपुर		
	भील सेवा संघ, झाबुआ	1. आदिवासी बालक आश्रम अम्बुआ
	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट कठ्ठीवाडा	1. बालक आश्रम कठ्ठीवाडा 250 सीट्स
		2. कन्या आश्रम कठ्ठीवाडा 150 सीट्स
		3. हाईस्कूल,कठ्ठीवाडा
		4. आयुर्वेदी औषधालय
	वनवासी कल्याण परिषद म.प्र.भोपाल	1 वल्लभ वनवासी आश्रम, अलीराजपुर
जिला-झाबुआ		
	भील सेवा संघ, झाबुआ	1. बालक आश्रम किशनपुरी
		2.माध्यमिक आश्रम किशनपुरी
		3. मुख्यालय झाबुआ
		4. आदिवासी आश्रम रेंहदा
		5. कन्या आश्रम झकेला
		6.चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी कन्या/ बालक/ आश्रम/ छात्रावास/बालवाड़ी गुलाबपुरा

	आदिमजाति अनुसूचित जाति ग्रामीण कल्याण केन्द्र बगईबडी	1. आदिवासी आश्रम बगईबडी माता चामुंडा आदिवासी बालक /कन्या आश्रम बगईबडी
		2. आदिवासी आश्रम बालक/कन्या बगइ छोटी
		3. आदिवासी विकास बालक भोरकुडिया
	ग्राम स्वराज आश्रम माण्डलीनाथू झाबुआ	1 सबरीक न्या आश्रम माण्डलीनाथू ।
		2.पण्डित रविशंकर उ.मा.वि माण्डलीनाथू ।
		3.ग्राम स्वराज बालक आश्रम माण्डलीनाथू ।
		4. माध्यमिक विद्यालय माण्डलीनाथू।
		5. सरदार छात्रावास माण्डलीनाथू ।
		6.आश्रम/छात्रावास बालवाडी माण्डलीनाथू
	निराश्रित बालक आश्रम राणापुर झाबुआ	1.विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालय राणापुर
		2. बालक कन्या बालवाडी राणापुर।
		3. बालक आश्रम राणापुर ।
		4. कन्या आश्रम राणापुर ।
	बापू ग्रामीण सेवा केन्द्र पीथनपुर झाबुआ	1. प्राथमिक शाला धमोई बालवाडी आरोग्य केन्द्र
		2. बालक आश्रम धमोई ।
	आदिवासी शिक्षा संस्कृति एवं पर्यावरण केन्द्र धमनीचमना झाबुआ	1. मुख्यालय धमनीचमना
		2. कन्या आश्रम कालापान
		3. बालक आश्रम धमनीचमना
	अखिल भारतीय दयांनद सेवाश्रम संघ नई दिल्ली शाखा थांदला जिला झाबुआ	1. दयांनद सेवाश्रम मुख्यालय थांदला
		2. महर्षि बालक छात्रावास काकनवानी
		3. महर्षि दयानंद बालक आश्रम अंतरबेलिया जिला झाबुआ
	पुष्पा माध्यमिक शाला डुबरीपाड़ा	1. माध्यमिक शाला डुबरीपाड़ा
		2. प्राथमिक शाला डुगरीपाड़ा
	वनवासी कल्याण परिषद भोपाल	1. चन्द्रशेखर आजाद छात्रावास झाबुआ
		2. वल्लभ बनवासी आश्रम राणापुर
जिला - खण्डवा		
	भील सेवा संघ झाबुआ	1. बालकआश्रम,बालवाड़ी,आयुर्वेदिक औषद्यालय, सुंदरदेव.

जिला - धार		
	ग्राम भारती आश्रम टबलई जिला धार	1. कुमार मंदिर बालवाड़ी टबलई माध्यमिक विद्यालय टबलई.
		2. कमार मंदिर हाईस्कूल टबलई (माध्य. विद्यालय से उन्नयन)
	भील सेवा संघ (इन्दौर संभाग) झाबुआ द्वारा धार जिले में संचालित प्रवृत्तियाँ	1. आदिवासी बालक आश्रम, वेकलिया(50 सीट्स) बालवाड़ी/बाल मंदिर
		2..बालक आश्रम, जुगतलाई (50 सीट्स)
		3. बालक आश्रम खेड़ली(बाग) 50 सीट्स बालवाड़ी/ आयुर्वेदिक औषद्यालय
		5.कन्या/बालक आश्रम तलावड़ी(30+50) कुक्षी,बालवाड़ी/बालमंदिर/आयुर्वेदिक औषद्यालय
		6. कन्या/बालक आश्रम तारापुर(धरमपुरी) (30+50) कुक्षी,बालवाड़ी बाल मंदिर/ आयुर्वेदिक औषद्यालय
	वनवासी कल्याण परिषद	1. राणा बक्तावर सिंह बालक छात्रावास
		2. एकलव्य वनवासी आश्रम कुक्षी
		3. रानी दुर्गावती कन्या छात्रावास, बाग
जिला - बडवानी		
	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इन्दौर द्वारा बड़वानी जिले में संचालित प्रवृत्ति	1. कस्तूरबा कन्या वनवासी आश्रम निवाली, 460 सीट्स विद्यालय (आश्रम/विद्यालय)
		2. कन्या आश्रम/विद्यालय निवाली 110 सीट्स
		3. कस्तूरबा कन्या आश्रम/विद्यालय निवाली 400 सीट्स
		4. कन्या आश्रम/विद्यालय, वरला 50 सीट्स
		5. कन्या आश्रम/विद्यालय, घनोरा, 50 सीट्स
	भील सेवा संघ	1. ठक्कर बापा आदिवासी आश्रम प्राथमिक शाला बोकराटा (बालक/कन्या) 50+30 बालवाड़ी/ बालमंदिर / आयुर्वेदिक औषद्यालय
		2. लाल बहादुर शास्त्री आदिवासी आश्रम प्राथमिक शाला (बालक/कन्या) 50+30 जोगवाड़ा/बालवाड़ी/ आयुर्वेदिक औषधालय
		3. चन्द्रशेखर आजाद बालक आश्रम, चिचदा, प्राथमिक शाला (बालक/कन्या) 50 सीट बालवाड़ी/ आयुर्वेदिक औषद्यालय

शहडोल संभाग शहडोल		
जिला अनुपपूर		
	विद्या निकेतन शिक्षा समिति भदराकालरी, अनूपपुर	1. विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कदमटोला
		2. कन्या उ.मा.वि. जमुनाकालरी
जिला-शहडोल		
	पाण्डे शिक्षा समिति भमरहा, सतना द्वारा शहडोल जिले में संचालित प्रवत्तियां	1. आवासीय कन्या उ.मा.वि. जयसिंह नगर 200 सीट्स
		3. आवासीय उ.मा.वि. टिहकी, 50 सीट्स
		4. आवासीय बालक छात्रावास टिहकी 50 सीट्स
		5. समिति का मुख्यालय जयसिंह नगर भमरहा
रीवा संभाग रीवा		
जिला-सतना		
	पाण्डे शिक्षा समिति भमरहा, सतना	1. आवासीय कन्या माध्यमिक शाला भमरहा 50 सीट्स
		2. आवासीय कन्या आश्रम भमरहा 100 सीट्स
		3. आवासीय उ.मा.वि. भमरहा 200 सीट्स
		4. आवासीय बालक आश्रम शाला भमरहा 100 सीट्स.
	दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा सतना जिले में संचालित	1. आदिवासी रामनाथ आश्रम हाईस्कूल, चित्रकूट सतना
		2. आदिवासी रामनाथ आश्रम माध्यमिक शाला, चित्रकूट सतना
		3. आदिवासी रामनाथ आश्रम प्राथमिक शाला, चित्रकूट सतना
जबलपुर संभाग जबलपुर		
जिला-जबलपुर		
	आदिवासी महासंघ कंचनपुर आधारताल, जबलपुर	1. गोंडवाना आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक/माध्यमिक शाला जबलपुर
	न्यू अमर ज्योति शिक्षा समिति दीनापुर, सतना	1. अर्जन उ.मा.वि. पड़रिया कुण्डम
	गंगामैया शिक्षा समिति व्हीकल, जबलपुर	1.आदर्श प्राथमिक/माध्यमिक शाला व्हीकल जबलपुर

जिला-छिन्दवाड़ा		
	ग्राम कल्याण समिति सोनपुर, छिन्दवाड़ा	1. माध्यमिक शाला सरवनी
		2. माध्यमिक शाला उटेकांटा
		3. माध्यमिक शाला सोनपुर
		4. प्राथमिक शाला धोंदी
		5. प्राथमिक शाला भुडकम
		6. प्राथमिक शाला बर्राछोटी
		7. प्राथमिक शाला घोटनी
		8. प्राथमिक शाला तोरनी
	अर्द्ध आदिवासी विकास संघ रंगारी छिन्दवाड़ा	1. प्राथमिक शाला सारदोनी, रंगारी
	ग्रामीण आदिवासी शिक्षा समिति उत्थान समिति खुटामा, छिन्दवाड़ा	1. लालबहादुर माध्यमिक शाला खुटामा
		2. प्राथमिक शाला खुटामा
	जय ग्रामोत्थान शिक्षा समिति रामबाग छिन्दवाड़ा	1.पंडित जवाहरलाल नेहरु हाईस्कूल जमुनिया
	भारती भाषा संस्थान जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा	1. अल्पभाषी हाईस्कूल
जिला डिण्डौरी		
	वनवासी सेवा मंडला मंडला	1. बालक प्राथमिक शाला बोंदर
		2. कन्या प्राथमिक शाला बोंदर
		3. प्राथमिक शाला परसवाहा
		4. प्राथमिक शाला गीदहा
		5. प्राथमिक शाला माधोपुर
		6. प्राथमिक शाला बरनई
		7. प्राथमिक शाला जाड़ासुरंग
		8. प्राथमिक शाला जरहानेजर
		9. माध्यमिक शाला- बोंदर
		10. बालक छात्रावास- बोंदर
		11. कन्या छात्रावास बोंदर
		12. कन्या आश्रम', डिण्डौरी
		13. नेहरु औषद्यालय बोंदर, सुनियामार
		14. उपकार्यालय डिंडौरी
		15. औषधालय, सुनियामार
	प्रेरणा शिक्षा समिति डिण्डौरी	1. रानी अवंतीबाई हाईस्कूल शाहपुर

जिला मंडला		
	वनवासी सेवा मंडला मंडला	1. प्राथमिक शाला मानादेही
		2. प्राथमिक शाला खलौड़ी
		3. विभागीय कार्यालय
		4. माध्यमिक शाला भुआबिछिया
		5. प्राथमिक शाला मचला
		6. प्राथमिक शाला धरमपुरी
		7. प्राथमिक शाला कामता
		8. प्राथमिक शाला ठेभा
		9. माध्यमिक मानादेही
		10. माध्यमिक शाला अंजनी
		11. बालक छात्रावास महाराजपुर
		12. बालक छात्रावास भुआबिछिया
		13. बालक छात्रावास अंजनी
	आदिवासी विकास समिति बबलिया जेवरा मंडला	1. बजरंग उ.मा.वि. बबलिया जेवरा
	रानी अवंती बाई कल्याण समिति पटेहरा नारायणगंज जिला मंडला	1. हाईस्कूल पटेहरा नारायणगंज जिला मंडला
उज्जैन संभाग उज्जैन		
जिला-रतलाम		
	भील सेवा संघ, झाबुआ	1.बालक/कन्या आदिवासी आश्रम कुदंनपुर रतलाम (50+30)
	दयानंद सेवाश्रम संघ नई दिल्ली द्वारा जिला झाबुआ द्वारा संचालित मुख्यालय, थांदला	1.महर्षि दयानन्द सेवाश्रम सरवन
		2. महर्षि दयानन्द सेवाश्रम कुण्डा
	वनवासी कल्याण परिषद	1.बाल्मीकी छात्रावास
भोपाल संभाग भोपाल		
जिला- विदिशा		
	म.प्र. सहरिया सेवा संघ ग्वालियर द्वारा संचालित	1.आदिवासी बालक छात्रावास कुरबाई

जिला-रायसेन		
	आदिवासी सेवा संघ बाड़ी, रायसेन	1.आदिवासी सेवा संघ मुख्यालय बाड़ी
		2.आदिवासी बालक आश्रम बाड़ी रायसेन
		3.आदिवासी कन्या आश्रम बाड़ी रायसेन
ग्वालियर संभाग ग्वालियर		
जिला-गुना		
	प्रणामी आदिवासी शिक्षा समिति सिरसीजागीर, गुना	1.निजानंद बालक आश्रम शाला, श्यामपुरा
	जिला-अशोक नगर	
	म.प्र.सहरिया सेवा संघ ग्वालियर	1.बालक छात्रावास चंदेरी
	जिला-ग्वालियर	
	म.प्र.सहरिया सेवा संघ ग्वालियर	1.मुख्यालय प्रवृत्ति
		2.आदिवासी बालक छात्रावास मोहना 30सीट
जिला-शिवपुरी		
	म.प्र.सहरिया सेवा संघ ग्वालियर	1. आदिवासी प्रीमैट्रिक छात्रावास पोहरी
		2. आदिवासी प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास खनियाधाना
चंबल संभाग ग्वालियर		
जिला- श्योपुर		
	म.प्र.सहरिया सेवा संघ ग्वालियर	1. आदिवासी बालक छात्रावास कराहल
		2. बालक छात्रावास ढोढर
		3. बालक छात्रावास विजयपुर
		4. बालक छात्रावास वीरपुर बड़ौदा
		5. सामुदायिक कल्याण केन्द्र बड़ौदा.
	वनवासी कल्याण परिषद म.प्र. भोपाल	1.एकलव्य वनवासी छात्रावास श्योपुर
	आदिवासी विकास शिक्षा समिति चकसनखोरा विजयपुर जिला श्योपुर	1. प्राथमिक शाला वीरमपुर
		2. प्राथमिक शाला चकसनखोरा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के जनजातीय विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण किया। भारत सरकार द्वारा बैंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 13 विधाओं में पुरस्कार प्राप्त कर देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले इन विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने करंज, गुलमोहर और केसिया के पौधे रोपकर उन्हें प्रोत्साहित किया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए बैंगलुरु में आयोजित तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्ट के दौरान वहां कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत से भेंट करते म.प्र. के विद्यार्थी।

आंध्रप्रदेश में 17 से 22 दिसंबर तक आयोजित तृतीय राष्ट्रीय ईएमआरएस खेल-कूद प्रतियोगिता 2022 में हिस्सा लेने जाते विद्यार्थियों को रानी कमलापति स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करती जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को 'चैपिंयन-90' के तहत आईआईटी-जेईई की फ्री कोचिंग 'चैपिंयन-90' के उद्घाटन समारोह के दौरान जनजातीय कार्य आयुक्त श्री संजीव सिंह और संभागीय उपायुक्त श्रीमती सीमा सोनी विद्यार्थियों के साथ।

जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. के अधीन संचालित मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसीडेंसियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के संचालक मंडल की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य डॉ. पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त श्री संजीव सिंह, अपर आयुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी एवं संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री एस. धनराजू आदि।

उत्कृष्ट शिक्षा हेतु प्रशासन अकादमी में आयोजित प्रदेश के विभागीय अधिकारियों की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल और आयुक्त श्री संजीव सिंह व अन्य।

सी.एम. राइज विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण के लिए जनजातीय चित्रकारों की कार्यशाला में कलाकारों से संवाद करतीं प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल और उपसचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह।

सी.एम. राइज विद्यालयों के निर्माण के संबंध में प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश भर के विभागीय इंजीनियर को संबोधित करतीं प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल।

सी.एम. राइज विद्यालयों के प्राचार्यों की प्रशासन अकादमी में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में प्राचार्यों को संबोधित करते आयुक्त जनजातीय कार्य श्री संजीव सिंह।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए बैंगलुरु में आयोजित तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्ट में मध्यप्रदेश ईएमआरएस के जनजातीय विद्यार्थियों ने देश में ओवर-ऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जिसमें 13 विभिन्न विधाओं में म.प्र. के इन विद्यार्थियों ने यह स्थान पाया।

जनजातीय कार्य विभाग के वन्या प्रकाशन द्वारा भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सेंटर में जियोग्राफिक इंडिकेशन (जी.आई.) पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 'जियोग्राफिक इंडिकेशंस चैलेंजेस एंड द वे फॉर्वर्ड' विषय पर आयोजित इस वर्कशॉप में जनजातीय कार्य विभाग की उपसचिव व वन्या की प्रबंध संचालक मीनाक्षी सिंह ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाइल कमेटी के डॉ. तपन कुमार राऊत के साथ मध्यप्रदेश के 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग आवेदनों पर हस्ताक्षर किए।

जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जनजातीय संग्रहालय में आयोजन किया गया।

स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में 'आजादी का अमृत महोत्सव पखवाड़ा' का आयोजन कर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।